लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 25/6/92

की

कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,
ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: ~~25 मार्च~~ 25 जून, 1992
में विचारणीय विषयों की कार्य-सूची :-

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 16.11.91 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 16.11.91 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	08
3.	मलवा संचय शुल्क से सम्बन्धित ।	
	(अ)- मनीक्षा मंदिर, विराम खण्ड, गोमती नगर योजना के मानचित्र पर मलवा संचय शुल्क न लिये जाने के सम्बन्ध में ।	16
	(ब)- स्कूलों से कम मलवा चार्जेज लिये जाने के सम्बन्ध में ।	17
4.	गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गयी है, उनको भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में ।	18
5.	परिवर्तन शुल्क के सम्बन्ध में ।	
6.	किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तों से सम्बन्धित ।	22
7.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्श शीट वर्ष 1988-89 पर व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	24
8.	दैनिक वेतन भोगी ड्राइवरों को ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन वर्दी दिये जाने के सम्बन्ध में ।	45
9.	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3 के अन्तर्गत ग्राम-किला मोहम्दी नगर स्थित "राजा बिजली पासी का किला" विषयक भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने के संबंध में ।	46
10.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0 प्र0 द्वारा प्रस्तावित लखनऊ महायोजना में 2001 में गोमती नगर योजना में भू-उपयोग में आँशिक परिवर्तन के संबंध में ।	52
11.	अभिनव रिपरटरी थियेटर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-5 में भूमि दिये जाने के संबंध में ।	55

क्रमशः 2

12.	भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में । §अ§- प्राधिकरण के गोमती नगर योजना के विशाल-खण्ड में पार्क हेतु आरक्षित 1400 वर्ग मीटर भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।	56
	§ब§- आई0बी0पी0 कम्पनी को पेट्रोलियम प्रोडेक्ट के बल्क स्टोरेज हेतु अमौसी रेलवे स्टेशन के समीप लगभग 19.5एकड़ भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।	57
13.	गोमती नगर योजना के विनीत खण्ड में प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क के महायोजना में एलाइन्मेंट में परिवर्तन के संबंध में ।	58
14.	श्रीमती मंजुल अग्रवाल पत्नी श्री नरेश अग्रवाल, विधायक हरदोई को आवंटित सीतापुर रोड योजना के भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना के नेहरू इन्कलेव योजना में या विशेष खण्ड में भूखण्ड परिवर्तन करने के संबंध में ।	59
15.	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर"डी", एफ एवं "जी" में भूतल के आवंटियों को प्रथम तल पर भवन आवंटित करने के संबंध में ।	60
16.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को वाहन भत्ता के संबंध में ।	61

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 16-11-91 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 16-11-91 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है ।

क्रमशः——

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 16 नवम्बर, 1991, जो अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में हुई, का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति:

1. श्री रमेश चन्द्र,
   अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवँ
   आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।

2. श्री दिनेश राय,
   उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवँ
   मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका,
   लखनऊ ।

3. श्री अशोक प्रियदर्शी,
   जिलाधिकारी,
   लखनऊ ।

4. सुश्री नीता चौधरी,
   विशेष सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन,
   आवास विभाग ।

5. श्री श्री कृष्ण,
   विशेष सचिव,
   सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तर प्रदेश ।

6. श्री शंकर अग्रवाल,
   विशेष सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन,
   वित्त विभाग ।

7. श्री एन0 एस0 माथुर,
   मुख्य अभियन्ता,
   उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।

8. श्री जे0 पी0 भार्गव,
   मुख्य ग्राम एवँ नगर नियोजक,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

अन्य उपस्थिति:

श्री राजीव कुमार सिंह,
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
एवँ प्राधिकरण के अन्य अधिकारी:

क्रमशः .....

बैठक आरम्भ करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने प्राधिकरण के नये सदस्यों का स्वागत किया तथा प्राधिकरण के पूर्व सदस्यों के बैठकों में योगदान की सराहना की ।

विषय संख्या:1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 10.7.91 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय: विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 10.7.91 के कार्यवृत्त के विषय संख्या:8 को छोड़कर शेष कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी । विषय संख्या:8 के संबंध में निर्देश दिया गया कि 2,000/=00 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर किस प्रकार लगाई गई है, इसका औचित्य दर्शाया जाय तथा इस क्षेत्र की कलक्टर द्वारा निर्धारित स्टाम्प हेतु दरों की जानकारी बोर्ड के समक्ष रखी जाय ।

विषय संख्या:2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 10.7.91 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय: अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये :-

(1) विषय संख्या:21 का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाय तथा आगामी बैठक में पंजीकरण संबंधी पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाय । एवं नई योजनाओं में आवन्टन के पश्चात् अवशेष पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकृत धनराशि तुरन्त नियमानुसार वापस कर दी जाय । उपाध्यक्ष ने बताया कि दिनाँक: 31.12.86 तक के ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों की पंजीकरण राशि वापस करने का निर्णय ले लिया गया है जिन्हें आज तक भवन/भूखण्ड का आवंटन नहीं हो पाया है ।

(2) विषय संख्या:23 में लिये गये निर्णय का अनुपालन प्राधिकरण की आगामी बैठक होने तक रोक दिया जाय ।

विषय संख्या:3 बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आख्या ।

निर्णय: प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये :-

(1) उपलब्धि बहुत कम है, कृपया इसमें तेजी लाई जाय ।

(2) प्राईवेट बिल्डर्स को जो 750 भवन ई0डब्लू0एस0 के बनाने हैं, उनके योजना बनवा कर सूची को शीघ्र प्रस्तुत की जाय ।

क्रमशः .....

(3) यदि प्राईवेट बिल्डर्स द्वारा उक्त भवनों के संबंध में योजना प्रस्तुत करने तथा उनके निर्माण में विलम्ब किया जाता है तो उनके विरूद्ध अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर कार्यवाही की जाय और यह सुनिश्चित कराया जाय कि इस वित्तीय वर्ष में 450 ई0डब्लू0एस0 भवन उनके द्वारा अवश्य निर्मित कर लिये जायें ।

(4) उपरोक्त भवनों के लक्ष्य की पूर्ति के साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पूर्व निर्मित भवनों का कब्जा भी दिया जाये ।

(5) प्राधिकरण की आगामी बैठक में विवरण प्रस्तुत किया जाय कि गत वित्तीय वर्षों में किस वर्ष कितने भवन निर्मित किये गये तथा इनमें से कितने कितने भवन निवसित हैं ।

विषय संख्या:4 लखनऊ विकास प्राधिकरण में तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण आगामी बैठक में निम्नांकित सूचनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाये :-

(1) प्रत्येक अनुभाग में वर्क-लोड के अनुसार कितने कर्मचारी होना चाहिए ।

(2) प्राधिकरण में कितने नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने कर्मचारियों की और आवश्यकता है ।

इसके अतिरिक्त अन्य विन्दुओं पर पूर्ण सूचनाएं प्रस्तुत की जायें ।

विषय संख्या:5 लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्ष 1988-89 के आय-व्यय, लेखों एवं बैलेन्स शीट के सम्बन्ध में ।

निर्णय: प्रस्तुत बैलेन्स शीट नीचे अंकित नोट्स आन-एकाउण्ट्स के विन्दु संख्या:4, 5, 8 व 12 पर मुख्य लेखाधिकारी की विस्तृत टिप्पणी के साथ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

क्रमशः .....

विषय संख्या: 6 लखनऊ विनियमित क्षेत्र में लागू शासन शुल्क की दरों व निर्देशों को संशोधित किये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नांकित प्रारूप में सूचना के साथ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय :

प्रारूप

वर्तमान दरें	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित	शासन द्वारा प्रस्तावित	टिप्पणी
1	2	3	4

विषय संख्या:7 मलवा चार्जेज के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थितियों में प्रचलित नीति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो पूर्ण औचित्य के साथ आगामी बैठक में रखा जाय ।

विषय संख्या:8 अलीगंज योजना के अन्तर्गत श्री नरेश चन्द्र, विधायक को भूखण्ड आवन्टन में दण्ड ब्याज माफ किये जाने के संबंध में ।

निर्णय: यह विषय उपाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है । वे इस पर नियमानुसार निर्णय लें ।

विषय संख्या:9 श्री नरेश चन्द्रा, विधायक को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड संख्या:ए-5/48 विशाल खण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विषय संख्या:8 के अनुसार ।

विषय संख्या:10 श्री एन0 के0 नारंग को आवंटित भूखण्ड संख्या:2/181, विजय खण्ड, गोमती नगर योजना की दर निर्धारण के संबंध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री नारंग को भूखण्ड, वर्तमान दर पर ही दिया जाये ।

विषय संख्या:11 श्री डी0 एस0 मिश्रा तथा श्रीमती मीरा मिश्रा को नेहरू इनक्लेव योजना में आवंटित भवन को परिवर्तित किये जाने पर परिवर्तन शुल्क लिये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव वापस लिया गया ।

क्रमशः .....

विषय संख्या:12 छोटे-छोटे व्यवसायिक भूखण्डों के आवँटन से संबंधित ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये ।

विषय संख्या:13 डा0 आई0एस0 भटनागर को गोमती नगर योजना में नर्सिंग होम हेतु आवँटित भूखण्ड पर लगाये गये दण्ड-ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विषय संख्या:8 के अनुसार ।

विषय संख्या:14 स्कूल भूखण्डों के आवण्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचार-विमर्श के समय विशेष सचिव आवास ने अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में शासन शीघ्र ही स्वीकृति भेज देगा ।

विषय संख्या:15 जन सेवक कार्यालय लिमिटेड, पब्लिशर्स दि टाईम्स आफ इण्डिया तथा नव भारत टाईम्स को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि के आवण्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि यह मामला शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये ।

विषय संख्या:16 संगीत नाटक अकादमी को गोमती नगर योजना के विपिन-खण्ड में आवँटित भूमि से संलग्न ग्रीन-बेल्ट की भूमि आवँटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि पार्क घोषित की जाय तथा संगीत नाटक अकादमी इसे पार्क के रूप में मेनटेन करे । इस संबंध में न तो कोई लीज-रेण्ट लिया जाय और न ही अकादमी का कोई स्वामित्व ही होगा । मात्र इस पार्क का अनुरक्षण अकादमी द्वारा किया जायेगा और प्रथम बार यह व्यवस्था 8 वर्ष के लिये की जाय ।

क्रमशः .....

विषय संख्या:17 यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया को कार्यालय भवन हेतु भूमि आवँटन के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि यह मामला शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये ।

विषय संख्या:18 मवैया स्थित ट्रस्ट भूखण्ड संख्या:363-ए/14 के संबंध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि का विनियमितीकरण श्रीमती अमृत कौर के नाम न करके गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के नाम किया जाये परन्तु उक्त संस्था की वित्तीय साख(क्रेडिबिलिटी) भी देख ली जाय तथा यह भी देख लिया जाय कि क्या धार्मिक संस्था को भूमि दी जा सकती है । इस बारे में पूर्ण सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या:19 श्री सतीश अग्रवाल एवँ डा0 जगदीश चन्द्र अग्रवाल को इनकी भूमि के बदले गोमती नगर योजना में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस संबंध में विधिक राय ले ली जाय कि इस भूमि का अब अर्जन किया जा सकता है अथवा नहीं, और यदि अर्जन कार्यवाही सम्भव है तथा इससे माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं होती है तो अर्जन हेतु कार्यवाही की जाय । यदि इस प्रकार की कार्यवाही से माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना होने की सम्भावना हो तो प्रचलित भूमि की स्कीम के अर्जन के समय की दर से अर्जन राशि की गणना कर ली जाय और उसमें अब तक की अवधि के ब्याज को जोड़कर जो राशि बनती है वह पक्ष को दे दी जाय या इस धनराशि के बराबर मूल्य का भूखण्ड वर्तमान दरों पर दे दिया जाय ।

विषय संख्या:20 विकास प्राधिकरण के पुराने व सबसे ज्यादा खराब वाहनों को नीलाम किये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस संबंध में हुए शासनादेश के प्राविधानों के अनुरूप शासनादेश के अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा राइट-आफ की कार्यवाही की जाय तथा भविष्य में नई गाड़ियाँ क्रय करने सम्बन्धी कार्यवाही शासन से अनुमति प्राप्ति के उपरान्त कर ली जाये ।

विषय संख्या:21 गोमती नगर योजना के फेज-प्रथम के अन्तर्गत विभिन्न कारणों से आवँटित भूखण्डों को कब्जा न दिये जाने के कारण इनको पुन: आवँटित करने के संबंध में ।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि अवशेष पँजीकरणों की सूची के साथ विषय पुन: आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

क्रमश: .....

विषय संख्या:22 ट्रस्ट भूखण्ड संख्या: 424 स्थित टी0जी0 न्यू सिविल लाइन्स पर पुरी एपार्टमेन्ट नामक ग्रुप-हाऊसिंग पैटर्न के आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति से संबंधित परिचालक द्वारा पारित प्रस्ताव ।

निर्णय: नोट किया गया ।

विषय संख्या:23 गोमती नगर योजना भाग-2 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों हेतु आवासीय योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में भवनों का निर्माण ।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि पँजीकरण के अनुसार भवन निर्मित किये जायें तथा तत्काल श्रेणीनुसार अ, ब, स, द क्रमशः 100-200-200 व 200 भवनों का निर्माण प्रारम्भ किया जाय ।

विशेष प्रस्ताव:
==========

§1§ विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि बैठक का कार्यवृत्त शीघ्र उपलब्ध कराया जाया करे और 15 दिन के अन्दर ही जिन सदस्यों को किसी बिन्दु पर कोई आपत्ति हो वे लिखित रूप से उपाध्यक्ष को भेज देंगे, जिस पर आगामी बैठक में विचार किया जायेगा ।

§2§ विषय संख्या:11 के पैरा-5 संबंधी जो प्रस्ताव बोर्ड की गत बैठक दिनाँक: 10.7.91 में पारित हुआ था उसे आगामी निर्णय तक स्थगित रखा जाये ।

§3§ हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि के प्रतिकर की दर बढ़ाने का औचित्य भी स्पष्ट करने हेतु निर्देश दिये गये ।

ह0 -

§ दिनेश राय §
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

§ राजीव कुमार सिंह §
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

अनुमोदित

§ रमेश चन्द्र §
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल एवँ अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

:– लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 16.11.91 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या –:

विषय संख्या 1	विषय 2	लिया गया निर्णय 3	अनुपालन 4
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 10.07.91 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	विकास प्राधिकरण की बैठक दि0 10.7.91 के कार्यवृत्त के विषय सं0 8 को छोड़कर शेष कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी । विषय सं0 08 के संबंध में निर्देश दिया गया कि रू0 2,000/=प्रतिवर्ग मीटर की दर किस प्रकार लगाई गयी है, इसका औचित्य दर्शाया जाय तथा इस क्षेत्र की कलक्टर द्वारा निर्धारित स्टाम्प हेतु दरों की जानकारी बोर्ड के समक्ष रखी जाय ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 10.07.91 मे लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये : – (1) वि0सं0 21 का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाय तथा आगामी बैठक में पंजीकरण सम्बन्धी पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाय एवं नई योजनओं में आवंटन के पश्चात अवशेष पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकृत धनराशि तुरन्त नियमानुसार वापस कर दी जाय । उपाध्यक्ष ने बताया कि दिनाँक: 31.12.86 तक के ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों की पंजीकरण राशि वापस करने का निर्णय लिया गया है जिन्हें आज तक भवन/भूखण्ड का आवंटन नहीं हो पाया है ।	अवशेष पंजीकृत व्यक्तियों की जमा धनराशि वापस किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमशः : – –

1	2	3	4
		§2§ विषय संख्या:23 में लिये गये निर्णय का अनुपालन प्राधिकरण की आगामी बैठक होने तक रोक दिया जाय ।	नोट किया गया ।
03.	बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आख्या ।	प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये :- §1§ उपलब्धि बहुत कम है, कृपया इसमें तेजी लाई जाय । §2§ प्राईवेट बिल्डर्स को जो 750भवन ई.डब्लू.एस. के बनाने हैं, उनमें योजना बनवाकर हडको को शीघ्र प्रस्तुत की जाय। §3§ यदि प्राईवेट बिल्डर्स द्वारा उक्त भवनों के सम्बन्ध में योजना प्रस्तुत करने तथा उनके निर्माण में विलम्ब किया जाता है तो उनके विरूद्ध अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर कार्यवाही की जाय और यह सुनिश्चित कराया जाय कि इस वित्तीय वर्ष में 450ई. डब्लू.एस. भवन उनके द्वारा अवश्य निर्मित कर लिये जॉय । §4§ उपरोक्त भवनों के लक्ष्य की पूर्ति के साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पूर्व निर्मित भवनों का कब्जा भी दिया जाय । §5§ प्राधिकरण की आगामी बैठक में विवरण प्रस्तुत किया जाय कि गत वित्तीय वर्षों में किस वर्ष में कितने भवन निर्मित किये गये तथा उसमें से कितने-2 भवन निवसित हैं ।	§1§ कार्य तीव्रगति से कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। §2§, §3§ एवं §4§-हडको को प्रस्ताव भेजने हेतु प्राईवेट बिल्डर्स से वार्ता की जा रही है । विगत किन वर्षों में कितने भवनों का निर्माण किया गया तथा कितने भवनों का निर्माण किया गया तथा कितने भवन निवसित है, का विवरण तैयार कराया जा रहा है । क्रमशः-

1	2	3	4
04.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत रूप से विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण आगामी बैठक में निम्नांकित सूचनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाये :- §1§ प्रत्येक अनुभाग में वर्क-लोड के अनुसार कितने कर्मचारी हो चाहिये । §2§ प्राधिकरण में कितने नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर पूर्ण सूचनायें प्रस्तुत की जायें ।	अपेक्षित सूचना के साथ मामला विकास प्राधिकरण के समक्ष पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है ।
05.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्ष 88-89 के आय-व्यय, लेखों एवं बैलेन्स शीट के के सम्बन्ध में ।	प्रस्तुत बैलेन्श शीट नीचे अंकित नोट्स आन एकाउन्ट्स के बिन्दु सं04, 5, 8व 12 पर मुख्य लेखाधिकारी की विस्तृत टिप्पणी के साथ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।	विकास प्राधिकरण की वर्ष88-89 के आय-व्यय के लेखों के सम्बन्ध में औचित्य पूर्ण विस्तृत व्याख्यात्मक तैयार करके पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है ।
06.	लखनऊ विनियमित क्षेत्र में लागू शमन शुल्क की दरों व निर्देशों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि निम्नांकित प्रारूप में सूचना के साथ आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय :- 1. वर्तमान दरें 2. प्रा0 द्वारा प्रस्तावित 3. शासन द्वारा प्रस्तावित 4. टिप्पणी	निर्धारित प्रारूप में अन्तर्गत प्रकरण पुन: प्राधिकरण के समक्ष रखा जा रहा है ।
07.	मलवा चार्जेज के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थितियों में प्रचलित नीति में किसी प्रविवर्तन की आवश्यकता है तो	पूर्ण औचित्य के साथ पुन: प्राधिकरण के समक्ष रखा जा रहा है ।

क्रमश:-----------

1	2	3	4
		पूर्ण औचित्य के साथ आगामी बैठक में रखा जाय ।	
08.	अलीगंज योजना के अन्तर्गत श्री नरेश चन्द्रा, विधायक को भूखण्ड आवंटन में दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	यह विषय उपाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है । वे इस पर नियमानुसार निर्णय लें ।	अनुपालन नोट किया गया ।
09.	श्री नरेश चन्द्रा, विधायक को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड सं0ए-5/48 विशाल खण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के संबंध में ।	विषय संख्या: 08 के अनुसार ।	अनुपालन नोट किया गया ।
10.	श्री एन0के0 नारंग को आवंटित भूखण्ड सं0 2/181 विजय खण्ड, गोमती नगर योजना की दर निर्धारण के सम्बन्ध में।	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री नारंग को भूखण्ड, वर्तमान दर पर ही दिया जाये ।	अनुपालन हेतु नोट किया गया ।
11.	श्री डी0एस0 मिश्रा तथा श्रीमती मीरा मिश्रा को नेहरू इनक्लेव योजना में आवंटित भवन को परिवर्तित किये जाने पर परिवर्तन शुल्क लिये जाने के संबंध में ।	विचार-विमर्श के पश्चात प्रस्ताव वापस लिया गया ।	नोट किया गया ।
12.	छोटे-छोटे व्यवसायिक भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित ।	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये ।	कार्यवाही कर दी गयी है ।
13.	डा0आई0एस0भटनागर को गो0न0यो0 में नर्सिंग होम हेतु आवंटित भूखण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	विषय संख्या: 08 के अनुसार ।	नोट किया गया ।

क्रमशः :——

1	2	3	4
14.	स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में	विचार-विमर्श के समय विशेष सचिव आवास ने अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में शासन शीघ्र ही स्वीकृति भेज देगा ।	शासन की स्वीकृति अपेक्षित है ।
15.	जन सेवक कार्यालय लिमिटेड, पब्लिशर्स दि टाईम्स आफ इण्डिया तथा नव भारत टाईम्स को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन के सम्बन्धमें।	विचारोपरांत निर्देश दिया गया कि यह मामला शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये ।	निर्णयानुसार मामला शासन को पत्रांक: 1492/सीए/पीए/91 दि0 25.11.91 द्वारा सन्दर्भित कर दिया गया है।
16.	संगीत नाटक अकादमी को गोमती नगर योजनाके विपिन खण्ड में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।	विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि पार्क घोषित की जाय तथा संगीत नाटक अकादमी इसे पार्क के रूप में मेनटेन करे । इस सम्बन्ध में न तो कोई लीज रेन्ट लिया जाय और न ही अकादमी का कोई स्वामित्व ही होगा । मात्र इस पार्क का अनुरक्षण अकादमी द्वारा किया जायेगा और प्रथम बार यह व्यवस्था 8 वर्ष के लिये की जाय ।	उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी को पत्रांक 1568/सीए/पीए/91 दिनांक 17.11.91 द्वारा सूचित कर दिया गया है ।
17.	यूनाईटेड न्यूज आफ इंडिया को कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत निर्देश दिया गया कि यह मामला शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये ।	निर्णयानुसार मामला शासन को पत्रांक: 1491/सीए/पीए/91 दि0 25.11.91 द्वारा संदर्भित कियागया ।
18.	मवैया स्थित ट्रस्ट भूखण्ड सं0363-ए /14 के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि विनियमितीकरण श्रीमती अमृता कौर के नाम न करके गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के नाम किया जाये परन्तु उक्त संस्था की वित्तीय साख क्रेडिबिलिटी भी देख ली जाय तथा यह भी देख लिया जाय कि कुछ धार्मिक संस्था को भूमि दी जा सकती है। इसबारे में पूर्ण सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये ।	निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमश:——

1	2	3	4
19.	श्री सतीश अग्रवाल एवं डा0 जगदीश चन्द्र अग्रवाल को इनकी भूमि के बदले गोमतीं नगर योजना में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विधिक राय ले ली जाय कि इस भूमि का अब अर्जन किया जा सकता है अथवा नहीं, और यदि अर्जन कार्यवाही सम्भव है तथा इससे माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं होती है तो अर्जन हेतु कार्यवाही की जाय। यदि इसप्रकार की कार्यवाही से माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना होने की समभावना हो तो प्रश्नगत भूमि की स्कीम के अर्जन के समय की दर से अर्जन राशि की गणना कर ली जाय और उसमें अब तक की अवधि के ब्याज को जोड़कर जो राशि के बराबर मूल्य का भूखण्ड वर्तमान दरों पर दे दिया जाय ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
20.	विकास प्राधिकरण के पुराने व सबसे ज्यादा खराब वाहनों को नीलाम किये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इस संबंध में हुए शासनादेश के प्राविधानों के अनुरूप शासनादेश के अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा राईट-आफ की कार्यवाही की जाय तथा भविष्य में नई गाड़ियां क्रय करने सम्बन्धी कार्यवाही शासन से अनुमति प्राप्ति के उपरांत कर ली जाय ।	नोट किया गया ।

क्रमश : - - - - - -

1	2	3	4
21.	गोमती नगर योजना के फेज-प्रथम के अन्तर्गत विभिन्न कारणों से आवंटित भूखण्डों को कब्जा न दिये जाने के कारण इसको पुन: आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि अवशेष पंजीकरणों की सूची के साथ विषय पुन: आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	प्रकरण निर्णयानुसार विस्तृत विवरण के साथ पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है ।
22.	ट्रस्ट भूखण्ड सं0 424 स्थित टी.जी. न्यू सिविल लाइन्स पर पुरी एपार्टमेंट नामक ग्रुप हाउसिंग पैटर्न के आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव ।	नोट किया गया ।	नोट किया गया ।
23.	गोमती नगर योजना भाग-2के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार/केन्द्र सरका तथा इ० उ0प्र0 सरकार व केन्द्र सकरार के उपक्रमों के कर्मचारियों हेतु आवासीय योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में भवनों का निर्माण ।	विचारोपरांत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि पंजीकरण के अनुसार भवन निर्मित किये जायें तथा तत्काल श्रेणीनुसार अ, ब, स, द, क्रमश: 100, 200, 200, व 200 भवनों का निर्माण प्रारम्भ किया जाय ।	नोट किया गया ।
विशेष प्रस्ताव संख्या: 11	विचारोपरांत निर्देश दिया गया कि बैठक का कार्यवृत्त शीघ्र उपलब्ध कराया जाया करे और 15 दिन के अन्दर ही जिन सदस्यों को किसी बिन्दु पर कोई आपत्ति हो वे लिखित रूप से उपाध्यक्ष को भेज देंगे, जिस पर आगामी बैठक में विचार किया जायेगा ।		नोट किया गया ।

क्रमश : - -

1	2	3	4
विशेष प्रस्ताव संख्या: §28§–	निर्णय संख्या: 11 के पैरा–5 सम्बन्धी जो प्रस्ताव बोर्ड की 36 गत बैठक दिनाँक: 10.07.91 में पारित हुआ था उसे अगामी निर्णय तक स्थगित रखा जाये ।		सम्बन्धित मामला अलग से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।
विशेष प्रस्ताव संख्या:§38§–	हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि के प्रतिकर की दर बढाने का औचित्य भी स्पष्ट करने हेतु निर्देश दिये गये ।		पुन: प्रस्तुत किया जाना है ।

क्रमश : – – – – – –

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को
===== स्कूटर भत्ते के सम्बन्ध में ।
==========

प्रस्ताव : विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारी जो स्कूटर का
======
उपयोग फील्ड ड्यूटी में करते हैं, ने मांग की है कि उनको दिये जाने वाला स्कूटर भत्ता 450 रुपया प्रति-माह दिया जाय । इस हेतु उनके द्वारा एक कलकुलेशन वार्ड भी प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है ।

अभी तक प्राधिकरण स्कूटर भत्ते के रूप में रुपया 175/= प्रतिमाह की दर से भुगतान करता है । यह भुगतान विकास प्राधिकरण की बैठक में 25 जनवरी 1990 द्वारा अनुमोदित है । इस बैठक में जब प्रस्ताव किया गया था उस समय पेट्रोल का मूल्य 10 रुपया प्रति लीटर के आधार पर आगणित था । वर्तमान में पेट्रोल की दरें लगभग 16 रुपया प्रति लीटर है । इस प्रकार पूर्व दर से 60% की बढ़ोत्तरी है । इस प्रकार आगणित करने पर वृद्धि रुपया 105/= प्रति माह, अर्थात कुल धनराशि रू0 280/= प्रति माह आती है । मेन्टीनेंस आदि में व्यय के रूप में कर्मचारियों द्वारा रुपया 50 प्रति माह की दर से मांग अलग से की गयी है, जिसको सम्मिलित करते हुए रुपया 330/= प्रति माह की धनराशि स्वीकृत करने पर विचार किया जाना है ।

अतः यह प्रस्ताव है कि कर्मचारियों की मांग को देखते हुए स्कूटर भत्ता रू0 300/= प्रति माह कर दिया जाय ।

- - - - - - - -

विषय संख्या: 3 अ पृष्ठ संख्या: 16

विषय: मनीषा मन्दिर, विराम खण्ड, गोमती नगर योजना के मानचित्र पर मलवा संक्रय शुल्क न लिये जाने के संबंध में ।

प्रस्ताव: गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में मनीषा मन्दिर को प्राधिकरण द्वारा दी गयी भूमि पर मनीषा मन्दिर की अध्यक्षा श्रीमती सरोजनी अग्रवाल द्वारा मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया था । मानचित्र की तकनीकी जाँच, वाँछित औपचारिकताओं व मानचित्र स्वीकृत की कार्यवाही पूर्ण कर पक्ष को मलवा संक्रय शुल्क रू0-27, 838/=00 व जल शुल्क रू0-1200/=00 जमा करने हेतु सूचित किया गया । जिसके क्रम में संस्था की अध्यक्षा द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि यह संस्था बेसहारा बालिकाओं के लिये जैसे तैसे कार्य करती है । अतः मलवा संक्रय शुल्क को माफ कर दिया जाये । प्राधिकरण में समय-समय पर विद्यालयों/संस्थाओं के मानचित्र प्राप्त होते रहते हैं एवं पूर्व में स्वीकृत भी किये गये हैं, जिन पर मलवा संक्रय शुल्क लिया गया है, यदि प्रश्नगत प्रकरण पर मलवा संक्रय शुल्क नहीं लिया जाता है तो यह दृष्टान्त हो जायेगा ।

अतः विद्यालय/इस प्रकार की संस्थाओं के प्राप्त होने वाले भवन मानचित्रों पर मलवा संक्रय शुल्क लिया जाये अथवा नहीं, के संबंध में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड में निर्णय हेतु प्रेषित है ।

विषय: मल्वा चार्जेज से सम्बन्धित ।

आख्या: लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्कूलों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, जिन पर निर्माण हेतु भू-स्वामियों द्वारा भवन चित्र समय-समय पर प्रस्तुत किये जाते रहे हैं ।

2. स्कूल भूखण्डों के कतिपय स्वामियों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि चूँकि स्कूल भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित किये जाते हैं, अत: मल्वा चार्जेज भी रियायती दर पर ही लिया जाना चाहिए । इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि स्कूल भूखण्ड के प्रीमियम की निम्न दरें शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं :-

क्रमांक	भूखण्ड का क्षेत्रफल	दर जो लागू की गयी
ए=	2,000व0मी0 तक के भूखण्ड हेतु ।	प्रचलित आवासीय भूखण्ड की दर के 50प्रतिशत दर पर स्कूल भूखण्डों को उपलब्ध कराया जायेगा ।
बी=	2000व0मी0 से 4000व0मी0 तक की अतिरिक्त भूमि	40 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जायेगी ।
सी=	4000व0मी0से 6000व0मी0 तक की अतिरिक्त भूमि	30 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जायेगी ।
डी=	6000व0मी0 या उससे अधिक की अतिरिक्त भूमि	15 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जायेगी ।

इस प्रकार उपरोक्त दरों से प्रोग्रेसिव प्रीमियम निकाला जाता है ।

3. वर्तमान में मल्वा चार्जेज रू02,000/=प्र0व0मी0 निर्मित क्षेत्रफल पर चार्ज किया जाता है ।

4. मल्वा संचय शुल्क उस भूमि का लिया जाता है जिस भूमि पर कुछ समय के लिये व्यक्ति/संस्था द्वारा मल्वा संचय किया जाता है । ऐसी संभावना बनी रहती है कि निर्माणकर्ता निर्माणावधि में भवन से संबंधित मल्वा अथवा निर्माण सामग्री ल0वि0प्रा0/न0म0पा0 की भूमि पर रखेगा तथा अस्थाई तौर पर इस भूमि के उपयोग के लिये मल्वा संचय शुल्क लिया जाता है । इस संबंध में यह भी उल्लेख करना है कि जो कालोनी महापालिका को हस्तांतरित हो चुकी है, उसमें जो भी मल्वा शुल्क ल0वि0प्रा0 द्वारा लिया जाता है, लखनऊ नगर महापालिका को हस्तांतरित कर दिया जाता है । परन्तु जो कालोनी नगर-महापालिका को हस्तांतरित नहीं हुई हैं, उसका मल्वा संचय शुल्क प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है ।

5. इस संबंध में निम्न प्रस्ताव हैं:-

(1) मल्वा संचय शुल्क आवासीय भवनों के संबंध में निर्धारित दर का 50% लिया जाय ।

(2) अब तक जितने स्कूल भूखण्डों के भवन चित्र स्वीकृत होकर परमिट निर्गत नहीं किये गये हैं, उनमें भी उपरोक्त दर से ही मल्वा संचय शुल्क लिया जाय ।

विषय: गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई है, उनको भूखण्ड दिये जाने से सम्बन्धित ।

व्याख्या: उजरियाँव आवासीय योजना भाग-2/गोमती नगर योजना भाग-2/ के अन्तर्गत पिछले 5 वर्षों से विकास कार्य ग्राम वासियों के विरोध के कारण बन्द थे । कानूनी अड़चने भी दूर होने के पश्चात विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाये । अतः ग्राम वासियों से वार्ता की गई । ग्राम-वासियों की अनेकों माँगों के साथ एक यह भी माँग है कि जिन कृषकों की भूमि इस योजना में अर्जित की गई है, उनको इसी योजना में रियायती दर पर भूखण्ड/भवन/दुकानें आवंटित की जायें । इस क्रम में जिन किसानों की भूमि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अर्जित की गयी थी, उन्हें इस योजना में भूखण्ड/भवन/दुकानें आवंटित करने हेतु दिनाँक: 26.7.91 से दिनाँक: 26.8.91 तक पंजीकरण खोला गया था । उसमें कोई रियायती दर अंकित नहीं की गई थी । अतः बहुत थोड़े से व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रकार	भूखण्ड का क्षेत्रफल	प्राप्त पंजीकरण
सी प्रकार भवन	115.50 व0मी0	1
डी प्रकार भूखण्ड	115.50 व0मी0	7
डी-1 प्रकार भूखण्ड	52.00 व0मी0	6
दुकानें	12.00 व0मी0	7
		21

2. उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि बहुत ही थोड़े व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया क्योंकि अधिकतर व्यक्ति भवन/भूखण्ड/दुकान आवंटित करने पर बल दे रहे हैं और अब भी विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं । यदि उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो पुनः कार्य बन्द होने की आशंका है, जबकि लखनऊ विकास प्राधिकरण पर अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने के कारण काफी वित्तीय भार पड़ चुका है ।

3. गोमती नगर योजना भाग-2 में भूमि की वर्तमान दर निकाली गई है, जो रू0725/= प्र0व0मी0 आती है । इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि बढ़े हुए प्रतिकर को मिलाकर कच्ची भूमि की दर ग्रास पर रू050/= प्र0व0मी0 आती है । इस संबंध में विकास व्यय जो अभियन्त्रण विभाग द्वारा सूचित किया गया है, उसके अनुसार रू0331/= प्र0व0मी0 विकास व्यय ग्रास पर आता है । इस प्रकार

क्रमशः 2

ग्राम पर विकसित भूमि की लागत रू0381/= प्र0व0मी0 आती है । अभियन्त्रण खण्ड द्वारा विक्री योग्य क्षेत्रफल 64% बताया गया है जिसके अनुसार यह दर रू0595/=प्र0व0मी0 आती है (इसमें ओवरहेड, अन्य व्यय तथा लाभ सम्मिलित नहीं है) ।

4. चूँकि काफी समय पश्चात् विकास कार्य प्रारम्भ हुए हैं और वह भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि ग्राम वासियों द्वारा आये दिन कार्यों में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तथा अतिरिक्त प्रतिकर भी भुगतान किया जा चुका है एवं कई संस्थाओं को एकमुश्त भूमि की विक्री भी की जा चुकी है और प्राधिकरण को कई वर्षों पूर्व धनराशि प्राप्त हो चुकी है, अतः ग्राम वासियों की माँगों को न माने जाने से प्राधिकरण को अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी ।

5. अतः प्रस्ताव है कि गोमती नगर योजना में जिन कृषकों की भूमि अधिगृहीत की गई है और यदि वे भूखण्ड/भवन/दुकान लेना चाहते हैं तो उनके सम्बन्ध में भूमि की रियायती दर रू0595/= प्र0व0मी0 ली जाये । प्राधिकरण कृपया, विशेष परिस्थितियों में, स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें । यह निर्णय अन्य योजनाओं में उदाहरण नहीं माना जायेगा ।

विषय संख्या: 5 पृष्ठ संख्या: 20

विषय: परिवर्तन शुल्क के संबंध में ।

आख्या: लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित भवनों/भूखण्डों के संबंध में कभी कभी संबंधित आवंटियों द्वारा रिक्त भवनों/भूखण्डों हेतु परिवर्तन के लिये अनुरोध किया जाता है । वर्तमान में परिवर्तन शुल्क के सम्बन्ध में निम्न नियम हैं:-

"यदि कोई आवंटी अपने भूखण्ड/भवन को उसकी योजना में उपलब्ध रिक्त भवन/भूखण्ड से बदलना चाहता है, तो उसको आवंटित भवन/भूखण्ड की लागत का निम्नलिखित परिवर्तन शुल्क देना होगा:-

क: दुर्बल आय वर्ग एक प्रतिशत,

ख: अन्य आय वर्गीय भवनों में चार प्रतिशत,

ग: समस्त भूखण्डों में आठ प्रतिशत,

इसमें भवनों की लागत का तात्पर्य अनुमानित लागत से है जो एडवरटाइज की गई हैं"।

2. नेहरू इन्क्लेव योजना में विभिन्न प्रकार के भवनों हेतु पंजीकरण माह मार्च-89 में किराया क्रय पद्धति तथा स्ववित्त पोषित योजना/नकद-क्रय पद्धति के आधार पर किया गया था । इस योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया था उन्हें भवन आवंटित हो गये थे । इस योजना में भूमि पर विवाद होने के कारण कार्य देर से प्रारम्भ हो पाया और कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् फिर बीच में रुक गया । ऐसी स्थिति में कुछ भवनों के आवंटियों ने रिक्त भूखण्डों में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया । फलस्वरूप आवंटित भवन से रिक्त भूखण्ड में परिवर्तन कर दिया गया तथा उपरोक्त क्रम संख्या:एक के अनुसार ऐसे आवंटियों से परिवर्तन शुल्क लिया गया । उपरोक्त दर से परिवर्तन शुल्क लिये जाने पर काफी धनराशि आ जाती है, उदाहरण के लिये स्थायन प्रकार के एक भवन का अनुमानित विक्रय मूल्य रू0-4.50 लाख घोषित किया गया था । अत: उपरोक्त प्रकार के भवन से भूखण्ड में परिवर्तित किये जाने पर परिवर्तन शुल्क 8% की दर से रू036,000/= आता है । इस प्रकार इस योजना में देरी के कारण जिन आवंटियों ने रिक्त भूखण्डों में परिवर्तन कराया, उन सभी में परिवर्तन शुल्क काफी अधिक आया है ।

क्रमश: 2

§ 2 §

अतः ऐसे आवॅटियों ने परिवर्तन शुल्क माफ किये जाने के लिये अपने प्रार्थना-पत्र समय-समय पर दिये हैं ।

3. उपरोक्त परिवर्तन शुल्क काफी अधिक है, अतः निम्न प्रस्ताव हैं:-

§।§ नेहरू इन्क्लेव योजना में आवॅटित भवनों से गोमती नगर योजना में ही रिक्त भूखण्डों में परिवर्तन करने पर जो परिवर्तन शुल्क अब तक उपरोक्तानुसार लगाया गया है, उसमें आवॅटित सम्पत्ति तथा परिवर्तित सम्पत्ति में उपरोक्त दर से परिवर्तन शुल्क लगाने पर जो भी कम आये, ले लिया जाये ।

§।।§ भविष्य के लिये भी आवॅटित सम्पत्ति तथा परिवर्तित सम्पत्ति में उपरोक्त दर से परिवर्तन शुल्क लगाने पर जो भी कम आये, लिया जाय ।

<u>विषय:</u> किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवॅटित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तों से संबंधित ।

<u>आख्या:</u> किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवॅटित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तें बनाकर प्राधिकरण की बैठक दिनॉक: 15.12.91 में विषय संख्या: 26 के अन्तर्गत प्रस्तत किया गया था । विचार विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि इसका अध्ययन करके सदस्य एक माह में अवगत करा दें ।

2. प्राधिकरण की बैठक दिनॉक: 5.4.91 के अन्तर्गत अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई थी । अनुपालन आख्या का अवलोकन करते समय प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवॅटित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तों को अध्ययन करके एक सप्ताह में अवगत करा दिया जाय ।

3. चूँकि प्राधिकरण की उपरोक्त दोनों बैठकों में निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी थी, और किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया, अत: उपरोक्त शर्तें यथावत् प्राधिकरण की बैठक दिनॉक: 10.7.91 की विषय संख्या: 5 के अन्तर्गत अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई थीं । प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

> "विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श के पश्चात् हायर परचेज पद्धति के अन्तर्गत आवॅटित किये जाने वाले भवनों की प्रस्तावित शर्तें अनुमोदित की गईं" ।

4. प्राधिकरण की बैठक दिनॉक: 16.11.91 में जो विषय संख्या: 11 §नेहरू इन्क्लेव योजना में आवॅटित भवन के परिवर्तन पर परिवर्तन शुल्क लिये जाने पर§ पर विचार-विमर्श हो रहा था, उस समय यह निर्देश दिये गये थे कि किराया क्रय पद्धति के अन्तगत आवॅटित किये जाने वाले भवनों की शर्तों में जो परिवर्तन शुल्क निर्धारित किया गया है, उसको फिलहाल स्थगित रखा जाय । तद्नुसार ही प्राधिकरण की बैठक दिनॉक: 16.11.91 के कार्यवृत्त में विशेष प्रस्ताव के अन्तर्गत उपरोक्त निर्णय अंकित किया गया है ।

5. किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवॅटित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तों की क्रम संख्या: 3। निम्नवत् है:-

> "यदि कोई आवॅटी अपने भवन कोउसी योजना में उपलब्ध रिक्त भवन में बदलना चाहता है तो उसको आवॅटित भवन को परिवर्तन

क्रमश: 2

की दशा में निम्नलिखित परिवर्तन शुल्क देना होगा । परिवर्तन उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा अनुमोदित होने पर ही मान्य होगा । उपाध्यक्ष/सचिव स्वविवेकानुसार परिवर्तन स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं:-

क्रम संख्या	भवन श्रेणी	परिवर्तन शुल्क §प्रत्येक§ §रू0§
1.	साईट एवं सर्विसेज	100/=
2.	ई0डब्लू0एस0	150/=
3.	एल0आई0जी0	300/=
4.	एम0एम0आई0जी0	1000/=
5.	एम0आई0जी0	5000/=
6.	एच0आई0जी0	10000/=

6. इस संबंध में अब निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

§1§ साईट्स एवं सर्विसेज के भूखण्ड, ई0डब्लू0एस0 भवन तथा एल0आई0जी0 भवनों में उपरोक्तानुसार परिवर्तन शुल्क ही रखा जाय ।

§2§ मिनी एम0आई0जी0, एम0आई0जी0, एच0आई0जी0 भवनों में परिवर्तन शुल्क, इस संबंध में जो अलग से प्रस्ताव परिवर्तन शुल्क लिये जाने के संबंध में रखा गया है, उसके अनुसार नीति रखी जायें ।

7. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या : 7

लखनऊ विकास प्राधिकरण के , विचारार्थ आख्या

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स-शीट वर्ष 1988-89 पर व्याख्यात्मक टिप्पणी ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 13.9.74 को हुयी थी, इसके पूर्व महा-पालिका द्वारा यह कार्य किया जाता था, पूर्व में लिये गये निर्णयों के अनुसार वर्ष 1983-84 तक यह संकलित बैलेन्स-शीट चार्टेड एकाउन्टेंन्ट द्वारा बनायी गयी थी, जो महा-पालिका से उपलब्ध रिकर्डों एवं प्राधिकरण के 10 वर्षों के रिकर्डों पर आधारित थी । इस बैलेन्स शीट में चार्टेड एकाउन्टेंन्ट द्वारा अपने रिमार्कस लगाये गये थे, और जो अभी तक की बैलेन्स-शीट में बार-बार रिपीट हो रहे हैं । इस सम्बन्ध में चार्टेड एकाउन्टेंन्ट द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिनांक 7.12.91 को प्रेषित पत्र की फोटो प्रति संलग्न है । इसमें चार्टेड एकाउन्टेंन्ट ने पृष्ठ-2 पर स्पष्ट किया है कि इस वर्ष की जो बैलेन्स-शीट प्रस्तुत की गयी है, उससे सम्बन्धित उसके सारे रिकर्ड आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये थे ।

चार्टेड एकाउन्टेंन्ट ने दो बिन्दु मुख्य रूप से उठाये हैं । ट्रेडिंग प्रापर्टी से सम्बन्धित विवरण अपूर्ण होने के सम्बन्ध में एवं डिमान्ड तथा कलेक्शन रजिस्टर की धनराशि के और सत्यापन के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की वर्तमान में सभी योजनाओं के विवरण कम्प्यूटर द्वारा रखे जा रहे हैं और उनसे सम्बन्धित मांग आदि कम्प्यूटर में उपलब्ध हैं । पुरानी योजनाओं में जो कम्प्यूटर में नहीं है उनके सम्बन्ध में यद्यपि पर्याप्त प्रयास किये गये हैं परन्तु अन्तिम रूप से सत्यापन का आधार पूर्व में अपूर्ण विवरणों के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है । यह तथ्य चार्टेड एकाउन्टेंन्ट द्वारा भी अपने पत्र में प्रारम्भ में ही इंगित किया गया है फिर भी प्रयास कर इन विवरणों को आगे जहाँ सम्भव हुआ प्रस्तुत किया जायेगा और टिप्पणी के रूप में यह बैलेन्स-शीट में अंकित किया जायेगा ।

प्राधिकरण से अनुरोध है कि बैलेन्स-शीट की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे, ताकि इसकी एक प्रति निदेशक स्थानीय निधि लेखा-परीक्षण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा सके ।

स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

मुख्य लेखाधिकारी,

सचिव,

25

B. C. JAIN & CO.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

Gram : COSTAUDIT
211380
Phones : Off. 211487
211843
Res. 211380

16/77 A, CIVIL LINES,
KANPUR—2 0 8 0 0 1

7th December, 1991

The Vice Chairman,
Lucknow Development Authority,
LUCKNOW

Subject: Balance Sheet as at 31st March, 1989

Dear Sir,

We have gone through comments made by the authority on the Schedule of Notes on accounts attached with the aforesaid balance sheet prepared by us and in this regard we have to state that:

The notes on above balance sheet were almost repetation of last notes given by us on earlier balance sheets. It may be noted that the first accounts of the authority were prepared for the period of 10 years i.e. from 1973-74 (the year of formation of the authority) to 1982-83. For some reasons it was not practicable to prepare that Balance Sheet without if and buts i.e. without putting qualificatory notes thereon. The main reasons, interalia, were that, this was the first balance sheet and was prepared altogether for such long period, method and system of accounting then adopted were not competent enough to feed back necessary information and details required for the balance sheet purposes and apart from this, certain books and records were also not readily traceable. Further, balances from that balance sheet have to be brought forward as opening balance to prepare balance sheet for the subsequent year and it was, therefore, considered necessary to repeat notes also since correctness of said balance was subject to that comments/ remarks. Strickly speaking instead of repeating para-wise notes, it would has been sufficient, had we just mentioned that the correctness of certain balances brought forward from last account was subject to further reconciliation/linking up/ confirmation and/or adjustment. But in order to make balance sheet more meaningful and informative they were given in detailed.

It has correctly been mentioned in the comments that various improvements have gradually been made from year to year in the system and method of accounting and towards maintenance of books of account. Some efforts were also made for the reconciliation of bank accounts which was pending since long and to prepare

Contd..2

B. C. JAIN & CO.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

certain additional records required for the balance sheet purposes. The above has resulted in improvements in the balance sheet also. It has gradually been supported with proper details/ statements and schedules, We hereby confirm that during the year under review (i.e. 1988-89) all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of preparation of balance sheet were normally furnished to us and except followings balance sheet for the year mentioned above were properly supported with the relative details.

(i) The quantitative details of traded properties furnished was noticed to be imcomplete in certain respects.

(ii) As demand and collection registers were under process of compilation, the amount of sundry debtors as shown in the balance sheet was subject to further confirmation and adjustment, if required will be carried out in next balance sheet which is under process of compilation.

Trust you will find above in order.

Thanking you and assuring you of our best services always.

We remain,

Yours faithfully

B. C. JAIN & CO. KANPUR Chartered Accountants

CHARTERED ACCOUNTANTS

B. C. JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : COSTAUDIT
PH. 211380, 211487, 211847

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 1989

AT 31.3.88 (Rs.)	LIABILITIES. SCHEDULE		AS AT 31.3.89 (Rs.)	AS AT 31.3.88 (Rs.)	ASSETS. SCHEDULE		AS AT 31.3.89 (Rs.)
	RESERVES AND SURPLUS:				FIXED CAPITAL EXPENDITURE: III		
	(a) SINKING FUND:				(a) FIXED ASSETS:		
7,14,545	As per last account	1,96,45,909		13,1[illegible],56,018	Gross Block	14,40,95,079	
2,67,280	Add: Transfer from Income & Expenditure Account	16,28,632		4,[illegible],43,376	Less: Depreciation	5,33,15,295	
9,81,826		2,12,74,541				9,07,79,784	
33,35,917	Less: Transfer to Income & Expenditure Account.	1,40,63,807		8,85,12,642	Net Block.		
96,45,909		72,10,734		2,27,32,912	(b) CAPITAL WORKS IN PROGRESS: IV	1,60,41,054	10,68,20,838
81,27,956	(b) INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT: (As per account - annexed)	8,09,30,522	8,81,41,256	6,00,000	INVESTMENTS (TRADE) -AT COST: 10.25% Debentures of HUDCO (6 nos.of Rs.1,00,000/-each)		6,00,000
	LOANS: I				CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES: V		
06,00,000	9.5% Debentures-unsecured	-		1,06,42,724	(a) Interest accrued but not due on Sinking Fund Investment & HUDCO Debentures	21,06,531	
32,99,394	From Government (including World Bank)	19,21,48,129		64,45,620	(b) Construction Materials, Stores & Spares etc. at cost	1,29,22,177	
35,40,043	From Housing Urban Development Corporation Ltd.	40,36,03,718		67,73,73,000	(c) Traded Properties-at estimated value (Land/Plots, Building, Shops/Com-Complex etc. including works in progress)	76,73,66,000	
1,53,469	From Banks-Temporary (against deposits)	-	59,57,51,847	37,38,99,435	(d) Sundry Debtors/Amounts Receiveable	35,69,58,423	
	CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS: II			3,99,34,688	(e) Cash and Bank Balances	4,56,23,345	
7,41,830	(a) Registration deposits/ Advances against Sales/allottment	12,31,48,830		5,96,74,709	(f) Other deposits with Scheduled Banks (including Sinking Fund Deposits)	4,91,49,496	
33,78,000	(b) Unpaid compensation-of Land (including interest thereon)	52,43,80,000		3,52,24,162	(g) Loans and Advances	4,02,72,431	1,27,43,98,403
0,00,000	(c) Grants & Subsidies-Pending utilisation	-					
20,64,041	(d) Other Liabilities	5,03,77,308					
4,89,250	(e) Interest accrued but not due debentures	-	69,79,26,138				
50,39,892	-: TOTAL :-		1,38,18,19,241	1,31,50,39,892	-: TOTAL :-		1,38,18,19,241

The Schedules referred to above and the attached Notes form an integral part of the accounts.

CERTIFICATE.

The above Balance Sheet of Lucknow Development Authority, Lucknow as at 31st March, 1989 and also the annexed Income and Expenditure Account of the Authority for the year ended on that date have been prepared by us on the basis of information and explanations furnished, books and records made available and such adjustments which were considered by us necessary.

For B.C. JAIN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS.

(K.L. JETHWANI)
PARTNER.

DATE : LUCKNOW.
DATED : 30th NOV. '90

B. C. JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR
GRAMS : COSTAUDIT
PH

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1989.

R ENDED .3.88 (Rs.)	EXPENDITURE	SCHEDULE	YEAR ENDED 31.3.89 (Rs.)	YEAR ENDED 31.3.88 (Rs.)	INCOME	SCHEDULE	YEAR ENDED 31.3.89 (Rs.)
59,81,000	Opening Stock of Traded Properties (including works in progress)		67,73,73,000	44,75,48,379	Sales (Plots & Resi.Buildings etc.)	IX	44,80,15,560
				2,54,45,174	Rent (including lease rent)	X	2,79,12,741
28,40,567	Land Acquision and Development Expenses thereon	VI	24,60,85,797	86,83,760	Premium/other Income from shops- and com-complex.	XI	1,75,64,307
71,79,474	Construction Expenses on traded Properties	VII	20,45,39,360	44,92,746	Interest on deposits & debentures etc (including interest accrued on Sinking Fund Investment)		73,96,639
98,99,289	Employees Remuneration & Benefits		2,69,25,946				
16,95,478	Administration & General Expenses	VIII	2,20,91,877	1,04,00,210	Other Income	XII	70,35,176
00,86,068	Interest (including Rs.1,40,02,000 - on unpaid compensation)		7,71,35,133	67,73,73,000	Closing Stock of Traded Properties (including Works in progress)		76,73,66,000
72,94,680	Depreciation		1,07,71,919				
89,66,713	Balance being surplus down		1,03,67,391				
39,43,269	-: TOTAL :-		1,27,52,90,423	1,17,39,43,269	-: TOTAL :-		1,27,52,90,42
76,96,979	Adjustments pertaining to earlier years		-	5,57,89,585	Balance brought forward from last account		5,81,27,956
22,67,280	Transfer to Sinking Fund Reserve		16,28,632	89,66,713	Balance brought down		1,03,67,391
81,27,956	Balance carried to Balance Sheet		8,09,30,522	33,35,917	Transfer from Sinking Fund Reserve		1,40,63,807
80,92,215	-: TOTAL :-		8,25,59,154	6,80,92,215	-: TOTAL :-		8,25,59,154

The Schedules referred to above and the attached Notes form an integral part of the accounts.

As per our certificate at the foot of the Balance Sheet.

For B.C. JAIN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(K.L. JETHWANI)
PARTNER.

ACE : LUCKNOW
TED : 30th Nov, 90

28

B. C. JAIN & C.
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR
GRAMS : COSTAUT

LOANS : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

SCHEDULE - I.

PARTICULARS.			AS AT 31.3.89 (Rs.)		AS AT 31.3.88 (Rs.)
(a) 9.5% DEBENTURES - UNSECURED.			-		2,06,00,000
(b) FROM GOVERNMENT:					
(i) Taken by the Authority:					
As per last account	14,84,56,374			14,81,47,299	
Add: Received during the year	1,.5,95,600			1,06,72,000	
	15,90,51,974			15,88,19,299	
Less: Repaid during the year	1,06,46,114	14,84,.5,860		1,03,62,925	14,84,56,374
(ii) Inherited (Transferred from - Mahapalika):					
As per last account	36,96,020			50,05,980	
Less: Repaid during tne year	11,00,751	25,95,269		13,09,960	36,96,020
(iii) Under World Bank Scheme:					
As per last account	1,11,47,000			1,11,47,000	
Add: Receivec during tne year	3,00,00,000	4,11,47,000	19,21,48,129	-	1,11,47,000
(c) FROM HOUSING URBAN DEVELOPMENT - CORPORATION LIMITED (HUDCO):					
As per last account		38,35,40,043		29,02,71,043	
Add: Received during the year		7,07,00,958		13,47,92,000	
		45,43,.1,001		42,50,63,043	
Less: Repaid during the year		[illegible]	40,36,03,718	4,15,23,000	38,35,40,043
(d) FROM BANKS :					
As per last account		1,53,469		-	
Add: Taken during the year		8,57,86,552		5,61,79,889	
		8,59,40,021		5,61,79,869	
Less: Repaid during the year		8,59,40,021	-	5,60,26,420	1,53,469
-: T O T A L :-			59,57,51,847		56,75,92,906

Sub Note : The 9.5% Debentures have been redeemed during the year.

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : COSSAUDIT
PH : 211380, 211407, 219843

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :

SCHEDULE - II

PARTICULARS		AS AT 31.3.89 (Rs.)		AS AT 31.3.88 (Rs.)
(a) Registration Deposit/Advances against - Sales and/or allottment of buildings/shops		12,31,48,830		11,47,41,830
(b) Unpaid Compensation of Land :				
As per last account	51,03,78,000		37,65,00,000	
Add: (i) Accrued during the year	1,56,00,000		23,63,84,000	
(ii) Interest due for the year	6,53,31,000		3,66,32,000	
	59,13,09,000		64,95,16,000	
Less: Amount paid during the year	6,69,29,000	52,43,80,000	13,91,38,000	51,03,78,000
(c) Grants and Subsidy :				
As per last account	20,00,000		27,54,008	
Add: Received during the year	1,00,00,000		20,00,000	
	1,20,00,000		47,54,008	
Less: Adjusted during the year	1,20,00,000	-	27,54,008	20,00,000
(d) Other Liabilities :				
Contractors Security Deposit and other amounts payable incl. pension Fund Scheme etc.		5,03,97,308		4,20,64,041
(e) Interest accrued but not due on debentures		-		4,89,250
-: T O T A L :-		69,79,26,138		66,96,73,121

30

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : 'COSTAUDIT'
PH. : 211300, 211407, 211943

FIXED ASSETS :

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

SCHEDULE - III

PARTICULARS OF ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK	
	As at 1.4.88 (Rs.)	Additions (Rs.)	Adjustment (Rs.)	As at 31.3.89 (Rs.)	Up to 1.4.88 (Rs.)	For the year (Rs.)	Up to 31.3.89 (Rs.)	As at 31.3.89 (Rs.)	As at 31.3.88 (Rs.)
-Building (Transfer from Mahapalika)	1,00,00,000	-	12,72,717	87,27,283	51,23,249	1,80,202	[illegible],03,451	34,23,832	48,76,751
-Office and Administrative Building	58,99,981	10,18,091	-	69,18,072	8,69,557	3,02,426	11,71,983	57,46,089	50,30,424
-Shops and Commercial-Complex	5,98,67,966	45,32,832	-	6,44,00,798	1,49,35,811	24,73,249	1,74,09,060	4,69,91,738	4,49,32,155
-Plant and Machinery (including Vehicles)	1,39,40,704	36,49,067	-	1,75,89,771	90,31,393	28,52,507	1,18,83,900	57,05,871	49,09,311
-Hot Mix Plant	69,72,205	-	-	69,72,205	22,85,634	15,62,034	38,47,668	31,24,537	46,86,571
-Electric Crematorium (Net of Grant/Subsidy Rs.10 lacs)	12,61,721	2,67,530	-	15,29,251	3,73,332	3,85,268	7,58,600	7,70,651	8,88,389
- Office and other Equipments	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	7,87,825	21,93,163	15,75,888	18,14,050
-Furniture & Fixtures	15,23,897	1,59,417	-	16,83,314	5[illegible],07,488	1,17,583	[illegible],25,071	10,58,243	10,16,409
-Parks, Zheels & Other Beautification Works	2,14,71,317	32,67,547	-	2,47,38,864	[illegible],139	17,72,273	[illegible],88,412	1,59,50,452	1,44,55,178
-Roads	10,62,976	-	-	10,62,976	[illegible],298	47,834	1,54,132	9,08,844	9,56,678
-Sulab Sauchalaya	49,10,873	8,67,631	-	57,78,504	7,[illegible]1,293	2,53,861	9,55,154	48,23,350	42,09,580
-Working Women Hostel (Net of Grant/Subsidy Rs.4 lacs)	9,24,990	-	-	9,24,990	18,78,844	36,857	2,24,701	7,00,289	7,37,146
-: TOTAL :-	13,10,56,018	1,43,11,778	12,72,717	14,40,95,079	4,25,43,376	1,07,71,919	5,33,15,295	9,07,79,784	8,85,12,642



B. C. JAIN & Co. KANPUR Chartered Accountants

31

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : "COSTAUDIT"
PH. : 211390, 211487, 211643

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

CAPITAL WORKS IN PROGRESS :

SCHEDULE - IV.

PARTICULARS OF THE WORKS	OPENING BALANCE (Rs.)	ADDITIONS (Rs.)	TRANSFER/ADJUSTMENT (Rs.)	AS AT 31.3.89 (Rs.)	AS AT 31.3.88 (Rs.)
Chowk/Nibu Bagh Complex.	69,22,913	25,88,360	-	95,11,273	69,22,913
Kailash Kunj Complex.	1,10,13,976	18,39,724	1,28,53,700	-	1,10,13,976
Nishat Palace.	80,274	58,31,368	-	59,11,642	80,274
Nandakhera Complex.	45,32,832	-	45,32,832	-	45,32,832
Tikait Rai Talab.	1,82,917	4,35,222	-	6,18,139	1,82,917
-: T O T A L :-	2,27,32,912	1,06,94,674	1,73,86,532	1,60,41,054	2,27,32,912

B C JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : COSTAUDIT
PH. : 211360, 211407, 211643

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

SCHEDULE - V.

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES :

PARTICULARS		AS AT 31.3.89 (Rs.)		AS AT 31.3.88 (Rs.)
(A) CURRENT ASSETS :				
Interest accrued on :				
Sinking Fund Investment	20,91,156		1,06,27,349	
HUDCO Debentures	15,375	21,06,531	15,375	1,06,42,724
Construction Materials-at cost.		1,29,22,177		64,45,620
(Incl.Stores & Spares)				
Traded Properties-at estimated Value		76,73,66,000		67,73,73,000
(Including works in progress)				
Amount receivable agst.sales made			36,74,27,055	
-on hire purchase basis	35,10,93,043			
Rent in arrear	22,25,380		28,32,380	
Amount receiveable from Nazul	36,40,000	35,69,58,423	31,40,000	37,38,99,435
		4,56,23,345		3,99,34,688
Cash and Bank Balances :				
(Incl.with Divisions)				
DEPOSIT :				
Short term deposits with Scheduled Banks			4,00,28,600	
Sinking Fund Investment :	4,19,38,762			
Re-Investment deposit wi :			98,49,480	
Indian Overseas Bank				
(to redeem debentures)				
United commercial Bank	72,10,734	4,91,49,496	97,96,429	5,96,74,709
(for repayment of seed capital)				
(B) LOANS AND ADVANCES :				
Advances with Divisions-pending adjustment	2,41,16,344		1,55,60,689	
Advances recoverable in cash or in kind or			1,51,93,435	
-for value to be received	1,[illegible]	[illegible],72,431	44,70,038	3,52,24,162
Advances to staff	51,53,114			
:- T O T A L :-		1,27,43,98,403		1,20,31,94,338

B. C. JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : COSTAUDIT
PH. : 211395, 211497, 211843

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

SCHEDULE - VI.

LAND ACQUISITION AND DEVELOPMENT EXPENSES:

Name of the Scheme	Compensation paid/ value of the land acquired (Rs.)	Development Expenses (Rs.)	Year ended 31.3.89 (Rs.)	year ended 31.3.88 (Rs.)
-Gomti Nagar	2,79,10,929	9,79,07,243	12,58,18,172	13,00,22,640
-Kanpur Road	1,53,00,000	3,46,07,226	4,99,07,226	9,58,82,201
-Sitapur Road	-	2,58,25,697	2,58,25,697	4,42,31,290
-Alijanj	25,50,000	93,03,438	1,18,03,438	57,82,149
-Colvin,FAC,Napier Road	1,46,50,000	22,11,751	1,68,11,751	57,82,730
-Sharda Nagar	23,68,531	1,20,00,070	1,40,68,601	97,70,000
-Tikait Rai Talab	17,50,000	31,29,092	48,79,092	31,62,136
-Rail Nagar	-	14,35,230	14,35,230	25,04,552
-La-Plas/Butler Palace	-	8,72,541	8,72,541	9,66,468
-Hardoi Road	-	23,75,721	23,75,721	29,30,365
-Ram Nagar	-	16,28,032	16,28,032	11,46,396
-Others	-	6,60,296	6,60,296	13,59,640
	6,41,29,460	19,19,56,337	25,60,85,797	30,35,40,567
Less: Adjusted against Grants & Subsidy			1,00,00,000	7,00,000
		-: TOTAL :-	24,60,85,797	30,28,40,567

NOTE : The work-wise break-up of development expenses is as under:

(Contd.....(2)

B. C. JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : "COSTAUDIT"
PH. : 211390, 211487, 211843

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

Name of the Scheme	NATURE OF WORKS. Investigation/ Development (Rs.)	Roads (Rs.)	Drains (Rs.)	Watersupply (Rs.)	Lighting (Rs.)	Parks (Rs.)	Contingencies (Rs.)	Miscellaneous (Rs.)	Total. (Rs.)
Gomti Nagar	1,00,18,551	3,[illegible],16,490	3,20,78,477	1,25,15,236	94,82,243	14,72,484	3,23,762	-	9,79,07,2[illegible]
	(40,98,525)	(2,[illegible],61,874)	(2,61,88,941)	(70,12,362)	(91,69,046)	([illegible],31,763)	(71,917)	(-)	(8,58,34,4[illegible]
Kanpur Road	60,73,424	1,[illegible],54,[illegible]	81,89,[illegible]	12,94,294	44,57,232	[illegible]	8,47,435	-	3,46,07,2[illegible]
	(31,41,134)	([illegible])	(5[illegible],92,[illegible])	([illegible],70,773)	(64,62,445)	(1,[illegible])	(6,90,694)	(-)	(3,36,52,2[illegible]
Sitapur Road	63,43,316	[illegible]	85,69,[illegible]	11,92,[illegible]	52,23,651	3,72,210	1,72,599	-	2,58,25,6[illegible]
	(36,77,493)	([illegible],52,[illegible])	(91,40,500)	(36,[illegible],096)	(32,96,736)	(9,07,678)	(51,409)	(-)	(2,92,31,2[illegible]
Aliganj	10,96,162	7,88,[illegible]	52,65,973	1,15,142	10,99,967	9,28,033	2,370	7,787	93,03,43
	(12,74,225)	(9,02,249)	(11,95,600)	(5,54,277)	(12,70,381)	(3,12,565)	(53,385)	(1,69,467)	(57,32,14
Colvin, PAC & Napier	6,34,249	2,44,426	5,87,117	2,[illegible],831	24,072	22,589	98,646	3,95,821	22,11,7[illegible]
	(5,45,218)	(1,67,[illegible])	(1,88,575)	(-)	(47,714)	(30,622)	(3,000)	(-)	(9,82,7[illegible]
Sharda Nagar/Rail Nagar	4,42,462	1,15,67,878	5,97,744	49,080	5,84,771	6,761	1,86,604	-	1,34,35,3[illegible]
	(-)	(5,38,185)	(27,[illegible])	([illegible],808)	(66,986)	([illegible],482)	(-)	(-)	(8,66,4[illegible]
Tikait Rai Talab	1,11,959	3,94,[illegible]	9,13,944	1,[illegible],769	12,21,132	[illegible],492	20,763	-	31,29,0[illegible]
	(1,04,509)	(5,07,[illegible])	(2,28,1[illegible]7)	([illegible],711)	(6,11,611)	([illegible],873)	(4,89,334)	(-)	(26,62,1[illegible]
De-Plas/Buttler Palace	-	2,11,[illegible]	4,21,[illegible]	1,95,672	44,038	-	-	-	8,72,54
	(83,369)	(2,2[illegible],612)	(-)	(-)	(12,283)	(-)	(2,100)	(-)	(3,31,36
Hardoi Road	85,492	18,55,974	4,34,255	-	-	-	-	-	23,75,72
	(-)	(3,74,187)	(-)	(56,178)	(-)	(-)	(-)	(-)	(4,30,36
[illegible] Nagar	81,793	3,30,064	8,70,316	2,31,189	1,07,527	7,143	-	-	16,28,03
	(-)	(2,52,[illegible])	(2,29,952)	(2,790)	(-)	([illegible]7,697)	(5,63,052)	(-)	(11,46,39
Others.	2,72,246	[illegible]	74,[illegible]	[illegible],522	1,77,234	1,965	42,940	-	6,60,2[illegible]
	(2,52,221)	([illegible])	(14,[illegible])	([illegible])	([illegible])	([illegible],928)	(-)	(-)	(35,32,82
TOTAL	2,41,59,654	6,[illegible]7,04,565	5,79,94,264	1,[illegible],69,824	2,[illegible]	[illegible]7,436	16,95,119	4,03,608	19,19,56,33
	(1,31,76,694)	(6,[illegible]7,15,461)	(4,23,05,609)	(1,51,96,647)	(2,11,66,843)	([illegible],743)	(19,24,891)	(1,69,467)	(16,44,02,35

Sub Note : Figures in bracket are in respect of previous year.

35

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : 'COSTAUDIT'
PH. : 211390, 211407, 211643

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

CONSTRUCTION EXPENSES ON TRADED PROPERTIES : SCHEDULE - VII.

PARTICULARS.		YEAR ENDED 31.3.89 (Rs.)		YEAR ENDED 31.3.88 (Rs.)
RESIDENTIAL BUILDINGS:				
Gomti Nagar	2,85,94,434		2,06,62,104	
Sitapur Road	3,35,48,799		2,29,18,374	
Kanpur Road	2,85,90,214		1,31,04,562	
Tikait Rai Talab	3,74,62,060		1,75,61,434	
Aliganj	34,05,391		16,83,440	
Sharda Nagar	32,45,411		-	
Rail Nagar	25,77,168		66,92,[illegible]	
Buttler Palace/La-plas	66,24,627		1,30,16,[illegible]	
Colvin,PAC & Napier Rd.	18,09,763		23,96,256	
Others	42,71,269	14,91,29,166		9,96,72,596
SHOPS/COMMERCIAL COMPLEX :				
Kailash Kunj	1,28,53,700		-	
Gomti Nagar	50,89,565		20,86,506	
Kanpur Road	64,71,016		6,77,103	
Aliganj	38,57,136		30,79,093	
Sitapur Road	4,16,482		3,17,942	
Others	2,20,552	2,69,08,451	4,31,113	65,91,357
Construction Materials & Other Stores Consumed.		2,39,92,610		2,05,65,719
Slum clearance and other development works-Net of Grants/subsidy		25,09,133		3,49,802
-: T O T A L :-		20,45,39,360		12,71,79,474

Note : The work-wise break up of construction expenses on Residential Buildings during the year is as under :

(Contd ..... (2)

B C JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : 'COSTAMDIT'
PH. 211300, 211407, 211843

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

NAME OF THE SCHEME.	NATURE OF WORKS: E W S (Rs.)	L I G (Rs.)	M I G (Rs.)	H I G (Rs.)	ABC TYPE FLATS (Rs.)	HUDCO-COMPOSIT (Rs.)	TOTAL (Rs.)
Gomti Nagar	- (4,708)	71,12,932 (15,54,846)	49,46,627 (47,40,383)	48,18,227 (26,95,075)	71,55,998 (73,08,570)	45,60,650 (43,58,522)	2,85,94,434 (2,06,62,104)
Sitapur Road	- (1,672)	1,46,02,321 (26,77,817)	84,41,193 (1,20,40,465)	10,51,387 (2,31,734)	15,60,348 (46,64,598)	78,93,550 (33,02,088)	3,35,48,799 (2,29,18,374)
Kanpur Road	35,21,344 (24,93,772)	1,36,85,282 (48,43,565)	81,48,056 (19,39,199)	6,81,945 (16,56,[illegible]20)	25,53,587 (21,72,006)	- (-)	2,85,90,214 (1,31,04,562)
Tikait Rai Talab	2,90,693 (-)	- (54,181)	1,58,69,945 (1,24,39,810)	73,51,522 (37,7[illegible])	69,49,900 (12,88,374)	- (-)	3,74,62,060 (1,75,61,434)
Aliganj	8,88,003 (1,98,315)	15,61,933 (10,22,275)	9,55,455 (4,62,850)	- (-)	- (-)	(-) (-)	34,05,391 (16,83,440
Sharda Nagar	32,45,411 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	32,45,411 (-)
Rail Nagar	- (-)	- (-)	- (7.70,507)	- (-)	25,77,198 (59,21,795)	- (-)	25,77,198 (66,92,302
Buttler Palace/La-Plas	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	66,24,627 (1,30,16,633)	- (-)	66,24,627 (1,30,16,633
Colvin, PAC & Napier Rd.	4,50,031 (-)	2,758 (-)	- (23,96,256)	- (-)	3,56,974 (-)	- (-)	8,09,763 (23,96,256
Others	3,62,100 (4,73,911)	- (5,04,257)	26,97,816 (6,59,323)	12,11,[illegible]53 (-)	- (-)	- (-)	42,71,269 (16,37,491
-: T O T A L :-	1,57,57,582 (31,72,378)	3,69,65,226 (1,06,56,941)	4,10,59,092 (3,54,48,793)	1,51,14,434 (83,61,898)	2,77,78,632 (3,43,71,976)	1,24,54,200 (76,60,610)	14,91,29,166 (9,96,72,596)

Sub Note: Figures in bracket are in respect of previous year.

B. C. JAIN & C
Chartered Accoun
KANPUR - 208
GRAMS : COSTAU
PH. : 311396, 311487.

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

ADMINISTRATION AND GENERAL EXPENSES :

SCHEDULE - VIII.

PARTICULARS			YEAR ENDED 31.3.89 (Rs.)		YEAR ENDED 31.3.88 (Rs.)
Printing and Stationery			28,93,349		45,42,472
Telephones and Electricity			34,14,812		6,99,791
Vehicles Repairs & Maintenance			22,55,387		10,32,877
Rent, Rates & Taxes			3,52,583		11,48,552
Advertisement & Publicity			23,94,215		22,27,510
REPAIRS AND MAINTENANCE :					
Buildings incl.shops & Com.Complex.	14,57,161			12,11,802	
Hot Mix Plant	16,75,523			11,76,090	
Parks etc.	28,54,529		59,87,213	23,83,507	47,71,399
Legal Expenses			9,39,698		3,06,779
Audit Fee			10,00,000		25,00,000
Bank Guarantee Commission			2,31,470		19,86,785
Meeting Expenses			1,34,970		1,03,073
Books & Periodicals			28,139		56,299
Other administrative expenses.			24,60,041		23,19,941
-: TOTAL :-			2,20,91,877		2,16,95,478

B. C. JAIN & CO. KANPUR Chartered Accountants

B. C. JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : "COSTAUDIT"
PH : 21390, 211467, 211543

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

SALES OF TRADED PROPERTIES :

SCHEDULE - IX.

NAME OF THE SCHEME	LAND/PLOT Cash Down (Rs.)	BUILDINGS Cash Down (Rs.)	BUILDINGS Hire Purchase (Rs.)	YEAR ENDED 31.3.89 (Rs.)	YEAR ENDED 31.3.88 (Rs.)
Gomti Nagar	13,04,69,487	7,09,05,601	6,02,472	20,19,77,560	19,25,68,841
Kanpur Road	3,66,57,832	2,35,37,134	19,69,874	6,12,64,840	6,16,60,501
Sitapur Road	4,02,32,914	3,48,91,655	2,91,112	7,54,15,681	7,23,91,723
Sharda Nagar	3,08,35,382	50,50,453	-	3,58,85,835	81,59,000
Aliganj	1,36,88,490	68,44,480	90,534	2,06,23,504	1,65,34,278
Tikait Rai	-	1,73,04,244	1,33,022	1,74,37,266	4,13,85,186
Buttler Palace	-	2,20,00,000	-	2,20,00,000	-
Rail Nagar	8,53,037	38,53,017	-	47,06,054	22,06,849
Colvin/PAC/Napier Road	16,98,182	24,16,853	5,750	41,20,785	3,90,48,803
Hardoi Road, Radha Gram	9,27,594	15,34,032	-	24,61,626	73,32,949
Others	1,68,659	72,50,144	-	74,18,803	67,44,412
	25,55,31,577	19,55,87,613	21,92,764	45,33,11,954	44,80,32,542
Adjustments:					
Add: (i) Accrued on hire purchase sales			1,09,63,820		
(ii) Transfer from Registration/Advance against Sales/Allotment.			3,33,83,000	4,43,46,820	6,29,84,380
				49,76,58,774	51,10,16,922
Less: (i) Refunds made during the year:					
Plots		46,90,512			
Buildings		31,62,702	78,53,214		
(ii) Transfer to Registration/Advances against Sales/Allottment.			4,17,90,000	4,96,43,214	6,34,68,543
-: TOTAL :-				44,80,15,560	44,75,48,379

B. C. JAIN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 2[illegible]
GRAMS : COSTAL
PH. : 211[illegible]

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

INCOME FROM RENT :

SCHEDULE - X.

PARTICULARS			YEAR ENDED 31.3.89 (Rs.)		YEAR ENDED 31.3.88 (Rs.)
(a) LEASE RENT :					
Gomti Nagar		68,17,907		60,43,688	
Kanpur Road		25,76,361		29,71,247	
Sitapur Road		31,43,827		21,21,305	
Aliganj		24,98,566		32,86,555	
Others		29,47,014	1,79,83,675	37,36,876	1,81,59,671
(b) RENT :					
(i) Shops:					
Janpath (Hazretganj)	42,87,414			36,80,154	
Chitwapur	37,26,737			7,51,712	
Nakhas	1,65,900			1,17,455	
Mahanagar	1,32,561			1,22,176	
I.T. College	1,04,074			1,37,920	
Others	2,64,498	86,81,184		2,15,137	
(ii) Buildings:		18,54,882		22,02,302	
		1,05,36,066		72,26,856	
ADJUSTMENT :					
Recd.Agst O/S (-)/Rent in arrear (+)		(-)6,07,000	99,29,066	(+) 58,647	72,85,503
TOTAL :-			2,79,12,741		2,54,45,174

40

B. C. JAIN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 24
GRAMS : COSTAT
PH : 21170 21148

15

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

SCHEDULE - XI

PREMIUM/OTHER INCOME:
(From Shops and Com.Complex etc.)

PARTICULARS		YEAR ENDED 31.3.89 (Rs.)	YEAR ENDED 31.3.88 (Rs.)
(a) INCOME FROM SHOPS/COM.COMPLEX :			
Kailash Kunj	1,64,99,541		
Gomti Nagar	19,60,453		
Kanpur Road	9,60,236		
Sitapur Road	86,046		
Others	80,280	1,95,86,556	82,39,699
(b) INCOME FROM PREMIUM :		13,78,329	9,78,654
		2,09,64,885	92,18,353
Less: Refunds		34,00,578	5,34,593
-: TOTAL :-		1,75,64,307	86,83,760

B. C. JAIN & CO. KANPUR Chartered Accountants

4

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : "COSTAUDIT"
PH. : 216390, 211697, 211943

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

SCHEDULE - XII

OTHER INCOME :

PARTICULARS	YEAR ENDED 31.3.89 (Rs.)		YEAR ENDED 31.3.88 (Rs.)	
(a) FEE, CHARGES & PENALITIES :				
Building Map Fee	4,29,458		4,58,799	
Betterment Charges	18,57,558		20,75,707	
Income from registration of documents	13,19,039		7,29,134	
Compounding/Penality for un-authoried - constructions	5,14,094		7,56,934	
Other Fee/Charges	7,98,629		10,36,530	
		49,19,378		50,57,104
(b) Income from Parks		4,71,096		8,97,147
(c) Income from Nazul (Accrued)		5,00,000		25,000
(d) Other Miscellaneous Income		11,44,702		44,20,959
-: TOTAL :-		70,35,176		1,04,00,210

B. C JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : 'COSTAUDIT'
PH. : 211380, 211487, 211543

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, LUCKNOW.

NOTES ON ACCOUNTS:
(Annexed to and forming part of the annual accounts for the Year 1988-89.)

1. BRIEF HISTORY OF THE FORMATION OF THE AUTHORITY :

In early stage housing and development works in Lucknow City were carried out by the Improvement Trust. There after, it started working as 'Development Wing' of Lucknow Nagar Mahapalika from February,1960 under Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Act, 1959. Subsequenty, in view of increasing population of the city and in order to carry out housing and development activities systematically and efficiently, Lucknow Development Authority, Lucknow was formed under notification no.2892/37-1-C 21 D.A. dated 13.9.71 issued by the State Government. In this way (manner) it was seperated from Mahapalika and started working as independent Statutory Board.

2. TRANSFER OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE DEVELOPMENT WING :

On the formation of the Authority, the entire assets and liabilities of the Development Wing were reported to have been transferred to the Authority. The Complete details where-of were, however, not available. For this reason the same were adjusted in the accounts only to the extent details were made available.

3. METHOD OF ACCOUNTING :

The accounts have been prepared basically on cash system of accounting excepting a few adjustments which were considered by us necessary viz unpaid compensation (including interest thereon) of land acquired, interest accrued on sinking fund investments, amount receivable against sales made on hire purchase basis, rent in arrear and income from nazul etc., have been made on accrual/mercantile basis. The amount of such adjustments have been worked out on the basis of information and explanations furnished to us which were, however, found in certain cases to be inadequate/incomplete. The opening balances have been taken on the basis of last Balance Sheet.

4. VALUATION OF TRADED PROPERTIES :

In the absence of complete details viz,nos./area of developed and un-developed plots and their cost/value and nos. of completed and incompleted building including shops etc., and their cost/value as at the close of the year, closing stock thereof has therefore been taken in accounts at estimated value.

5. SUNDRY DEBTORS AND LOANS & ADVANCES :

The balance appearing in the Sundry Debtors and Loans & Advances account are subject to reconciliation with the demand & collection registers and subsidiary ledgers respectively which were reported to be in complete. In addition to this, aforesaid balances are also subject to confirmation from the relative parties.

6. OFFICE AND ADMINISTRATIVE BUILDING:

The main Office and Administrative Building of the Authority is situated in Nazul Building. Pending formal transfer, cost of the same has not been adjusted in accounts. However, expenses incurred on additions/alterations are being compitalized.

7. COMMERCIAL COMPLEX :

The value of commercial complex/shops and parks etc. as shown in the Balance Sheet does not include cost of land whereupon they are situated since in certain cases, they have been constructed upon nazul land and formal transfer of which, is pending and in other cases cost of land was not readily available with a result aforesaid assets are understated to that extent.

(Conto..... (2)

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : 'COSTAUDIT'
PH. : 211386, 211487, 211643

B. C. JAIN & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
KANPUR - 208 001
GRAMS : 'COSTAUDIT'
PH. : 211386, 211487, 211643

08. FIXED ASSETS (MOVEABLE):
(Plant & Machinery, Equipments and Furniture etc.)

In the absence of complete quantitative detail of aforesaid assets, amount shown in the Balance Sheet is subject to reconciliation with sub/ stores Ledger, Further, since Fixed Assets have not been physically verified, the discrepancies, if any between physical stock and book balances was in-determinate. Plant and Machinery includes vehicles also. The detail showing no. of vehicles and their cost was , however, not submitted.

09. METHOD AND RATES OF DEPRECIATION :

The depreciation has been provided for on written down value method and at the rates as specified under Income Tax Act. Furtner, additions have been depreciated for five year irrespective of date or addition.

10. CONSTRUCTION MATERIALS STORES & SPARES :

The closing stocks of aforesaid items was noticed subject to further reconciliation and/or adjustment.

11. CASH AND BANK BALANCES :

In certain cases balances including deposits with banks were subject to confirmation and /or further reconciliation.

12. CONTINGENT LIABILITIES :

The amount of unexpired capital committments, counter guarantees, claims lodged but not acknowledged as debts, if any and security deposits received in form of F.D.R. from contractors was indeterminate/not readily available.

For B.C. JAIN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS.

(K.L. JETHWANI)
PARTNER.

PLACE : LUCKNOW
DATED : 30TH NOV., 79

विषय : दैनिक वेतन भोगी ड्राइवरों को ग्रीष्मकालीन एवं
शीतकालीन वर्दी दिये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या : लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी ड्राइवरों ने ग्रीष्मकालीन वर्दी दिये जाने का अनुरोध किया है । शासनादेश संख्या: 1991ल/18-1-91-21 जी-1/85 दिनांक: 11 फरवरी , 1991 में दैनिक वेतन भोगी ड्राइवरों को वर्दी दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

अत: दैनिक वेतन भोगी ड्राइवरों को ग्रीष्मकालीन वर्दी दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्देश हेतु प्रस्तुत है ।

5

कानपुर रोड नगर प्रसार योजना (भाग-3) के अन्तर्गत ग्राम- किला मोहम्मदी नगर स्थित" महाराजा बिजली पासी का किला " विषयक भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्धा में प्रस्ताव ।

कानपुर रोड नगर प्रसार योजना (भाग-3) के अन्तर्गत ग्राम- किला मोहम्मदीनगर स्थित"महाराजा बिजली पासी का किला "की भूमि बीघा 30-18-10-0 (19.32 एकड़) अर्जित की गयी थी। उक्त भूमि में बीघा 5-15-3-0 भूमि बंजर दर्ज है, जो किसी के नाम अंकित नहीं है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा बीघा 25-3-7-0 भूमि का हितबद्ध व्यक्तियों को धनांक= 18, 23, 216.48 का प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है। उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मेसर्स अन्सल हाउसिंग एण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन को विकसित करने हेतु लाईसेंस के आधार पर आबंटित की गयी है।

"राजा बिजली पासी किला का संरक्षण" विषयक मामलें में निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक: 3.7.91 द्वारा यह इंगित किया है कि "ऐसे प्राचीन स्थलों के संरक्षण और उसके परिदृष्य को यथावत बनाये रखने के लिए यह उचित होगा कि इसके अंदर भवन निर्माण का कार्य न किया जाये। इसके स्थानीय महत्व को दृष्टिगत रखकर इसका स्वरूप यथावत रखते हुए इसको पार्क में परिवर्तित कर एक स्मारक का स्वरूप दे दियाजाये"

जहाँ तक पार्क का सुझाव है इस किले के ठीक सामने कई एकड़ भूमि बन विभाग के संरक्षण में बृहद पार्क एंव झील के उपयोग हेतु आरक्षित है। इसके अतिरिक्त मेसर्स अंसल द्वारा जो भूमि सुनियोजित रूप से विकसित की जा रही है उसमें भी पार्को का प्राविधान है। अतएव सम्पूर्ण क्षेत्र में पार्को का विकास करने से क्षेत्रीय आवासीय समस्या कुप्रभावित होगी। पूर्व में शासन ने स्थल का निरीक्षण एंव स्थिति का विश्लेषण करने के उपरांत दिनांक: 13.6.91 को यह निर्णय लिया था कि केवल तीनखम्भों वाले टीले की भूमि, पुराने पक्के निर्माण की भूमि एंव जहाँ पर मूर्ति लगी है उस भूमि को छोड़ कर अवशेष अधिग्रहीत भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत कार्य करें।

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश का उपरोक्त सुझाव लखनऊ विकास प्राधिकरण के हित में नही है, क्योंकि उक्त भूमि के अधिग्रहण के पश्चात विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारीद्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को अब तक रूपये-18, 23, 216.48 पैसे का प्रतिकर भुगतान भी किया जा चुका है एवम्

क्रमश:-2

उक्त भूमि लाइसेन्स के आधार पर मेसर्स अन्सल हाउसिंग को निर्माण/विकास कार्यों हेतु भी हस्तगत की जा चुकी है।

अतः योजना की महत्ता एंव कार्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय पत्र संख्या: 3675/11-5-51-214डी0ए0/91 दिनांक: 13. 6. 91 में वर्णित आदेश के क्रम में कार्यवाही करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

संख्या: 3675/11-5-91-214डी. ए. /91

प्रेषक,

श्री डी० पी० दीक्षित,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

आवास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: जून, 1991

विषय:- ग्राम किला मोहम्मदीनगर (निकट बंगला बाजार) स्थित राजा बिजली पासी का किला एंव उससे संलग्न भूमि का प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना भाग-3 के अन्तर्गत अधिग्रहण ।

महोदय,

उपर्युक्तप्रकरण पर आख्या/ संस्तुति देने हेतु विशेष सचिव, आवास के संयोजकत्व में गठित समिति के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आख्या/ संस्तुति पर सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

" विधिवत अधिग्रहीत उक्त भूमि पर योजनान्तर्गत कार्य करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अनुमति प्रदान की जाये और केवल तीन खम्भों वाले टीले की 50×50 भूमि, पुराने पक्के निर्माण की 25×25 भूमि और जहाँ पर मूर्ति लगी है उसकी 10×10 भूमि को छोड़ दिया जाये। लखनऊ विकास प्राधिकरण से यहअपेक्षा भी की जा सकती है कि जो भूमि छोड़ी जानी प्रस्तावित है उसे वह राज्य पुरातत्व संगठन के सहयोग से यथा-सम्भव अनुरक्षित करने एंव उसे सुदंर बनाने के कार्यसम्पादित कराये जिससे ग्राम वासी एंव पासी जागृति मण्डल संतुष्ट रहे"

उपरोक्त निर्णयानुसार शासन के अर्द्ध०शा० पत्र सं०- 19सी. एम./ 11-5-214डीए./87, दिनांक: 16. 1. 89 द्वारा लगायी गयी रोक समाप्त करते हुए आपसे यह अनुरोध करना है कि लिये गये निर्णय के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने और प्रगति से शासन को अवगत कराने की कृपा की जाये।

भवदीय,

(डी० पी० दीक्षित)
अनु सचिव,

§ 2 §

संख्या:- §1§/11-5-91-14डी0ए0/87 तद्दिः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतुप्रेषित:-

1. निदेशक, सांस्कृतिककार्य विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन लखनऊ ।
2. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, कैसरबाग, लखनऊ ।
3. मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4
4. सांस्कृतिक कार्य अनुभाग ।

आज्ञा से

§ डी0 पी0 दीक्षित §
अनु सचिव,

स्थानीय बंगला बाबार के निकट स्थित ग्राम किला मोहम्मदीनगर में अत्यन्त ध्वस्तदशा में एक खण्डहर विद्यमान है जिसे उक्त ग्रामवासी तथा पासी जागृति मण्डल के पदाधिकारी एंव सदस्यगण राजा बिजली पासी का किला कहते है। उक्त तथा कथित किला और उससे सम्बद्ध भूमि का कुल क्षेत्रफल 30 बीघा 18 विस्वा 10 विस्वांसी (19.32 एकड़) है जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3 के अन्तर्गत अधिग्रहीत किया गया है। इसमें से 5 बीघा 15 विस्वा 3 विस्वांसी भूमि बंजर है जो किसी के नामअंकित नही है और शेष 25 बीघा 3 विस्वा 7 विस्वांसी भूमि 31 खातेदारों के नाम दर्ज थी, जिन्हें रूपये-18, 23, 216.48 का भुगतान प्रतिकर के रूप में करके सम्पूर्ण भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है। इस बीच पासी जागृति मण्डल तथा कुछ अन्य महानुभावों द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि ऐतिहासिक एंव सास्कृतिक महत्व के उक्त किले व उससे सम्बद्ध भूमि का अधिग्रहण न किया जाये और किले का स्थानीय एंव पुरातात्विक महत्व दृष्टिगत रखते हुए उसका अनुरक्षण एंव सौन्दर्यीकरण सुनिश्चित किया जाये। शासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी किये गये कि अग्रिम आदेशों तक किला एंव संलग्न भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के अन्तर्गत कोई कार्य न किया जाये।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस बात पर निरन्तर जोर दिया जाता रहा है कि शासन द्वारा लगायी गयी रोक को समाप्त किया जाये क्योंकि उक्त भूमि प्राधिकरण की योजना के बीच में पड़ती है जिसके कारण योजना के कार्य में अवरोध उत्पन्न हो गया है।

इस प्रकरण पर स्थल निरीक्षण करके आख्या/संस्तुति देने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञापन सं0-861सी. एम./11-5-90-214डी. ए./87, दिनांक: 7-12-90 द्वारा निम्नानुसार एक समिति गठित की गयी:-

1. श्री आर0 के0 शर्मा, विशेष सचिव, आवास.....अध्यक्ष,
2. श्री अशोक कुमार, निदेशक सांस्कृतिक कार्य विभाग.....सदस्य
3. श्री दिनेश राय, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण.....सदस्य

उक्त समिति द्वारा दिनांक: 18.4.91 को तथा कथित बिजली पासी के किला तथा उससे संलग्न भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय, विशेष सचिव, आवास श्री राकेश तिवारी, निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य

...2

पुरातत्व संगठन/श्री ए. के. सिंह राठौर, निदेशक, सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि स्वरूप श्री आर. एन. सिंह संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण उपस्थित थे,। निरीक्षण के समय श्री बी० के सिंह, संयुक्त सचिव, आवास, श्री डी०पी०दीक्षित, अनु सचिव, तथा श्री आर० डी० शर्मा, सहायक अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण भी समिति के साथ थे। उक्त दल द्वारा ध्वस्त खण्डहर एंव टीलों के रूप में विद्यमान पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। स्थल के अवलोकन से यह बात स्पष्ट हुई कि किसी समय वहाँ किले जैसे कोई निर्माण अवश्य रहा होगा, किन्तु इस समय सम्बन्धित क्षेत्र के चारों ओर मिट्टी के कटे-पिटे ऊचे टीले है, एक टीले पर जो खुर्ज सा प्रतीत होता है, लखौरी ईंटे के बने तीन खम्भे है- एक स्थान पर थोड़ा पुराना सा पक्का निर्माण है तथा एक स्थान पर एक मूर्ति लगी हुई है, जिसे कुछ ग्राम वासियों के हाल में ही स्थापित की गयी राजा बिजलीपासी की मूर्ति बताया। अधिकाश समतल भूमि पर अधिग्रहण के समय तक सम्बन्धित खातेदारों द्वारा खेती की जाती है, जिसके साक्ष्य रूप में मेड तथा सिंचाई की नालिया आज भी है।

उक्त तथा कथित किला की स्थिति ऐसी नहीं प्रतीत हुई कि उसे पुरातत्व संगठन अपने अनुरक्षण में लें। पुरातत्व संगठन के पास इस प्रकार के ध्वस्त क्षेत्र को अनुरक्षण में लेने और उसके सौन्दर्यीकरण पर होने वाले भारी व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक प्राविधान भी उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक लखनऊ विकास प्राधिकरण का प्रश्न है उसने उक्त भूमि एक निर्माण के पक्ष में आबंटित कर दिया है जिसका कार्य शासन से रोक लगाये जाने के कारण अवरूद्ध हो रहा है।

समिति की सर्वसम्मत राय है कि विधिवत अधिग्रहण उक्त भूमि पर योजनान्तर्गत कार्य करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अनुमति प्रदान की जाये और केवल तीन खम्भों वाले टीले की 50×50 भूमि पुराने पक्के निर्माण ए25"×25" भूमि और जहाँ पर मूर्ति लगी हुई है उसकी 10"×10 भूमि को छोड़ दिया जाये। लखनऊ विकास प्राधिकरण से यह अपेक्षा भी की जा सकती है जो भूमि छोड़ी जानी प्रस्तावित है उसे वह राज्य पुरातत्व संगठन के सहयोग से यथा सम्भव अनुरक्षित करने एंव उसे सुंदर बनाने के कार्य सम्पादित कराये जिससे ग्रामवासी एंव पासी जागृति मण्डल संतुष्ट रहे तथा प्राधिकरण के कार्य में व्यवधान भी न हो ।

विषय:- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित लखनऊ महायोजना 2011 में गोमती नगर योजना के भू-उपयोग में आंशिक परिवर्तन के संदर्भ में ।

आख्या: मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा पूर्व में तैयार की गयी महायोजना 1995 की संशोधित महायोजना 2011 पुनः तैयार की गयी है । प्रस्तावित महायोजना 2011 के अन्तर्गत गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड के दक्षिण तथा गोमती नदी के पूरब की ओर प्रस्तावित भू-उपयोगों में निम्नवत् आंशिक संशोधन प्रस्तावित हैं :-

क्र0सं0	नई महायोजना 2011 के अन्तर्गत प्रस्तावित भू-उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़)	स्थिति	आंशिक संशोधन के पश्चात् प्रस्तावित भू उपयोग एवं क्षेत्रफल (एकड़)
1	2	3		4
1.	(क) पार्क एवं क्रीड़ा हेतु स्थल.	109 एकड़		(क) एस-2 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था हेतु 51 एकड़
	(ख) खण्डीय विपणन केन्द्र हेतु स्थल ।	10 एकड़		(ख) सी-4 खण्डीय विपणन केन्द्र हेतु 14 एकड़
				(ग) पी-1 पार्क एवं क्रीड़ा हेतु 54एकड़.

टिप्पणी:- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा तैयार की गयी महायोजना 2011 में सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र हेतु भूमि गोमती नगर योजना के मध्य में आरक्षित होने के कारण ट्रेड फेयर अथारिटी द्वारा स्थल को अधिक उपयुक्त न समझा गया तथा उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि इस प्रकार की संस्थाओं हेतु रेलवे लाइन के नजदीक तथा आबादी के क्षेत्र से हटकर एकान्त जगह आरक्षित रखी जाय तो उपयुक्त होगा तदनुसार नये स्थल का चयन प्रस्तावित है ।

(11) खण्डीय विपणन केन्द्र हेतु पूर्व में 10 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी थी लेकिन इस स्थल की भूमि की अधिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि पूर्व में आरक्षित खण्डीय विपणन हेतु 10 एकड़ भूमि को बढ़ाकर 14 एकड़ कर दिया जाय तथा अतिरिक्त 4 एकड़ भूमि इसी क्षेत्र में आरक्षित उप नगर वाणिज्य क्षेत्र (क्षेत्रफल 106 एकड़ में से कम कर, शेष भूमि का नियोजन किया जाये ।

क्रमशः 2

2.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था हेतु स्थल.	76.0एकड़ विशाल खण्ड के दक्षिण की ओर 30 मी0चौड़ी सड़क से लगी भूमि .	सी-3 उपनगर वाणिज्य केन्द्र 51.0 एकड़ पी-1 पार्क एवं क्रीड़ा स्थल 7.5एकड़ आर-2 मध्यम आवासीय क्षेत्रफल 17.5एकड़

टिप्पणी:- प्रस्तावित महायोजना 2011 के अन्तर्गत उप नगर वाणिज्य केन्द्र को रेलवे लाइन की उत्तर की ओर 30मीटर चौड़ी सड़क के किनारे पर प्रस्तावित किया गया था । यह 30 मीटर चौड़ी सड़क से ला-मार्टिनियर कालेज को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है लेकिन गोमती नदी पर पुल न बनने के कारण अब इस सड़क को बंधा रोड के साथ ही मिलाकर रिंग रोड से जोड़ दिया जायेगा चूँकि इस सड़क पर ट्राफिक का आवागमन न होने के कारण उप नगर वाणिज्य केन्द्र को इस स्थल पर रखना उपयुक्त न समझा गया । इस स्थल को प्रस्तावित महायोजना 2011 में आरक्षित एस-2 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं हेतु आरक्षित क्षेत्रफल पर स्थानान्तरित किया जाना अधिक उचित समझा गया तथा विचारोपरान्त यह उचित पाया गया कि 109 एकड़ व्यवसायिक स्थल के विकास की कोई आवश्यकता नहीं है तथा उपनगर वाणिज्य केन्द्र का कुछ हिस्सा (51 एकड़) मध्यम आवासीय के रूप में विकसित कर दिया जाय । अतः 17.5 एकड़ का एक टुकड़ा पूर्व में आरक्षित सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं की भूमि में तथा दूसरा हिस्सा 33.5 एकड़ महा-योजना 2011 में आरक्षित सी-3 उपनगर वाणिज्य केन्द्र में समायोजित कर दिया गया ।

3.	उपनगर वाणिज्य केन्द्र	106 एकड़ फैजाबाद रेलवेलाइन के उत्तर की ओर 30 मी0चौड़ी सड़क पार्क एवं क्रीड़ा स्थल की पूरब की ओर 30 मी0 तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था हेतु 76.0एकड़ के आरक्षित की ओर 30मीटर चौड़ी सड़क से लगा हुआ स्थान ।	एस-2सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था हेतु 25 एकड़ पी-1 पार्क एवं क्रीड़ा हेतु 47.5 एकड़ आर-2 मध्यम आवासीय हेतु 33.5 एकड़ ।

क्रमशः 3

टिप्पणी:- पूर्व में आरक्षित सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था हेतु 76.0एकड़ में से 50 एकड़ भूमि को ट्रेड फेयर एथारिटी के निर्देशानुसार इन्दिरा-गाँधी प्रतिष्ठान की दक्षिण की ओर समायोजित कर दिया गया तथा अवशेष 25 एकड़ भूमि का समायोजन इस क्षेत्र में किया जा रहा है ।

2. पार्क एवं क्रीड़ा हेतु आरक्षित स्थल दक्षिण की ओर 109 एकड़ भूमि में से 54 एकड़ को उसी क्षेत्र में समायोजन करके 47.5एकड़ को उप नगर वाणिज्य केन्द्र तथा 7.5एकड़ को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था हेतु आरक्षित क्षेत्रफल में समायोजन कर दिया गया । इस तरह पार्क एवं क्रीड़ा हेतु महायोजना में आरक्षित क्षेत्रफल में कोई वृद्धि या कमी नहीं की गयी है ।

मध्यम आवासीय हेतु 33.5 एकड़ भूमि का प्राविधान उपरोक्तानुसार किया जा रहा है ।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त "विनीत खण्ड"(गोमती नगर योजना) के अन्तर्गत लखनऊ महायोजना 2011 में 100 एकड़ भूमि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था हेतु आरक्षित की गयी थी । इस क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था हेतु इतने बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता का प्राविधान उचित प्रतीत नहीं होता है । इस संदर्भ में विकास प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त यह उचित समझा गया कि उपरोक्त हेतु आरक्षित 100एकड़ भूमि में 40एकड़ सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था हेतु एवं अवशेष 60एकड़ भूमि का भू-उपयोग आवासीय (मध्य घनत्व) में आंशिक परिवर्तन कर दिया जाय ।

क्र0सं0	नई महायोजना 2011 के अन्तर्गत प्रस्तावित भू-उपयोग.	क्षेत्रफल (स्थिति)	आंशिक संशोधन के पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल (एकड़)
(4)	सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था हेतु स्थल.	100एकड़ क. (विनीत खण्ड के ख. उत्तर की ओर प्रस्तावित 24मी0 चौड़ी सड़क तथा फैजाबाद रेलवे लाइन के पश्चिम की ओर स्थल)	आर-2आवासीय 60एकड़ एस-2सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था हेतु 40 एकड़

अतः बोर्ड के समक्ष उपरोक्त प्रस्ताव संशोधित महायोजना 2011 के अन्तर्गत गोमती नगर योजना के भू-उपयोगों (संलग्न अभिन्यास चित्र) में आंशिक परिवर्तन हेतु प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 12 (अ) पृष्ठ संख्या: 56

विषय: प्राधिकरण के गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में पार्क हेतु आरक्षित 1400 वर्ग मीटर भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

आख्या: लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड का अभिन्यास चित्र विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया । इस अभिन्यासचित्र के अनुसार ग्रेवयार्ड के उत्तर की ओर तथा ग्रेवयार्ड से सटी सीमा पर एक पार्क जिसका क्षेत्रफल लगभग 1400 वर्ग मीटर है का प्राविधान किया गया । पार्क की स्थिति को विशाल खण्ड के अभिन्यास चित्र पर लाल रंग से प्रदर्शित कर बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है । इस पार्क का ग्रेवयार्ड के साथ लगे होने के कारण कोई उचित उपयोग प्रतीत नहीं होता है । इस संदर्भ में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में विचार-विमर्श हुआ तथा पार्क वाली भूमि की अनुपयोगिता को देखते हुए यह उचित समझा गया कि इस पार्क पर लगभग 200 वर्ग मीटर के 7 भूखण्ड सृजित कर दिये जायें तथा पूर्व से गोमती नगर योजना के अन्तर्गत असफल आवेदकों को (जिनकी भूमि विवादित, कब्रिस्तान की भूमि होने अथवा जगह उपलब्ध न होने के कारण) भूखण्ड उपलब्ध न हो पाये हों, को पार्क के स्थान पर सृजित किये गये भूखण्डों में समायोजित कर दिये जायें । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो क्षेत्रफल पार्क का भूखण्डों के उपयोग हेतु लाया जायेगा उसके स्थान पर विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर फेज-2 के अन्तर्गत राज्य - कर्मचारियों हेतु योजना में अतिरिक्त पार्क के रूप में व्यवस्था कर दी जाएगी ।

अत: यह प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड के अन्तर्गत ग्रेवयार्ड के उत्तर की ओर पार्क हेतु आरक्षित 1400 वर्ग मीटर भूमि के भू-उपयोग को पार्क से आवासीय में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत है ।

विषय: आई0बी0पी0 कम्पनी को पेट्रोलियम प्रोडेक्ट के बल्क स्टोरेज हेतु अमौसी रेलवे स्टेशन के समीप लगभग 19.5 एकड़ भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

आख्या: आई0बी0पी0 कम्पनी लि0 द्वारा पेट्रोलियम प्रोडेक्ट के बल्क स्टोरेज हेतु अमौसी रेलवे स्टेशन के समीप लगभग 19.5 एकड़ भूमि के भू-उपयोगकेा कृषि से बल्क स्टोरेज में परिवर्तन करवाने के लिये अनुरोध किया गया है । प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण द्वारा फिलहाल अर्जित नहीं की गयी है । उपरोक्त भूखण्ड के स्थल का मानचित्र प्रस्ताव के साथ अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रश्नगत भूखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न गजरा नं0, क्षेत्रफल आदि का ब्योरा निम्नलिखित है:-

खाता नं0	खतौनी नं0	क्षेत्रफल
943	495, 496, 497, 498, 499 500, 501, 502, 503, 504, 505, क1, 506, 507-क1, 508, 510	12 बीघा 5 बिस्वा एवँ 18 बिसवांसी
664	492	12 बीघा, 12 बिसवा एवँ 4 बिसवांसी
384	491	6 बीघा, 5 बिसवा एवँ 6 बिसवांसी
	कुल क्षेत्रफल	31 बीघा 3 बिसवा एवँ 8 बिसवांसी अनुमानित 19.5 एकड़

आई0बी0पी0 कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा जब यह जानकारी की गयी कि क्या पूरी भूमि का स्वामित्व कम्पनी के पास है, तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि यदि शासन भूमि के परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर देगा तो भूमि क्रय कर ली जायेगी । किसानों से निगोसीयेशन हो रहा है । क्योंकि भारत सरकार का यह एक उपक्रम है अत: यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि यदि उक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रश्नगत भूखण्ड का भू-प्रयोग बल्क-स्टोरेज हेतु कर दिया जाय और यदि आई0बी0पी0 कम्पनी प्रश्नगत भूखण्ड को क्रय करने में सक्षम नहीं है तो भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही रद्द समझी जाये ।

अत: उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक के समक्ष विचारार्थ एवँ आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 11 पृष्ठ संख्या: 55

विषय:- अभिनय रिपरटरी थियेटर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-5 में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 10जुलाई, 91 के प्रस्ताव संख्या:20 के पृष्ठ संख्या:58 पर अभिनय रिपटरी थियेटर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो भारत सरकार की एक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है, को लगभग 5,000 वर्ग मीटर भूमि दिये जाने का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था तथा संस्था को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आवँटित मनीषा मंदिर की भाँति आवासीय दर की आधी दर पर भुगतान पद्धति के आधार पर आवँटन करने हेतु निर्णय लिया गया । प्राधिकरण ने अपनी उपरोक्त बैठक में निर्णय लिया कि भूमि की माँग का पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव के रूप में अगली बैठक में रखा जाय । संस्था द्वारा जो विवरण उपलब्ध करवाया गया है, की फोटो प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है जिसके अन्तर्गत 54,232वर्गफिट की माँग की गई है, तकनीकी दृष्टि से यह माँग उचित प्रतीत होती है ।

अत: यह विषय प्राधिकरण के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-5 में संस्था हेतु आवँटित भूमि में से अभिनय रिपटरी थियेटर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ को लगभग 55,000 वर्गफिट भूमि आवँटित करने पर विचार किया जाय ।

विषय:- गोमती नगर योजना के विनीत खण्ड में प्रस्तावित 30मीटर चौडी सड़क के महायोजना में एलाईमेंट में परिवर्तन के संबंध में ।

आख्या:- लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के "विनीत खण्ड" के अन्तर्गत जुडीशरी विभाग को लगभग 2।एकड़ तथा स्टोल एथार्टी आफ इण्डिया को लगभग ।0एकड़ भूमि आवँटित की गयी । उपरोक्त दोनों भूखण्डों की स्थिति स्पष्ट रूप से संलग्न अभिन्यास चित्र पर अंकित कर दी गयी है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोनों भूखण्ड 30मीटर चौड़ी सड़क महा-योजना सड़क पर स्थित है । स्थल पर कुछ तकनीकी कारणों से महायोजना में दर्शायी गयी 30मीटर चौड़ी सड़क के एलाईमेंट को परिवर्तित करना कार्य-हित में उचित प्रतीत होता है । इस संदर्भ में प्रस्तावित 30मीटर चौड़ी सड़क को भी संलग्न अभिन्यास चित्र पर स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया गया है । महायोजना सड़क का एलाईमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानान्तरित करने पर नियोजन की दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है । चूँकि यह परिवर्तन महायोजना से संबंधित है अब यह आवश्यक एवँ उचित प्रतीत होता है कि प्रश्नगत सड़क के एलाईमेंट में परिवर्तन की अनुमति शासन से प्राप्त की जाये ।

अत: यह प्रस्ताव उपरोक्तानुसार महायोजना सड़क के एलाईमेंट में आंशिक परिवर्तन हेतु बोर्ड के समक्ष विचारार्थ, अनुमोदनार्थ एवँ स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

विषय:- श्रीमती मंजुल अग्रवाल पत्नी श्री नरेश अग्रवाल, विधायक-हरदोई को आवंटित सीतापुर रोड योजना के भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना के नेहरू इन्कलेव या विशेष खण्ड में भूखण्ड परिवर्तन करने के सम्बन्ध में बैठक के विचारार्थ प्रस्ताव ।

प्रस्ताव : श्रीमती मंजुल अग्रवाल को सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर "ए" में भूखण्ड संख्या-बी-2/392 दिनांक 31.07.87 को नगद मूल्य पर आवंटित किया गया था । बी. टाइप भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 306.70 वर्ग मीटर था, जिसकी रजिस्ट्री पूर्ण भुगतान करने पर दिनांक: 13.2.90 को उनके पक्ष में की जा चुकी है । अब श्रीमती मंजुल ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि उक्त भूखण्ड का स्थल उन्हें अत्यन्त दूर पड़ता है । प्रार्थिनी सीतापुर रोड योजना के भूखण्ड संख्या: बी-2/392 के स्थान पर गोमती-नगर योजना के नेहरू इन्कलेव या विशेष खण्ड में परिवर्तित कराकर भूखण्ड लेना चाहती है, तथा भूखण्ड परिवर्तन कराने पर रजिस्ट्री पर आने वाला व्यय आदि स्वयं वहन करने को तैयार है ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण के नियमों के अनुसार एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड/भवन परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में श्रीमती मंजुल अग्रवाल को आवंटित भूखण्ड को गोमती नगर योजना के नेहरू इन्कलेव या विशेष खण्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 15 पृष्ठ संख्या: 60

विषय:- कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर"डी", एफ" एवँ "जी"में भूतल के आवँटियों को प्रथम तल पर भवन आवँटित किये जाने के संबंध में ।

कानपुर रोड योजना में सेक्टर"डी", "एफ" एवँ "जी" में क्रमश: 1328, 256, 1248 भवन निर्मित हैं । इन सेक्टरों में पहले सामान्य वर्ग के आवँटियों को भवन आवँटित किये गये, लेकिन बाद में भवनों में अध्यासन की स्थिति अच्छी न होने के कारण यह तीनों सेक्टर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कर दिये गये । ये तीनों सेक्टर दो मंजिले हैं । जिन सामान्य श्रेणी के आवँटियों को भूतल पर भवन आवँटित किये गये हैं, उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रथम तल पर निर्मित भवन भी उन्हीं के पक्ष में आवँटित कर दिये जायें ।

दिनाँक: 5.2.91 को भवनों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि बहुत से ई.डब्लू.एस. भवनों के अनधिकृत कब्जे हैं । इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति भूतल पर रह रहा है, भवन के खाली पड़े रहने के कारण उसने प्रथम तल पर भी अनाधिकृत कब्जा कर लिया है । मौके की स्थिति के अनुसार यदि प्रथम तल पर निर्मित भवन भूतल के आवँटी को आवँटित नहीं किया जाता है तो ये भवन पूर्ववत् रिक्त पड़े रहेंगे, जिससे प्राधिकरण को काफी वित्तीय हानि हो रही है । सामान्यत: आज भी प्रथम तल पर भवन लेने में जन समुदाय की रूचि नहीं है ।

यद्यपि प्राधिकरण में एक ही परिवार को एक ही भवन आवँटित करने का प्राविधान है, फिर भी अपरिहार्य परिस्थितियों में भूतल के सामान्य श्रेणी के आवँटियों को प्रथम तल पर निर्मित भवन आवँटित किये जाने हेतु प्रस्ताव विकास प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

आवँटन हेतु समस्त नियम व शर्तें भूतल वाली ही रहेंगी । भूतल के आवँटी से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की दशा में सीधे पंजीकरण कर प्रथम तल पर निर्मित भवन आवँटित किया जा सकेगा । यह नीति आरक्षित वर्ग पर भी यथावत् लागू होगी, मात्र प्रथम तल के लिये रू0-5,000/=00 का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इन्जीनियर्स संघ, लखनऊ

(रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन उ०प्र० द्वारा पंजीकृत)

पंजीकरण संख्या–7695

पत्रांक .....

दिनांक .....

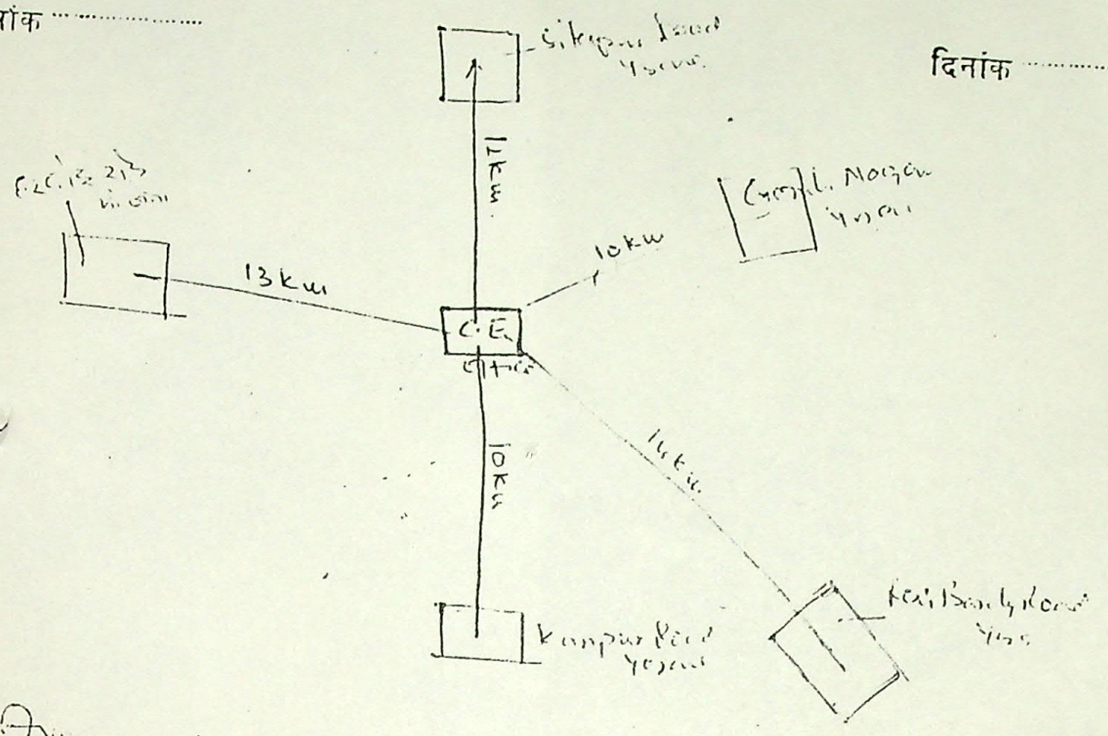

Average distance = $\frac{13+12+10+16+10}{5} = \frac{60}{5}$ = 12 km.

To & Fro Distance = 12+12 = 24km Pr day

Distance Travelled in a month = 30 × 24 = 720 km.

average consumption of a two wheels = 30 km. Pr. litre

So Required quantity of Petrol in a month = $\frac{720}{30}$ = 24 litre

Cost of Petrol in a month

= 24 × 16/75 Pr. litre = 402.00

Maintenance charges Pr month = 50.00

Rs. 452 = 00

Say 450/- Pr. month.

(B.M. SRIVASTAVA)
President

लखनऊ विकास प्राधिकरण की होने वाली आगामी बैठक में विचारणीय विषयो की अनुपूरक कार्य सूची :-

---

1. श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल एवं डा० जगदीश चन्द्र अग्रवाल को उनकी भूमि के बदले गोमती नगर योजना में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में । 01

2. लखनऊ विनियमित क्षेत्र में लागू शमन शुल्क की दरों व निर्देशों को संशोधित किये जाने हेतु उप विधियाँ । 04

3. बजट की प्रत्याशा में भुगतान हेतु अनुमोदन । 09

4. जनसेवक कार्यालय लि०, [illegible] दि टाइम्स आफ इंडिया तथा नवभारत टाइम्स को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित । 10

5. लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी आवास समितियों को भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में । 14

6. गोमती नगर योजना में मे० इंडियन होटल (ताज) को आवंटित भूमि से संलग्न ग्रीन बेल्ट की भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित । 19

7. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

विषय:- श्री ततीश चन्द्र अग्रवाल एंव डा0 जगदीश चन्द्र अग्रवाल को उनकी भूमि के बदले गोमती नगर योजना में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या:-

उपरोक्त विषयक मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.11.91 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके प्रस्ताव संख्या-19 में बोर्ड की बैठक द्वारा यह निर्णय लिया गया:-

"विचार-विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विधिक राय ले ली जाये कि इस भूमि का अब अर्जन किया जा सकता है अथवा नहीं, और यदि अर्जन कार्यवाही सम्भव है तथा इससे माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं होती है तो अर्जन हेतु कार्यवाही की जाये। यदि इस प्रकार की कार्यवाही से माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना होने की सम्भावना हो तो प्रश्नगत भूमि की स्कीम के अर्जन के समय की दर से अर्जन राशि की गणना कर ली जाये और उसमें अब तक की अवधि के ब्याज को जोड़कर जो राशि बनती है वह पक्ष को दे दी जाये या इस धनराशि के बराबर का मूल्य का भूखण्ड वर्तमान दरों पर दे दिया जाये"।

2. बोर्ड के निर्णयानुसार इस प्रकरण में विधिक राय ले ली गयी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि अबपुनः विवादित खसरा सं0- 298 की भूमि को अर्जित करना प्राधिकरण हित में नहीं है क्योंकि ऐसा करने से विधान की धारा 300ए का उल्लंघन होगा और इस प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा एच. ए. एल. दोनों की ही गलती रिकार्ड हो जायेगी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित नहीं ठहराया जायेगा। विधिक राय में यह भी मत व्यक्त किया गया है कि याचीगणों की लम्बित प्रार्थना के आधार पर उन्हें उनकी भूमि के बदले गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड फेज-1 में ही भूमि उपलब्ध करा दी जाये। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश दिनांक: 16.1.92 द्वारा यह निर्देशित किया है कि याचीगणों को उनकी भूमि के समीप गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड फेज-1 में ही भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अगली बैठक में निर्णय लेकर माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराये। आदेश की प्रति संलग्न है। अब इन मामले में पुनः सुनवाई की तिथि दिनांक: 14.2.92 निर्धारित है।

3. चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की गलती है कि भूमि का अर्जन किये बिना ही उक्त सम्पत्ति एच. ए. एल. को हस्तांतरित / विक्रय कर दी गयी अतएव याचीगणों से समझौता करना ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के हित में है। इस विषय में निम्न अनुमति की जाती है:-

..2

पृष्ठ - 2

(1) चूंकि याचीगणों को भूमि का कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा, अतएव उनसे कच्ची भूमि की लागत नहीं ली जायेगी।

(2) चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण को किसी भी योजना में अधिकतम 55% से 60% तक ही बिक्री योग्य क्षेत्रफल होता है, अतः उपरोक्त 8 बिस्वा भूमि (10,650वर्ग फिट) के विपरीत 6000वर्ग फिट भूमि आबंटित कर दी जाये।

(3) याचीगणों ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांकः 1.6.91 द्वारा यह सूचित किया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्ष 1982 से तथाकथित भूमि पर कब्जा है, अतः उपरोक्त भूमि के बदले जो भूमि दी जाये उस पर 1982 का विकासशुल्क लिया जाये। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि वर्ष 1985 में एच. ए. एल. को भूमि हस्तांतरित की गयी थी, अतः उससे पहले यह माना जाना कि उस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का कब्जा था, कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। अतः वर्ष 1985 में प्रचलित विकास दर के अनुसार विकास व्यय ले लिया जाये। वर्ष 1985 में विकास व्यय दर रूपये 150.00 प्रति वर्ग मीटर थी।

(4) चूंकि यह भूमि आबंटित की जायेगी, अतः इस सम्बन्ध में लीज डीड के सम्बन्ध में जो भी व्यय होगा, वह याचीगणों द्वारा ही वहन किया जायेगा।

(5) एच. ए. एल. को वर्ष 1985 में आवासीय दर पर रूपये-179.65 प्रति वर्ग मीटर की दर पर भूमि दी गयी थी और यह भूमि व्यवसायिक न होकर आवासीय थी। याचीगणों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को यह सूचित करने पर कि गोमतीनगर फेज-1 के विभूति खण्ड में रिक्त भूमि उपलब्ध है जो याचीगणों की भूमि के सन्निकट है तथा उस भूमि को याचीगणों को देने पर विचार किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण की अगली बैठक में याचीगणों को दी जाने वाली भूमि को Identify/तसकीद करने का निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि विभूति खण्ड व्यवसायिक है जबकि याचीगणों की भूमि एच. ए. एल. को आवासीय दर पर आबंटित की गयी थी ऐसी दशा में प्राधिकरण हित को दृष्टिगत रखते हुए याचीगणों को गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में उनकी भूमि के सन्निकट 6,000वर्ग फिट आवासीय भूमि यथा संभव दे दी जाये।

(6) याचीगणों को माननीय उच्च न्यायालय से अपना वाद वापस लेना होगा। अतः प्राधिकरण कृपया निर्णय लेने का कष्ट करें।

स्थायी अधिकारी-अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

LUCKNOW BENCH LUCKNOW.

WRIT PETITION NO. 1821 of 1991 M/B.

1.Satish Chandra Agarwal,

2.Dr.Jagdish Chandra Agarwal,

....Petitioners.

Vs.

1.State of U.P. through the Secretary, Nagar Vikas, Govt. of U.P. Janpath Complex, Lucknow.

2.Land Acqusition Officer, Sharda Sahayak Pariyojna Room No.28, Collectorate, Lucknow.

3.L.D.A. through its Secretary, Jagdish Chandra Bose, Marg, Lucknow.

4.H.A.L. Faizabad Road, Ghazipur, Lucknow through its Managing, Director,

5. Collector, Lucknow. ...Opp.Parties.

APPLICATION FOR STAY

LUCKNOW DATED 16.1.1992.

Hon'ble J.K.Mathur, J.

Hon'ble K.L.Sharma, J.

Heard the learned counsel for the parties. Notifications were issued for acquisition of the Land belonging to the petitioner, but no award having been made Under the Land Acquisition Act, the proceedings, stand dropped. It is not disputed that the petitioner is now entitled to land in lieu of the Land taken and handed over to H.A.L. It is, therefore, hereby directed that Lucknow Development Authority, shall take a decision in its next meeting about the identify of the land of which the possession has to be given to the petitioner in lieu of the Land of which the possession was taken by the Lucknow Development, Authority.

Learned counsel for the petitioner states that the vacant land is available in Vibhuti Khand in Gomti Nagar, Phase, I which is near the land of which the possession has been taken by the opposite parties, and part of that land may be considered, for giving to the petitioner.

Learned counsel for the opposite parties shall inform this court about the aforesaid decision before the next date of listing. Let the case be listed on 14th of February, 1992.

A copy of the order be given to the learned counsel for the petitioner on payment of usual charges within three days.

sd/- J.K.Mathur,

sd/-K.L.Sharma,

16.1.1992.

TRUE COPY

Section Officer

RSR/-

अनुरक्ष

विषय संख्या: 2. पृष्ठ संख्या: 4

विषय:- लखनऊ विनियमित क्षेत्र में लागू शमन शुल्क की दरों व निर्देशो को संशोधित किये जाने हेतु आदर्श उप-विधियाँ।

प्रस्ताव: लखनऊ विनियमित क्षेत्र में लागू शमन की दरो व निर्देशो को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक: 27जुलाई 1990 के मद संख्या:9 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। सम्बन्धित प्रकरण पर बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार शासन को ~~विवरण~~ विनियमित क्षेत्र में लागू शमन शुल्क की दरों व निर्देशो की स्वीकृति हेतु पत्र संख्या: 515/न0अ0-भवन/90-91 दिनाँक: 29.11.90 को प्रेषित किया, तदोपरांत पुन: भवन विभाग द्वारा अनुस्मारक पत्र संख्या: 658/ न0अ0(भवन)/91 दिनाँक: 02.02.1991 शासन को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा संबंधित विषय के शमन हेतु आदर्श उप-विधियों का प्रारूप शासनादेश संख्या: 5515/11-5-91-6डी0ए/8। दिनाक: 17जुलाई,1991 को इस आशय के साथ भेजी गई कि पुन: आदर्श उप-विधियो को लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत कर प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर इसे शासन को अनुमोदनार्थ यथाशीघ्र प्रेषित की जाय ताकि अनुमोदित उपविधि को अन्तिम रूप देकर राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जा सकें।

उपरोक्त के परिपेक्ष में शासन से प्राप्त आदर्श उप-विधियाँ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 16.11.91 के मद संख्या: 6 के अन्तर्गत रखा गया। विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि निम्न लिखित प्रारूप में सूचना के साथ प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

प्रारूप

वर्तमान दरे	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित	शासन द्वारा प्रस्तावित	टिप्पणी
1	2	3	4

अत: विकास प्राधिकरण के समक्ष दिनाँक: 16.11.91 के मद संख्या: 6 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुसार विवरण तैयार कर दिया गया है जो बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

VBS

तुलनात्मक शमन शुल्क

क्र0सं0	विवरण	उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधि0 1973 के विकास क्षेत्र लखनऊ में शमन डायरेक्शन.	पूर्व में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित	शासन से प्राप्त निर्देशानुसार.	वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित.
1	2	3	4	5	6
1-	सामने प्रतिबंधित स्थान में निर्माण।	10/- प्रति वर्गफुट	रू0 300/-वर्गमी0 न्यूनतम रू0 3000/-	प्रत्येक तल पर आच्छादित क्षेत्र को रू0 300/-प्रति वर्गमी0 और भूमि का लागत (वर्तमान बाजार दर का दुगुना) न्यूनतम 4000/- अधिकतम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित।	सामने प्रतिबंधित क्षेत्र में किया गया निर्माण शमन योग्य नही होगा, लेकिन अधिकतम 3 फीट छज्जे के निर्माण की अनुमन्यता मान्य होगी।
2-	पार्श्व में प्रतिबंधित स्थान निर्माण।	5/- प्रति वर्गफुट	रू0 200/-वर्गमी0 न्यूनतम रू0 1500/-	आच्छादित क्षेत्र का 200/-प्रति वर्गमी0 और भूमि की लागत न्यूनतम 3000/- अधिकतम उपा0 महोदय द्वारा निर्धारित।	अ-कार्नर का भूखण्ड पर पार्श्व में किया गया निर्माण शमन योग्य नहीहैं। ब-पार्श्व के एक प्रतिबंधित स्थान पर केवल 50% क्षेत्रफल को 200/-रू0 प्रति वर्गमी0 और भूमि की लागत जिसकी कि न्यूनतम दर 3000/- पर निर्माण शमन किया जा सकता है।
3-	पीछे के भाग में प्रतिबंधित स्थान में निर्माण।	5/- प्रति वर्गफुट	रू0 150/-वर्गमी0 न्यूनतम रू0 1000/-	आच्छादित क्षेत्र का 150/-रू0 प्रति वर्गमीटर और भूमि की लागत न्यूनतम 2000/-अधिकतम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित.	पीछे के भाग में प्रतिबंधित स्थल पर 40% अनुमन्य [illegible] के अतिरिक्त बचे क्षेत्र का 50% क्षेत्रफल 150/-प्रति मी0 और भूमि की लाग न्यूनतम रू0 2000/- की [illegible] शमन किया जा सकता है।

1	2	3	4	5	6
4-	यदि प्लाट का आच्छादन विहित क्षेत्र से अधिक हैं।	5/- प्रति वर्गफुट	रू0 150/- वर्गमी0 न्यूनतम 1000/-	विहित सीमा से अधिक क्षेत्र का रू0 150/-प्रति वर्गमी0, भूमि की लागत न्यूनतम 2000/- अधिकतम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित।	शासन के निर्देशानुसार।
5-	यदि कमरे के भीतर की स्पष्ट ऊचाई विहित ऊँचाई से कम हो।	शुल्क निर्धारित नही है।	अ- रू0200वर्गमी0 न्यूनतम 1000/- ब- रू0 300वर्गमी0	अ- 15% तक ऊचाई से भी कमरे के क्षेत्र का 300/-रू0 प्रतिवर्गमी0 ब- 15% से अधिक ऊँचाई से कमी कमरे का क्षेत्रफल का 300/- रू0 प्रति वर्गमीटर।	विहित ऊँचाई से कम पर 300/- प्रति वर्गमीटर की दर से न्यूनतम 2000/-
6-	यदि कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से कम हैं।	शुल्क निर्धारित नही है।	रू0 200/-वर्गमी0 न्यूनतम 1500/-	न्यूनतम 2000/-रू0 अधिकतम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित. क्षेत्रफल के लिये जितने से कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से कम हो 200/-रू0 वर्गमीटर न्यूनतम 3000/- अधिकतम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित।	शासन के निर्देशानुसार।
7-	यदि कमरे में विहित न्यूनतम संवातन की व्यवस्था न हो।	शुल्क निर्धारित नही है।	अ- रू050/-प्रति वर्ग मीटर. ब- रू0100/-प्रति वर्ग न्यूनतम रू03000/-	अ- यदि खिड़की का क्षेत्र 50% तक कम है तो रू0 50/-प्रति मी0 ब- यदि खिड़की का क्षेत्र 50% से अधिक कम है तो 100/-रू0 प्रति वर्गमीटर। न्यूनतम 4000/-रू0 अधिकतम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित।	यदि कमरे में विहित न्यूनतम संवातन की व्यवस्था न हो तो 100/-प्रति वर्गमीटर की दर से एवं न्यूनतम 4000/-.

...3

8- अहाते की दीवार जहाँ उपविभाजन की स्वीकृति न हो।	40 पैसे प्रति रनिंग फिट।	अ- 50 पैसे रनिंग मीटर। ब- रू0 2/-रनिंग मीटर। न्यूनतम 2000/-	अ-यदि ऊचाई 1.50 मी0 से कम होतो 1.50 रू0 प्रति रनिंग मी0. ब- यदि ऊचाई 1.50 मी0 से अधिक है तो 2/-रू0 प्रति रनिंग मीटर। न्यूनतम 4000/-रू0 अधिकतम उपा0 महोदय द्वारा निर्धारित।	शासन से प्राप्त निर्देशानुसार।
9- किया गया निर्माण जहाँ उप-विभाजन की स्वीकृति दी गयी है का क्षेत्र परिभाषित हो (अहाते की दीवार)।	40 पैसे प्रति रनिंग फिट।	रू0 1.50 रनिंग मीटर। न्यूनतम 1500/- ऊँचाई का प्रतिबन्ध 2.10 मीटर का है। रू0 30 /- रनिंग मी0 न्यूनतम- 300/-	अ-यदि ऊचाई 1.50 मी0 से कम हो तो 30 पैसे प्रति रनिंग मी0 ब-यदि ऊचाई 1.50 मी0 से अधिक हो तो 1.50 रू0 प्रति रनिंग मी0 न्यूनतम 3000/-रू0 अधिकतम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित।	अथवा अ-यदि ऊँचाई 1.50 मी0 से कम हो तो रू0 1/-प्रति रनिंग मीटर। ब-यदि ऊचाई 1.50 मी0 से अधिक हो तो रू0 3/-रनिंग मी0, न्यूनतम 3000/-रूपये।
10- यदि आवेदक ने अधिनियम की धारा-15 के उपबंधो का अनुपालन किया होता तो विकास कार्य विधि का उल्लघन न होता.	शुल्क अलग-अलग है।	रू0 100/-वर्गमीटर, न्यूनतम 2500/-	आच्छोदित क्षेत्र का 100/-रू0 प्रति वर्गमी0। न्यूनतम 5000/-रू0 अधिकतम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित।	शासन से प्राप्त निर्देशानुसार.
11- खनन भारी वर्षा की नाली इत्यादि से सम्बन्धित विकास कार्य जो उपयुक्त श्रेणी 1से10 तक के अन्तर्गत न होते हो।	शुल्क अलग-अलग हैं।	-	आधादित क्षेत्र का 200/=रू0 प्रति वर्गमीटर। न्यूनतम 3000/-रू0. अधिकतम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित।	अनुमन्य नही हैं।

क्रमशः.....4

12. बेसमेंट के निर्माण के विषय में।	निर्धारित नही हैं।	निर्धारित नही हैं।	निर्धारित नही हैं।

भू-आच्छादन का 50% बेसमेंट के रूप में अनुमन्य होगा तथा बेसमेंट की ऊचाई फर्श से बीम तक 2.8मी0 अथवा फर्श से सीलिंग तक 2.5मीटर अधिकतम अनुमन्य होगा, किन्तु इसकी गणना प्रस्तावित डिजाइन के अन्तर्गत एफ.ए.आर. में की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त बेसमेंट में किये गये अनाधिकृत निर्माण को नियमित नही किया जायेगा।

टिप्पणी:-

1. व्यवसायिक भूखण्ड के सेटबैक में निर्माण पर शमन की दर आवासीय भवन की तिगुनी होगी।
2. भूमि की लागत लखनऊ विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर मान्य होगी।

अनु०वि० सं०-3 पृष्ठ सं०- 9

लखनऊ विकास प्राधिकरण, के विचारार्थ आख्या,

लखनऊ विकास प्राधिकरण, के का मूलबजट वर्ष 1992-93 दिनांक 31.3.92 से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। बजट शीघ्र प्रस्तुत करनेका प्रयास किया जा रहा है। परन्तु 1.4.92 से वित्तीय वर्ष 1992-93 प्रारम्भ हो गया है, एवं आवश्यक भुगतान बजट की प्रत्याशा में किये जाने आवश्यक हैं, अतः कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के भुगतान सांयोगिक व्यय, तथा योजनायें (जो चालू हैं,) उनके आवर्तक भुगतान (जिससे कार्य संचालन में बाधा न पड़े) करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं, साथ ही साथ आवश्यक भुगतान बोडपाध्यक्ष, महोदय, द्वारा निर्देशित किये जायें, वह भी सम्पन्न कियेजायेंगे। प्राधिकरण, को औपचारिक सूचनार्थ प्रस्तुत है।

(जे०पी०बाजपेई)
मुख्य लेखाधिकारी,

(आर०के०सिंह)
सचिव,

अनु0 विषय संख्या: 03 (A)

पृष्ठ संख्या: 09 A

विषय :- वित्तीय वर्ष 1992-93 का आय-व्ययक ।

आख्या: प्राधिकरण का आय-व्ययक वर्ष 1992-93 अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

विषय:4 जनसेवक कार्यालय लि0, पब्लिशर्स दि टाइम्स आफ इण्डिया तथा नवभारत टाइम्स को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन से संबंधित ।

आख्या: जनसेवक कार्यालय लि0, पब्लिशर्स दि टाइम्स आफ इण्डिया तथा नवभारत टाइम्स लखनऊ को गोमती नगर योजना में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु दो एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विषय प्राधिकरण की बैठक दि016.11.91में [illegible] सं015के अंतर्गत रखा [illegible] था। प्राधिकरण में प्रस्तुत विषय तथा लिये गये निर्णय का उद्धरण संलग्न है ।

2. प्राधिकरण [illegible] के अनुसार [illegible] विषय शासन [illegible] कार्यालय सं0-1492/सी0[illegible] /91दि02[illegible] [illegible] गया था। [illegible] ने पत्र सं0-2225/[illegible]-92-दि02.4.92प्रति[illegible] द्वारा यह [illegible] किया है कि विशिष्ट प्रयोजन हेतु एक जगह भूमि दिये जाने में [illegible] की बाध्यता [illegible] होनी चाहिए तथापि [illegible] विशिष्ट मामले प्राधिकरण की बैठक में गुणअवगुण के [illegible] निर्णय लिया जाना उचित होगा क्योंकि शासन द्वारा विशिष्ट मामलों [illegible] नहीं लिया [illegible] वाणिज्यिक उपयोग की भूमि [illegible] मूल्य वाणिज्यिक [illegible] ही लिया जाना उपयुक्त होगा ।

3. गोमती नगर योजना में व्यवसायिक भूमि की दर इस समय रू03,500/- [illegible] वर्ग मी0 है। इस दर के अनुसार दो एकड़ भूमि का कुल प्रीमियम रू0283.28लाख [illegible] है। अतः शासन के उपरोक्त पत्र के [illegible] में उपरोक्त दर [illegible] दो एकड़ भूमि [illegible] प्रयोजन हेतु आवंटित करने हेतु प्राधिकरण कृपया स्वीकृति प्रदान करने [illegible] करें।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दि0 16.11.91 की विषय सं0 15 का उद्धरण

विषय: जनसेवक कार्यालय लि0, पब्लिशर्स दि टाइम्स आफ इण्डिया तथा नवभारत टाइम्स को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित,

उद्धरण: जनसेवक कार्यालय लि0, पब्लिशर्स आफ दि टाइम्स आफ इण्डिया तथा नवभारत टाइम्स लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र दि04.10.91 द्वारा सूचित किया है कि उन्हें उपरोक्त भवन के निर्माण के लिए गोमती नगर योजना में भूमि की आवश्यकता है। भूमि की दर दो एकड़ बताई है।

2. इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि शासनादेश सं0-317/9-673डी0ए0/89 दि015.7.89 प्रतिलिपि संलग्न) में यह अंकित है कि व्यवसायिक भूमि का आवंटन बिना नीलामी के न किया जाय।

3. इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि कार्यालय प्रयोजन हेतु भूमि, व्यवसायिक श्रेणी में अब तक केवल सरकारी निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थाओं को बिना नीलामी के। उपरोक्त शासनादेश निर्गत होने के पश्चात। निधोरित व्यवसायिक दर पर आवंटित की गयी है। उपरोक्त संस्था प्राइवेट है।

4. उपरोक्त शासनादेश निर्गत होने से पूर्व हिन्दुस्तान टाइम्स को गोमती नगर योजना में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु उस समय प्रचलित दर पर भूमि आवंटित की गयीथी। उपरोक्त संस्था को वर्तमान श्रेणी निर्धारित दर रू02,000/-प्रति वर्ग मी0 पर गोमती नगर योजना में भूमि के आवंटन की संस्तुति की जाती है। प्राधिकरण कृपया अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

निर्णय

विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि यह मामला शासन को संदर्भित कर दिया जाय।

पृष्ठ सं० 12

सं० 2225/9-ST-5-92-

89/ST
7.4.92
8 4-92

प्रेषक,

श्री डी०पी०दीक्षित,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

241/9
9-4-92

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग -5

2/4

लखनऊ: दिनांक: [illegible], 1992

[illegible] :- जनसेवक [illegible] पब्लिशर्स [illegible] हाईमा को [illegible] भवन [illegible] तथा [illegible]।

सचिव
का० एम० ई० सा०

उपर्युक्त विषयक आपके [illegible]-268/सी०[illegible]/[illegible]/92, दिनांक [illegible]92 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि [illegible] विशिष्ट [illegible] हेतु एक प्रगट भूमि [illegible] जाने में [illegible] की [illegible] होगी [illegible] तथापि वि[illegible] प्राधिकरण की बैठक में [illegible] अनुमोदन [illegible] लिया जाना उचित होगा क्योंकि शासन द्वारा विशिष्ट आवास [illegible] नहीं लिया जाता है। वाणिज्यिक उपयोग की भूमि का मूल्य वाणिज्यिक [illegible] ही लिया जाना [illegible] है।

3/4/92

भवदीय,

डी०पी० दीक्षित
अनु सचिव,

CAEI

ST

(आर० के० सिंह)
7/4/92

9/4

-3171/11-5-89-673डी.ए./89

प्रेषक,

एस. सी. बहुखण्डी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 15जुलाई, 1989.

विषय:- आवास एवं विकास परिषद प्राधिकरणों द्वारा व्यवसायिक भूमि का आवंटन बिना नीलामी के न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद से प्रायः व्यवसायिक प्रयोग हेतु, जैसे होटल, रेस्तरा, सिनेमाहाल आदि के लिये भूखण्ड की मांग की जाती है। इस संबंध में कोई निश्चित नीति एवं प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता बल्कि अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा अलग-अलग ढंग से कार्यवाही की जाती है। अतः विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद द्वारा लीज पर दी जाने वाली किसी भी व्यवसायिक भूमि का आवंटन बिना नीलामी के न किया जाये और नीलामी के लिये पर्याप्तत्र समय भी दिया जाये तथा इसका प्रतिष्ठित अखबारों द्वारा प्रचार भी किया जाय।

कृपया तात्कालिक प्रभाव से व्यवसायिक प्रयोग हेतु भूखण्ड का आवंटन उपरोक्तानुसार किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(एस. सी. बहुखण्डी)
संयुक्त सचिव।

अ.वि० सं० 5

विषय: ल0वि0प्रा0 की योजनाओं में सहकारी आवास समितियों को उनकी भूमि के बदले विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित,

आख्या: ल0वि0प्रा0 की विभिन्न योजनाओं में जो भूमि अर्जित की गई है, उनमें सहकारी आवास समितियों ने अर्जन से पहले जो भूमि क्रय की थी, उसका भी अर्जन हो गया है। फलस्वरूप ऐसी समितियों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसके कारण विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो गया है।

2. गीत विहार सहकारी आवास [illegible] की भूमि जो [illegible] रोड योजना के चतुर्थ चरण में (शारदा नगर योजना) में थी, वह अर्जित कर ली गई थी। इस समिति ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। प्राधिकरण की बैठक दि021.6.89 में उक्त समिति को उनकी भूमि के विपरीत 55% क्षेत्रफल के समतुल्य विकसित भूखण्ड दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया था। एजेन्डा नोट तथा किया गया निर्णय का उद्धरण संलग्न है। इसका अनुमोदन शासन [illegible] सं0980सी0एम/II-2-90-[illegible] एल0ए0/88 दि024.11.90 (प्रति संलग्न) द्वारा किया जा चुका है।

3. अतः प्रथम चरण में भूमि की उपलब्धता को देखते हुए, केवल उन सहकारी आवास समितियों को भूमि देने पर विचार किया जाय जिनके वाद विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं और न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण विकास कार्य बाधित हो गये। तदनुसार जिन सहकारी आवास समितियों ने अपने सदस्यों को आवंटित भूखण्डों की रजिस्ट्री करा दी है या समिति ने सदस्यों से पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है, ऐसे सदस्यों के अभिलेखों का सत्यापन करने के पश्चात् निम्न प्रतिबन्ध के साथ विकसित भूखण्ड आवंटित किये जायें:

(क) 2,500व0फुट के भूखण्ड के विपरीत - 200व0मी0का भूखण्ड,

(ख) 1801 से 2,500व0फु0 के विपरीत --150व0मी0का भूखण्ड

(ग) 1,000व0फु0 से 1800व0फु0 के विपरीत - 90व0मी0का भूखण्ड

क्रमशः....2

4. अन्य शर्तें निम्नवत् प्रस्तावित हैं :

(I) सहकारी आवास समितियों की कुल भूमि के विपरीत 55% क्षेत्रफल के समकक्ष विकसित भूखण्ड दिये जायें ।

(II) ऐसी समितियों को उपरोक्तानुसार भूखण्ड यदि संभव हो तो उसी योजना में अथवा अन्य योजना में उपलब्ध कराये जायें ।

(III) ऐसी समितियाँ अपनी अर्जित भूमि के प्रतिकर की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें ।

(IV) भूखण्ड आवंटित करने से पूर्व सहकारी आवास समितियाँ न्यायालय से अ[illegible] विवाद वाप[illegible] इस आशय हेतु एक अनुबन्ध [illegible] सहकारी आवास समिति को [illegible] प्रा० से करना आवश्यक होगा । उपरोक्तानुसार भूखण्ड आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि को प्रचलित आवासीय भूमि की दर पर आवंटित किये जायें, इस समय आवासीय भूमि की दर गोमती नगर योजना में रु0750/- प्र0व0मी0 तथा [illegible] योजनाओं में रु0650/- प्र0व0मी0 है ।

(V) भू[illegible] आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर 25% धनराशि ली जायें तथा शेष 75% धनराशि 6 त्रैमासिक किश्तों में ली जायें । यदि विकसित योजना में भूखण्ड आवंटित किये जायें (जहाँ पर बिजली, पानी, सीवर तथा सड़क की सुविधायें उपलब्ध हों, तो किश्त 21% वार्षिक ब्याज सहित की जायें । यदि अविकसित योजना में भूखण्ड आवंटित किये जायें तो किश्तें बिना ब्याज के ली जा सकती हैं क्योंकि किश्तों में प्राप्त धनराशि से ही विकास कार्यों का वित्त पोषण होगा ।

5. प्राधिकरण कृपया अनुमोदन करना चाहें ।

Gautam Pas
850/- Nehru Enclave
Vipin Khand
825/- Phase I
750/- Phase II

CAR Schemes
Rs 725/-

[illegible]
4/4/92
CAR

[illegible] 20/4/92

म0 वि0प्र0 की बैठक दि0 2[illegible].6.89 की विषय सं0:21 की कार्यसूची

विषय: कानपुर रोड योजना भाग-4 के अन्तर्गत मे0 गीत बिहार सहकारी आवास समिति लि0 को अर्जित भूमि के बदले विकसित भूखण्ड आवंटि करने के संबंध में।

सारांश

कानपुर रोड योजना भाग-4 जिसका रायबरेली रोड योजना नाम भी प्रचलित है के अन्तर्गत कुल बीघा-2, 119-11-7-0 भूमि अर्जित की गयी थी जिस का अभिनिर्णय दिनांक 8.1.88 को घोषित किया जा चुका है। अधिग्रहीत भूमि में मेसर्स गीत बिहार सहकारी आवास समिति की 27.79एकड़ भूमि भी सम्मिलित थी।

अधिग्रहण के विरुद्ध समिति [illegible] मा0 उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर [illegible] जिसमें विभिन्न [illegible] को विभिन्न आदेश पारित किये गये अन्तिम आदेश यह था कि [illegible] प्रकृति को न बदला जाये। आदेश पारित होने के पूर्व ही मे0 यूनिटेक लि0 को इस योजना के अन्तर्गत 300एकड़ भूमि जिसमें गीत बिहार सहकारी आवास समिति की तथा कथित भूमि भी सम्मिलित थी, विकास एवं निर्माण कार्य हेतु दे दी गयी, परन्तु समिति एवं विकास प्राधिकरण के मध्य न्यायालय में वाद प्रतिवाद होने के कारण भूमि पर विकास कार्य में बाधा उत्पन्न हो गयी।

[illegible] 11.1.89 को मा[illegible] उच्चतम न्यायालय द्वारा [illegible] सिंह बनाम [illegible] सरकार नामक [illegible] में विधि व्यवस्था आदेशित की गयी कि एक [illegible] दिन धारा-4 व 6 की विज्ञप्ति अवैधानिक है। इस निर्णय से प्राधिकरण की 7 योजनायें प्रभावित हुई, जिस के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दि025.2.89 में निर्णय लिया गया कि इन योजनाओं से सम्बन्धित सहकारी समितियों एवं अन्य भू-स्वामियों जिनके द्वारा वाद दायर किये गये हैं उन से समझौता करने का प्रयास किया जाय।

यद्यपि गीत बिहार सहकारी आवास समिति लि0 का मामला उच्च वैधानिक व्यवस्था से प्रभावित नहीं था फिर भी न्यायालय में वाद होने तथा स्थल पर विकास कार्य में बाधा होने के कारण समिति से आपसी समझौते के आधार पर मामला सुलझाने का प्रयास किया गया। समिति से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार के उपरान्त समिति के समक्ष निम्न दो विकल्प रखे गये :-

1. उनके द्वारा रजिस्टर्ड बनामें के आधार पर क्रय की भूमि के कुल क्षेत्रफल पर बाह्य विकास जमा किये जाने पर उन के द्वारा उन के सदस्यों के लिए प्लाट विकसित करने की अनुमति दी जायेगी।

2. क्रय की गयी भूमि के 55% क्षेत्रफल के समकक्ष उन्हें विकसित प्लाट लखनऊ विकास प्राधिकरण के मानक आकार प्रकार में दिये जायेंगे जिस के लिये उन्हें अधिग्रहण के दिनांक पर निकटतम कानपुर रोड योजना भाग-3 की प्रचलित दर 235/- प्रति वर्ग मीटर तथा अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत उस पर ब्याज देय होगा। इस दर से गणना करने पर कुल विकसित प्लाटों की दर 346/- अथवा जो सरल गणना की दृष्टि से 350/- ओ कलित की गयी है, आती है।

मे0 गीत बिहार सहकारी आवास समिति ने विकल्प दो के अनुसार सदस्यों हेतु विकसित प्लाट लेना स्वीकार किया है, उन्होंने साथ में यह भी

कहा है कि उन को दिया जाने वाला प्रतिकर भी उन्हीं प्लाटों के मूल्य में समायोजित कर लिया जायें जिसके लिये वे अपना अधिकारी पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में दे देंगे।

छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि 31.39 एकड़ के स्थान पर मे० गीतबिहार सहकारी आवास समिति द्वारा अधिग्रहण से दो वर्ष पूर्व क्रय की नयी भूमि केवल 27.79 एकड़ है। इस देय का 55% यदि विकसित प्लाटों के रूप में दिया जायें तो उन्हें लगभग 15 एकड़ भूमि के समकक्ष विकसित प्लाट दिये जा सकेंगे जिसके लिए उन के द्वारा प्रतिकर प्राधिकरण के पक्ष में छोड़ दिये जाने के पश्चात् 350/- के स्थान पर लगभग 322/- दर आती है जिस सुगमता की दृष्टि से 325/- प्रति वर्ग मीटर मानते हुए विकसित प्लाट यदि मे० गीत व बिहार सहकारी आवास समिति को आवंटित कर दिया जायें तो प्राधिकरण को एक ओर हानी नहीं होगी दूसरी ओर समस्त वाद विवाद समाप्त होकर विकास कार्य सुवाधिपति से किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार समिति के समक्ष निम्न निर्णयार्थ प्रस्तुत है कि मेसर्स गीत बिहार सहकारी आवास समिति को उनकी अर्जित भूमि के 55% क्षेत्र के समकक्ष लगभग 15 एकड़ भूमि के विकसित प्लाट प्रतिकर प्राधिकरण के पक्ष में छोड़ दिये जाने की दशा में 325/- प्रति वर्ग मीटर की दर पर आवंटित कर दिया जायें।

निर्णय

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मे० गीतबिहार सहकारी आवास समिति को उनकी भूमि के 55 प्रतिशत क्षेत्र के समकक्ष 15 एकड़ भूमि के विकसित भूखण्ड, प्रतिकर प्राधिकरण के पक्ष में छोड़ दिये जाने की दशा में 0325/- प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित कर दिये जायें। यह स्वीकृति शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की जाती है परन्तु शासन की अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। साथ ही शर्त यह भी होगी कि सम्बन्धित समिति द्वारा अपने समस्त विवाद वापस ले लिये जायेंगे।

Compared
PATOCA

विषय: स्कूलों से कम मलवा चार्जेज लिये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या: ल0वि0प्रा0 की विभिन्न योजनाओं में स्कूलों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, जिन पर निर्माण हेतु भू-स्वामियों द्वारा भवन चित्र समय पर प्रस्तुत किये जाते रहे हैं ।

2. स्कूल भूखण्डों के कतिपय स्वामियों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि चूँकि स्कूल भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित किये जाते हैं, अतः मल्वा चार्जेज भी रियायती दर पर ही लिया जाना चाहियें । इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि स्कूल भूखण्ड के प्रीमियम की निम्न दरें शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं :-

क्रमांक	भूखण्ड का क्षेत्रफल	दर जो लागू की गई
ए-	2000वर्गमी0 तक के भूखण्ड हेतु	प्रचलित आवासीय भूखण्ड की दर के 50% दर पर स्कूल भूखण्डों को उपलब्ध कराया जायेगा ।
बी-	2000वर्गमी0 से 4000वर्गमी0 तक की अतिरिक्त भूमि	40प्रतिशत दर उपलब्ध कराई जायेगी।
सी-	4000वर्गमी0 से 6000वर्गमी0 तक की अतिरिक्त भूमि	30% दर पर उपलब्ध कराई जायेगी ।
डी-	6000वर्गमी0 या उससे अधिक की अतिरिक्त भूमि ।	15%दर पर उपलब्ध कराई जायेगी ।

इस प्रकार उपरोक्त दरों से प्रोग्रेसिव प्रीमियम निकाला जाता है ।

3. वर्तमान में मल्वा चार्जेज प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल पर चार्ज किया जाता है उसकी गणना निर्मित क्षेत्रफल की निर्माण लागत रू0 2000/=प्रति वर्गमीटर मानते हुए की जाती है तथा कुल लागत की आधा प्रतिशत मलवा चार्जेज लिये जाते हैं ।

4. मलवा चार्जेज उस भूमि का लिया जाता है जिस भूमि पर कुछ समय के लिये व्यक्ति/संस्था द्वारा मल्वा संचय किया जाता है। ऐसी संभावना बनी रहती है कि निर्माणकर्ता निर्माणावधि में भवन से सम्बन्धित मल्वा अथवा निर्माण सामग्री ल0वि0प्रा0/च0म0पा0 की भूमि पर रखेगा तथा अस्थाई तौर पर इस भूमि के उपयोग के लिये मल्वा संचय शुल्क लिया जाता है । इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि जो कालोनी महापालिका को हस्तांतरित हो चुकी है, उसमें जो भी मल्वा शुल्क ल0वि0प्रा0 द्वारा लिया जाता है, लखनऊ नगर महापालिका को हस्तांतरित कर दिया जाता है । परन्तु जो कालोनी नगर महापालिका को हस्तांतरित नहीं हुई है, उसका मल्वा संचय शुल्क प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है ।

5. इस सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव हैं :

(i) मल्वा संचय शुल्क आवासीय भवनों के सम्बन्ध में निर्धारित दर का 50% लिया जायें ।

(ii) अब तक जितने स्कूल भूखण्डों के भवन चित्र स्वीकृति होकर परमिट निर्गत नहीं किये गये हैं, उन में भी उपरोक्त दर से ही मल्वा संचय शुल्क लिया जायें ।

पृष्ठ ... 10

संख्या-980सी एम/11-5-90-4एलए/88

प्रेषक,

बी0के0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2355/8/5
28.11.90
30.11.90

सेवा में,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 24 नवम्बर, 90

462/OC
30/11/90

विषय:- गीत बिहार कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अर्जित भूमि के बदले विकसित भूखण्ड आवंटित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्राधिकरण के पत्र संख्या-एल0डी0ए0/ए0सी0/965, दिनांक 6-9-89 तथा पत्र संख्या-एल0डी0ए/ए0सी0/194, दिनांक 8-11-90 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरण को कानपुर रोड आवासीय योजना भाग-4 के अंतर्गत [illegible] बिहार कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अर्जित भूमि के बदले [illegible] भूखण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21-6-89 के विषय क्रमांक -22 पर लिये गये निर्णय को शासन का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।

प्र0अ0 (अर्जन)
कार्यवाही
(के0 के0 उपाध्याय)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
28/11/90

भवदीय,

बी0के0 सिंह

। बी0के0 सिंह ।
संयुक्त सचिव ।

संख्या-980सी एम/11-5-90-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

AE(R)

1- डा0 एम0एल0 कपूर, अध्यक्ष, गीत बिहार सहकारी आवास समिति, 1/7 कैसरबाग आफिसर्स कालोनी, कैसरबाग, लखनऊ ।

2- लोक शिकायत अनुभाग-3 उनके अशासकीय पत्र सं0- 909/पी0ए0के0/जे0एस0xएम0एम0/90, दिनांक 13-11-90 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

। बी0के0 सिंह ।
संयुक्त सचिव ।

श्री गुलाब पनीन
30/11/90

प्रभारी अधिकारी-अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ 30-11-90

विषय: गोमती नगर योजना में मे0 इंडियन होटल (ताज) को आवंटित भूमि से संलग्न ग्रीन बेल्ट की भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध।

आदेश: गोमती नगर योजना में मे0 इंडियन होटल लि0 को 10 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। यह पत्र प्राधिकरण की बैठक दि026.7.86 में प्रस्तुत किया गया था। विचार विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राईवेट बिल्डर्स के सम्बन्ध में गठित उप समिति द्वारा ही शर्तें तय कर ली जावें। तदनुसार प्राधिकरण द्वारा गठित उप समिति की बैठक [illegible].8.86 को हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अन्य होटल स्वामियों से भी आवेदन समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त किये जावें।

2. उपरोक्त निर्णय के अनुसार समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई गई। उक्त सूचना की प्रति संलग्न है (अनुलग्नक "क")।

3. निम्नलिखित होटल स्वामियों से आवेदन प्राप्त हुए :

I) मे0 इंडियन होटल लि0, नई दिल्ली,

II) मे0 [illegible] होटल्स कं0 लि0, नई दिल्ली,

III) मे0मु0वी0 होटल्स लि0, लखनऊ

IV) मे0 आरिक इण्डस्ट्रीज लि0, लखनऊ

V) मे0 यमुना होटल्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली,

VI) मे0नि0वी होटल्स प्रा0लि0, देहरादून,

VII) मे0[illegible] मेघदूत होटल्स प्रा0लि0, कानपुर,

VIII) मे0 मुर्गा होटल, नई दिल्ली।

उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक दि06.9.86 में प्रस्तुत किया गया था, जिसपर प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना में निम्नांकित दो ही होटल को भूमि देना उपयुक्त पाया गया :

I: मे0 रशियल होटल लि0, नई दिल्ली,

II: दि इंडियन होटल्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली,

चूँकि मे0 रशियल होटल द्वारा अधिक भूमि की मॉग की गई, अतएव उन्हें गोमती नगर योजना में भूमि प्रस्तावित शर्तों पर देने हेतु निर्णय लिया गया। मे0 रशियन होटल द्वारा 10 एकड़ भूमि की मॉग की गई थी, जबकि मे0 इंडियन होटल ने 3 एकड़ भूमि की मॉग की थी। उपरोक्त निर्णय के तारतम्य में मे0रशियन होटल नई दिल्ली को भूमि

के आवंटन का प्रस्ताव भेज दिया गया ।

3. मे०इंडियन होटल्स कं० लि० (ताज ग्रुप) ने अपने पत्र दि020.9.86 द्वारा अनुरोध किया कि उन्हें गोमती नगर योजना में पूर्व में मॉगी गई 3 एकड़ भूमि के स्थान पर 5 एकड़ भूमि आवंटित कर दी जायें । साथही 25 एकड़ भूमि मनोरंजन हेतु विकसित करने हेतु आवंटित कर दी जायें । उनका यह प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण की बैठक दि011.12.86 में विषय सं० 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था । उपरोक्त बैठक में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पॉच सितारा होटल हेतु 5 एकड़ भूमि गोमती नगर योजना के अन्तर्गत उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करा दी जाय । इसके अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि की जो मॉग की गई है, (मनोरंजन के अभिप्राय से) इस विषय में टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स बनाकर पहले विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करा ली जायें ।

4. प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के अनुसार टर्म्स एण्ड कन्डीशन बनाकर प्राधिकरण की बैठक दि07.7.88 में विषय सं026 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई । प्राधिकरण द्वारा कुछ शर्तों में संशोधन किया गया । प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक दि07.7.88 में जो शर्तें अनुमोदित की गई थी उनमें उपरोक्त 25 एकड़ भूमि 60 वर्षों के लाइसेन्स पर देने हेतु निर्णय लिया गया था । इस पर मे० इण्डियन होटल्स कं० लि०, नई दिल्ली ने आपत्ति प्रकट की । उनका कहना था कि जो 5 एकड़ भूमि होटल के निर्माण हेतु दी गई है, उसमें प्राधिकरण की नीति के अनुसार उपरोक्त भूमि 90 वर्षों की लीज पर दी गई है । तदनुसार उपरोक्त 25 एकड़ भूमि भी 90 वर्षों के लाइसेन्स पर ही दी जायें । अतः विषय प्राधिकरण बैठक दि027.10.88 में विषय सं० 14 के अन्तर्गत रखा गया । इस पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि मे० इण्डियन होटल्स के प्रतिनिधि को आगामी बैठक में उपस्थित होने के लिये लिखा जायें तथा विषय आगामी बैठक हेतु स्थगित कर दिया गया ।

5. उपरोक्त निर्णय के अनुसार विषय प्राधिकरण की बैठक दि011.2.89 में विषय सं० 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया । उपरोक्त बैठक में उपरोक्त होटल के प्रतिनिधि को भी माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा सुना गया। उपरोक्त बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख है कि उपरोक्त होटल के प्रतिनिधि

क्रमशः.....3

ने बताया कि प्रश्नगत 25 एकड़ भूमि को वे मनोरंजन के अभिप्राय से पार्क के रूप में विकसित करेंगे, उन्होंने यह भी स्पष्ट आश्वासन दिया कि यह मनोरंजन पार्क आम जनता के लिये खुला रहेगा और इसका प्रवेश तथा निकास द्वार होटल के प्रवेश द्वार से अलग बनाया जायेगा । वह उक्त मनोरंजन स्थल को होटल ओपेन होने से पूर्व विकसित कर देंगे ।

6. इस विषय पर उपाध्यक्ष की तत्कालीन सचिव आवास से वार्ता हुई और उसी वार्ता के क्रम में यह विषय इस कार्यालय के पत्र सं065/सी0ए0/पी0ए0/90 दि022.1.90 द्वारा शासन को संदर्भित कर दिया गया

7. इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि दि 17.4.90 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी । इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एडमीशन टिकट से जो धनराशि प्राप्त होगी, वह ल0वि0प्रा के खाते में जायेगी । इसके अतिरिक्त इस होटल द्वारा 1000रात्रि/कक्ष प्रति वर्ष पर्यटन सचिव के निस्तारण पर रखी जायेगी ।

8. शासन से इस सम्बन्ध में जनवरी 90 से [illegible] होता रहा अन्ततोगत्वा शासन ने पत्र सं09125/9आ-5-91-31डी0ए0/89 दि021.1.92 (प्रति संलग्न), द्वारा सूचित किया है कि संगीत नाटक अकादमी को गोमती नगर योजना में ग्रीन वेल्ट हेतु जो भूमि आवंटित की गई है, उसी प्रकार ताज ग्रुप के मामले को भी प्राधिकरण (बोर्ड) के समक्ष रखकर भूमि को लीज पर देने के प्रकरण पर गुण अवगुण के आधार पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायें । ताजग्रुप को भूमि दिये जाने हेतु शर्तें आदि प्राधिकरण अपने विवेकानुसार तय कर लें ।

9. शासन का उपरोक्त पत्र प्राप्त होने के पश्चात् पुनः शासन ने पत्र सं01367/9-आ-5-31डी0ए0/89 दि027.2.92 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सूचित किया कि शासन द्वारा शार्टटर्म लीज पर ताजग्रुप आफ होटलर्स को भूमि दिये जाने का निर्णय प्राधिकरण पर अवश्य छोड़ दिया गया है परन्तु यह भूमि निःशुल्क तो किसी भी दशा में नहीं दी जानी है और इसके शुल्क के रूप में मुनासिब धनराशि ली जानी चाहिये, और क्या शर्तें हो, इसके बारे में प्राधिकरण (बोर्ड) के स्तर पर निर्णय ले लें ।

10. प्राधिकरण की पूर्व बैठकों में तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के तारतम्य में अनुबंध का प्रारूप बना दिया गया है जो संलग्न है । इसमें शासनादेश दि027.2.92 के तारतम्य में संशोधन वांछित है ।

11. नजूल मैनुवल में नजूल की भूमि गार्डेन लीज पर दिये जाने का प्राविधान है । नजूल मैनुवल के अनुसार यदि कोई नजूल की भूमि भवन के निर्माण हेतु दी जाती है तो प्रचलित बाजार दर। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर। से भूमि का प्रीमियम निकाला जाता है और कुल देय प्रीमियम का 2/3 प्रीमियम के रूप में तथा 1/3 पट्टे के किराये के रूप लिया जाता है । पट्टे का किराया निकालने का फार्मूला यह है कि उपरोक्तानुसार प्रीमियम का 1/3 का 1/20 प्रति वर्ष पट्टे का किराया लिया जाता है । नजूल मैनुवल में ही बागवानी के प्रयोजनार्थ आवंटित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में यह प्राविधान है कि यह भूमि अधिकतम सात वर्ष के पट्टे पर दी जायेगी तथा पट्टे का किराया उपरोक्त आधार पर निकाले गये पट्टे के किराये का आधा लिया जायेगा तथा कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा ।

12. शासन ने पत्र दि027.2.92 जिसकी प्रति संलग्न है, में यह निर्देश दिये हैं कि उपरोक्त भूमि नि:शुल्क किसी भी दशा में नहीं दी जानी है + और इसके लिए शुल्क के रूप में मुनासिब धनराशि ली जानी चाहिए । अत: इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं । प्राधिकरण कृपया किसी एक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें :-

1. यदि क्रम सं0-11 में अंकित नजूल भूमि की भांति 25एकड़ भूमि जो गार्डेन लीज पर दी जानी है, के पट्टे का किराया निकाला जाता है तो इस समय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर रू090/-प्रति वर्ग फुट गोमती नगर में है । अत: उपरोक्त फार्मूले के आधार पर पट्टे का किराया प्रतिवर्ष रू08,16,750/-आता है ।

2. इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि 25एकड़ ग्रीन बेल्ट की भूमि गार्डेन लीज के रूप में प्रथम चरण में नजूल भूमि की भांति सात वर्ष के लाइसेन्स पर यदि दी जाती है तो यह प्रतिबंध रहे कि सात वर्ष के पश्चात् पट्टे के किराये का निर्धारण पुन: किया जाय। इसीप्रकार सात-सात वर्ष के अन्तराल पर लाइसेन्स का नवीनीकरण होता रहे और लाइसेन्स की पूरी अवधि 90वर्ष रखी जाय ।

२. प्राधिकरण द्वारा गार्डन लीज पर कुछ निवासियों को अलीगंज योजना में भूमि दी गयी है यद्यपि इसमें भूमि की मात्रा बहुत थोड़ी सी है परन्तु इसमें पट्टे का किराया आवंटन के समय प्रचलित आवासीय दर के अनुसार देय प्रीमियम पर 1/2% वार्षिक की दर से लिया गया है। इस फार्मूले से धनराशि रू04, 90, 100/- आती है।

३. प्राधिकरण ने अपनी बैठक दि07.7.88 में टोकन लीज की रू 10,00/-प्रति [illegible] किये जाने का निर्णय लिया था।

CAFO

अनुलग्नक

पृष्ठसं० 24

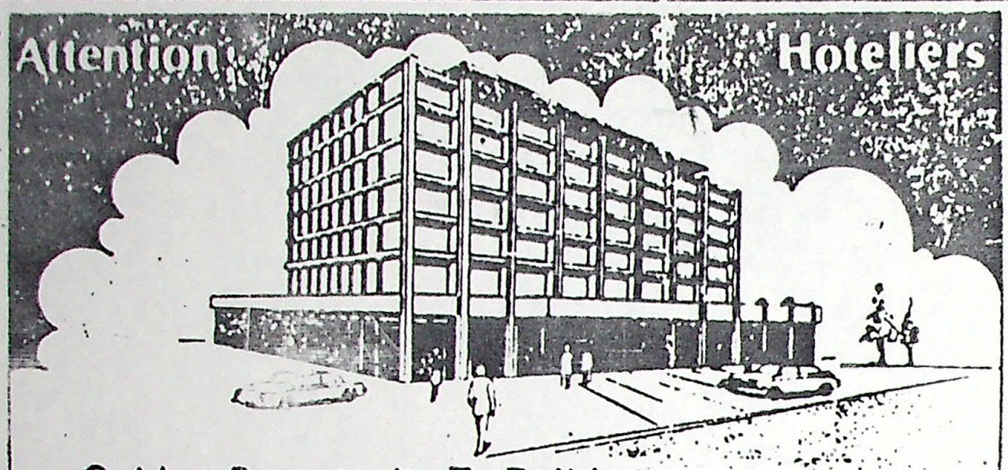
Attention
Hoteliers

Golden Opportunity To Build

5 ★ HOTEL AT LUCKNOW

OFFERS are invited from hotel owners to construct Five Star Hotels in the Gomti Nagar Scheme and Kanpur Road Scheme. - In this connection details are as under :-

LOCATION — The sites are in the close vicinity of the main city and still away from congestion viz. in the Gomti Nagar Scheme (At approx. 4 Km. from Hazratganj) and in the Kanpur Road Scheme (At approx. 6 Km. from Charbagh Rly. Station.)

TERMS & CONDITIONS

1. Rate of Land ——— It will be Rs. 450/- per Sq. meter.
2. Mode of Payment ——— A deposit of 25% of the total value of the land will have to be made before allotment. The balance 75% will have to be paid in three equal yearly instalments along with 16% interest.
3. Period For Commencement of Construction ——— The allotee will have to start construction within one year from the date of taking possession of land.
4. Period for Completion of Construction ——— The allotee will have to complete the construction of the hotel within three years of taking possession of land.
5. Land for Recreational Purposes ——— The required area of land can be made available on the basis of Licence. This land will be developed by the hotel owner but will be for public use.

The standard terms and conditions for allotment of LDA property will also be applicable. Desirous hotel owners should apply on plain paper with their background to ——

ASST. PUBLIC RELATION OFFICER, LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHO....

Shailesh Krishna
Secretary

The Last date for submission of application is 23-8-86

Govindan Nair
Vice-Chairman

The Commune

Lucknow Development Authority

4-6 J.C. Bose Marg, Lucknow • Phones: 48812 45303 48276 - 78

ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक: 24.6.92 में विचरार्थ
अनुपूरक विषयों की सूची पार्ट- 2

अनु0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
07.	श्री एल0 सी0 शर्मा, तत्कालीन उप सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवंटित जीप संख्या: यू.जी.आई. 963 (चोरी गई) को ल0वि0प्रा0 के स्टाक से "राईट आफ" किये जाने के सम्बन्ध में ।	25
08.	दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	27
09.	श्री एन0 के0 नारंग को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या: बी-2/0181, विजय खण्ड की दर निर्धारण के सम्बन्ध में ।	29
10.	मै0 मुगल मयूर होटल के भू-उपयोग के सम्बन्ध में ।	30

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक दिनांक: 24.6.92
में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं :-

---

1. डा0 आई0 एस0 भटनागर को गोमती नगर योजना में नर्सिंग होम हेतु आवंटित भूखण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज के माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

2. श्रीमती मीना कुमार को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में दण्ड ब्याज न लिये जाने के सम्बन्ध में ।

3. उजरियांव आवासीय योजना भाग-2 हेतु रू. 5.00करोड़ हुडको से ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में ।

4. आपरेशन फाइनेन्स के अन्तर्गत हुडको नई दिल्ली द्वारा रू05.00करोड़ ऋण लेने की अनुमति ।

विषय : डा0 आर0एल0अटलावर को मोबाइल क्रेन योजना के अन्तर्गत ड्रेन हेतु आवण्टित भूखण्ड पर बनाये गये कुछ स्थाय के गाद किये जाने के सम्बन्ध में ।

आदेश : डा0 आर0एल0अटलावर को मोबाइल क्रेन योजना के विक्रेय खण्ड-2 में नाली ड्रेन के निर्माण हेतु कुल भूखण्ड आवण्टित किया गया तथा उनका आवण्टन पत्र इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30-7-84 द्वारा निर्गत किया गया था । यह भूखण्ड 1500 वर्गमीटर का है जिसकी अनुमानित देय धनराशि आवण्टन पत्र के अनुसार रु 3,45,750/- आती है । यह धनराशि चार समान किश्तों में देय थी । ये किश्तें क्रमशः 15-9-84, 20-10-84, 20-1-85 एवं 20-4-85 तक देय थी ।

2- डा0 अटलावर द्वारा रु 70,000/- दिनांक 20-10-84 को तथा रु 16,000/- दिनांक 3-1-85 को जमा किया गया । उसके बाद डा0 अटलावर द्वारा दिनांक 10-4-85 को रु 80,000/- जमा किया गया ।

3- विक्रेय खण्ड में डा0 अटलावर के द्वारा जो आवण्टित भूखण्ड बिक्री हुआ है आधार पर किसी अन्य के पक्ष में आवण्टित कर दिया गया जिसके कारण डा0 अटलावर को विक्रेय खण्ड-2 में आवण्टित भूखण्ड नहीं दिया गया । अतः डा0 अटलावर को मोबाइल क्रेन योजना के ही विक्रय खण्ड में कुछ भूखण्ड आवण्टित करने का निर्णय किया गया । इस परिप्रेक्ष्य में हुआ डा0 अटलावर को मोबाइल क्रेन योजना के अन्तर्गत विक्रय के पत्र दिनांक 4-6-86 द्वारा दे दी गई ।

4- जैसा कि अपरोक्त क्रम संख्या: 2 में उल्लेख किया गया है कि डा0 अटलावर ने दिनांक 20-10-84, 3-1-85 तथा 10-4-85 को तीन धनराशियाँ रु 70,000/- 16,000/- तथा 80,000/- जमा की थी । कुल आवण्टन मूल्य के अनुसार अपेक्षित धनराशि रु 1,77,753/- डा0 अटलावर ने दिनांक 9-11-86 को जमा की । भूखण्ड के मूल्यांकन में कुल आवण्टित राशि को अनावश्यक भूमि की दर लगाई जाती है एवं भूखण्ड की निर्धारित राशि से वास्तविक देय राशि पर 18% वार्षिक दण्ड ब्याज लगाया जाता । फलतः

क्रमशः—

अनुलग्नक "क" में अंकित है जिसमें कुल देय धनराशि, जमा धनराशि तथा दण्ड ब्याज दिया हुआ है । इसके अनुसार कुल देय धनराशि रु0 3, 63, 750/- आती है । विलम्ब से धनराशि जमा करने पर ब्याज की धनराशि रु0 56, 803.43 आती है (ब्याज 9-11-86 तक ही लगाया गया है) । उपरोक्त कुल देय धनराशि रु0 3, 63, 750/- के विपरीत डा0 भटनागर द्वारा रु0 3, 43, 753/- जमा की गई थी । इस प्रकार अवशेष धनराशि रु0 76, 800.43 (रु0 19997.00 मूल धन तथा रु0 56, 803.43 दण्ड ब्याज- दिनांक 9-11-86 तक आती है ।

5- उपरोक्त के सम्बन्ध में डा0 भटनागर ने अपना प्रत्यावेदन दिया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्व में उन्हे जो भूखण्ड वर्ष 1984 में आवन्टित हुआ था, वह न देकर दूसरा भूखण्ड दिया गया । चूंकि यह भूखण्ड पुराने वाले के बदले में था और उन्हे पुनः विकास खण्ड में भूखण्ड दिनांक 4-6-86 को आवन्टित किया गया । आवन्टी ने पूर्व में आवन्टित भूखण्ड के मूल्य के अनुसार शेष धनराशि रु0 1, 77, 753.00 दिनांक 9-11-86 को जमा कर दिये । आवन्टी द्वारा रजिस्ट्री का बार-बार अनुरोध करने के पश्चात दिनांक 7-6-90 को प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्री हेतु नोटिस भेजी गई ।

6- उपरोक्त क्रम सं0: 4 में अंकित ब्याज के सम्बन्ध में डा0 भटनागर ने अपनी शिकायत लोक शिकायत निदेशालय में की । लोक-शिका0 निदे0 में उनकी याचिका पर सुनवाई दिनांक 5-2-92 को हुई जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अपर-सचिव अभिलेख सहित उपस्थित हुए। याचिका की सुनवाई के दौरान ल0वि0प्रा0 की ओर से बताया गया कि डा0भटनागर के पक्ष में पूर्व में किया गया आवन्टन निरस्त करते हुए उक्त भूखण्ड को तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा विदेशी मुद्रा के आधार पर किसी अन्य के पक्ष में आवन्टित कर दिया गया ।

7- उपरोक्त परिस्थितियों के प्रकरण पर विचार करने के पश्चात निदेशक, लोक शिकायत निदेशालय, लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 13-2-92 जो शासनादेश दिनांक 2-6-92 के साथ संलग्न है, के द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायोचित होगा कि डा0 भटनागर से उनके द्वारा देय धनराशि पर दिनांक 9-11-86 के बाद कोई ब्याज चार्ज न किया जाये तथा दिनांक 9-11-86 तक आगणित ब्याज ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ की धनराशि भी यथा सम्भव कम करने पर विचार कर लिया जाय । शासन ने पत्र दिनांक 2-6-92 द्वारा निर्देश

क्रमशः—

दिये हैं कि प्रश्नगत प्रकरण को लखनऊ विकास प्राधिकरण के संचालक मण्डल के समक्ष रखवाकर दण्ड ब्याज के प्रश्न पर नियमानुसार संचालक मण्डल के निर्णय प्राप्त किये जायें तथा दिनाँक: 12.6.92 तक शासन को स्थिति से अवगत कराया जावे। चूँकि प्राधिकरण की बैठक होने में अभी समय लगने की सम्भवना है, अतः यह प्रस्ताव है कि उपरोक्त आख्या तथा निदेशक, लोक शिकायत निदेशालय के पत्र दिनाँक: 13.2.92 के तारतम्य में दिनाँक: 9.11.86 के पश्चात कोई दण्ड ब्याज डा० भटनागर से न लिया जाये। तथा इस पूर्व प्रकरण में डा० भटनागर को हुई कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए तिथि से पूर्व तक वास्तविक दण्ड ब्याज की राशि का 1/3 माफ कर दी जाये अर्थात, दिनाँक: 9.11.86 तक देय दण्ड ब्याज रु० 56,803.43 पैसे की 1/3 धनराशि रु० 18,934.47 पैसे माफ कर दिया जाये।

के० बी० सक्सेना
कास्ट एकी० कम इकी० प्लानर

आर० के० सिंह
सचिव

10.6.92

10/6

अनुमोदित
11.6.92
अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

अनुलग्नक : "क"

डा० इन्द्र स्वरूप भटनागर को आवन्टित नर्सिंग होम के भूखण्ड की गणना

1-	भूखण्ड का विक्रय मूल्य (1500 वर्ग मीटर दर रु० 242.50 प्रति व०मी०	3, 63, 750.00
2-	दण्ड ब्याज 16%	
	(i) प्रथम किश्त 85, 937.50 (29-7-84 से 28-10-84) तीन माह	3, 437.50
	अक्षोष धनराशि रु० 15, 937.50 (29-10-84 से 3-1-85) 2.25	478.12
	(ii) द्वितीय किश्त 85, 875.00 (29-10-84 से 10-4-85) 5 माह 11 दिन	6, 139.08
	तथा 5875.00 पर 11-4-85 से 9-11-86 = 19 माह	1, 488.33
	(iii) तृतीय किश्त 85, 937.50 पर (29-1-85 से 9-11-86 तक) 21.25 माह	24, 348.95
	(iv) चतुर्थ किश्त 85, 937.50 (29-4-85 से 9-11-86) 18.25 माह	20, 911.45
	जमा की गयी धनराशि	4, 20, 553.43
		3, 43, 753.00
	अक्षोष धनराशि	76, 800.43
	दिनाँक 31-7-90 तक जमा धनराशि	76, 800.50

85,937.50
(-) 62.50
85,875.00

10/6/92
Dy. CIA.

आर०के०श्रीवास्तव
अनु सचिव ।

अर्द्धशा०पत्रसं०-4012/9 आ-5-92-48 डी०ए०/91

आवास अनुभाग-5
उत्तर प्रदेश शासन ।
लखनऊ: दिनांक, 2 जून, 1992

प्रिय महोदय,

गोमती नगर योजना में विकास खण्ड-1 में नर्सिंग होम भूखण्ड का डी० इन्दुस्वरूप भटनागर के पक्ष में किये गये आवंटन विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-110/ए.स्त. दिनांक 22-5-92 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस संदर्भ में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि डी० इन्दु स्वरूप भटनागर ने नर्सिंग होम हेतु विवेक खण्ड में आवंटित भूखण्ड को निरस्त करवाने हुये दो वर्ष बाद उसी प्रयोजनार्थ उन्हें विकास खण्ड में भूखण्ड आवंटित किये जाने के प्रकरण में तथा विशेष तौर पर उनसे मांगे जा रहे ब्याज के संदर्भ में एक याचिका लोक शिकायत निदेशालय में प्रस्तुत की थी। लोक शिकायत निदेशालय में इस याचिका पर दिनांक 5-2-92 को हुई सुनवाई में याची के अतिरिक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव श्री भूपेन्द्र सिंह अभिलेख सहित उपस्थित हुये थे। उक्त प्रकरण में पाये गये तथ्यों के आधार पर श्री नृपेन्द्र मिश्र, सचिव, मुख्य मंत्री एवं निदेशक लोक शिकायत ने अपने अर्द्धशा०पत्रसं०-आ162/92/लोक शि०-4-1992 दिनांक 13-2-92 द्वारा कतिपय संस्तुतियां की गयी थी। इस प्रकरण में यह निर्देश हुए थे कि प्रश्नगत प्रकरण को लखनऊ विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल के समक्ष रखवाकर डण्ड ब्याज के प्रश्न पर नियमानुसार संचालक मंडल के निर्णय प्राप्त किये जाये एवं उससे डी० भटनागर को सूचित किया जाय।

अतः सचिव, मुख्यमंत्री एवं निदेशक, लोक शिकायत के अर्द्धशा० दिनांक 13-2-91 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये अनुरोध है कि इस मामले को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि दिनांक 12 जून, 92 तक पूर्ण आख्या शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध हो जाय। यदि निर्णय प्राधिकरण के संचालक मंडल के स्तर पर लिया जाना हो तो बाई सरकुलेशन स्वीकृति करा ली जाय ।

संलग्नक उक्तवत् ।

भवदीय,

(आर०के०श्रीवास्तव)

श्री अतुल कुमार गुप्ता
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

लोक शिकायत निदेशालय

नृपेन्द्र मिश्र
सचिव, मुख्य मंत्री
एवं
निदेशक, लोक शिकायत

लोक शिकायत अनुभाग-4
मुख्य मंत्री सचिवालय,
एनेक्सी भवन,
लखनऊ

लखनऊ: दिनांक 13.2.92

8.10

प्रिय महोदय,

श्री इन्द्र स्वरूप भटनागर, जिन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर योजना के अंतर्गत नर्सिंग होम हेतु दिनांक 30-7-84 को एक भूखण्ड विवेक खण्ड में आवंटित किया गया था तथा जिनका यह आवंटन अकारण निरस्त करते हुए उन्हें 2 साल बाद दिनांक 4-6-86 को उसी प्रयोजनार्थ विकास खण्ड में भूखण्ड आवंटित किया गया, ने लोक शिकायत निदेशालय में इस प्रकरण के बारे में तथा विशेष तौर पर उनसे माँगे जा रहे ब्याज के संबंध में एक याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका की एक प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। लोक शिकायत निदेशालय में इस याचिका पर दिनांक 5 फरवरी, 1992 को सुनवाई हुई जिसके दौरान याची के अतिरिक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव श्री भूपेन्द्र सिंह अभिलेख सहित उपस्थित हुए।

उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान इस मामले में जो तथ्य सामने आये, वह निम्नानुसार हैं:

III लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री इन्द्र स्वरूप भटनागर को गोमतीनगर योजना के अंतर्गत विवेक खण्ड में एक भूखण्ड नर्सिंग होम बनाने हेतु दिनांक 30-07-84 को आवंटित किया गया, उस समय भूखण्ड का मूल्य रू0 3,48,750.00 निर्धारित किया गया। यह धनराशि आवंटी द्वारा चार त्रैमासिक समान किश्तों में भुगतान किया जाना था। आवंटी श्री भटनागर ने यद्यपि निर्धारित किश्तों के अनुसार पूर्ण भुगतान तो नहीं किया तथापि दिनांक 10-04-85 तक उनके द्वारा तीन किश्तों में रू0 1,71,000.00 जमा कर दिया गया। इस बीच प्राधिकरण द्वारा श्री भटनागर को बिना कोई सूचना देते हुए, उनका उपरोक्त आवंटन

पृष्ठ.....2

787/NS
प्रथम मुख्य
विवेक

14-2-92
(रवीन्द्र शंकर माथुर)
प्रमुख सचिव,
[illegible]

90/92
[illegible]

17-2-92
[illegible]

निरस्त कर दिया गया तथा उक्त भूखण्ड को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया। श्री अटनागर द्वारा जब इस मामले के बारे में प्राधिकरण से जानकारी की गयी तो प्राधिकरण ने अपनी गलती स्वीकार की तथा उन्हें उक्त भूखण्ड के स्थान पर विकास खण्ड में दिनांक 4-6-86 को नया भूखण्ड आवंटित कर दिया। इस नये भूखण्ड के आवंटन आदेश जारी करते समय आवंटी को नये आवंटन की शर्तें भी स्पष्ट नहीं की गयीं। आवंटी ने पूर्व में आवंटित भूखण्ड के मूल्य में अनुसार देय धनराशि रू० 1,77,750.00 दिनांक 9-11-86 को जमा कर दीतथा उसके बाद उपरोक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री हेतु प्राधिकरण से बार-बार अनुरोध किया। प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्री हेतु किये गये इस अनुरोध का कोई जवाब दिनांक 7-6-90 तक नहीं दिया गया।

12। अन्ततः दिनांक 7-6-90 को प्राधिकरण द्वारा आवंटी श्री अटनागर को रू० 76,800.50 की धनराशि अतिरिक्त जमा करते हुए उपरोक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री हेतु नोटिस भेजी गयी। इस नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उसमें रू० 54,375.00 + 36,375.00 की अतिरिक्त मांग किन मदों के अंतर्गत किन कारणों से की जा रही है। श्री अटनागर यह समझते रहे कि उन्होंने भूखण्ड का पूर्ण मूल्य जमा कर दिया है। अतः उपरोक्त अतिरिक्त धनराशि मांगने का औचित्य नहीं है। उन्होंने इस आशय का एक प्रत्यावेदन दिनांक 28-7-90 को लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया। इस प्रत्यावेदन का उत्तर प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष बाद दिनांक 16-8-91 को दिया गया, इस उत्तर में पुनः आवंटी श्री अटनागर को उपरोक्त रू० 76,800.00 की धनराशि दिनांक 31-8-91 तक जमा करने का नोटिस दिया गया तथा साथ में यह भी बताया गया कि इस बीच उनके द्वारा लगभग बारह हजार रू० अतिरिक्त ब्याज देय हो गया है। श्री अटनागर को इस पत्र में यह भी आफर दिया गया कि वे रू० 76,800.00 दिनांक 31-8-91 तक जमा करके रजिस्ट्री करवा लें तथा साथ में देय अतिरिक्त ब्याज की धनराशि के बारे में इस आशय का एक एफीडेविट दे दें कि उन्हें इस ब्याज की धनराशि के बारे में कोई हक निर्णय मान्य होगा। इस स्टेज पर आवंटी श्री अटनागर द्वारा उपरोक्त याचिका लोक शिकायत निदेशालय में प्रस्तुत

पृष्ठ.....3

की गयी तथा संभवतः उन्होंने दिनांक 31-8-1991 के पूर्व लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी पुनः प्रतिवेदन दिया।

याचिका की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के अपर सचिव ने बताया कि श्री भटनागर के पक्ष में किया गया पूर्व आवंटन निरस्त करते हुए, उस भूखण्ड को तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा विदेशी मुद्रा के आधार पर किसी अन्य के पक्ष में आवंटित कर दिया गया था। अपर सचिव से यह पूछने पर कि दिनांक 9-11-86, जब आवंटी ने पूर्ण धनराशि जमा कर दी थी, के बाद लगभग साढ़े तीन वर्ष तक आवंटी के पक्ष में रजिस्ट्री की कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई तो उन्होंने उत्तर दिया कि इस बीच प्रश्नगत भूखण्ड की नाप तथा उसका अंतिम मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। अतः सहमत होंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री भटनागर के पक्ष में किया गया पूर्व आवंटन निरस्त करने तथा उनके द्वारा द्वितीय आवंटन के बाद अवशेष मूल्य जमा कर देने के उपरांत लगभग साढ़े तीन वर्ष तक रजिस्ट्री की कार्यवाही न करने का जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले का और गहराई से परीक्षण करवा लें तथा तदोपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि भविष्य में किसी आवंटी का उपरोक्त प्रकार का अहित न हो तथा उसे समयानुसार रजिस्ट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायोचित होगा कि श्री भटनागर से उनके द्वारा देय धनराशि पर दिनांक 9-11-86 के बाद कोई ब्याज धार्य न किया जाय तथा दिनांक 9-11-86 तक आगणित ब्याज की धनराशि भी यथा संभव कम करने पर विचार कर लिया जाय।

मैं आभारी हूँगा यदि उपरोक्त प्रकरण में कृत कार्यवाही की सूचना यथा समय मुझे भी उपलब्ध करवा दें।

भवदीय,

। नृपेन्द्र मिश्र ।

श्री [illegible] माथुर,
[illegible] सचिव, आवास,
[illegible] प्रदेश। शासन।

सचिव
नगर विकास विभाग
कृपया पत्रावली आवश्यक
सहित प्रस्तुत करें।

उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

कम्प्यूटर

विषय:- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटन में थांथले की जनता को कष्ट देना।-

महोदया,

उपरोक्त विषय में अपने ऊपर बीता उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस निवेदन के साथ कि मेरा मानसिक कष्ट जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जा रहा है उसका निवारण करने की कृपा करें।

मुझे गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नर्सिंग होम बनाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या- नं0-3505 जे0 एस0 दिनांक 30-7-84 द्वारा विवेक खण्ड में एक भूखण्ड आवंटित करा गया था जिसकी कुल राशि 3,48,750·00 (तीन लाख अड़तालिस हजार सात सौ पचास रुपया) नियुक्त की गई थी। (संलग्न प्रति-1) मैंने पहली दो किश्त रु0 [illegible],000·00 और 80,000·00 प्राधिकरण द्वारा नियुक्त बैंक में जमा कर दी। तीसरी किश्त जमा करते समय मुझे पता लगा कि जो भूखण्ड मुझे आवंटित करा गया था वह किसी दूसरे पक्ष को देकर तुरन्त रजिस्ट्री भी कर दी गई है। इस घटना की शिकायत मैंने तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय से की। उन्होंने विकास प्राधिकरण की गलती स्वीकार की और विवेक खण्ड स्थित प्लाट के बदले विकास खण्ड में दूसरा भूखण्ड दिया। (संलग्न फोटोस्टेट -2) मैंने पत्र मिलते ही दो किश्त दिनांक 9-11-86 को नियुक्त बैंक में जमा कर दी।

कानून के अन्तर्गत तो यह कान्टेक्ट 9-11-86 को ही मेरी तरफ से पूरा हो गया था, जब मैंने पूरी राशि रु0 3,48,750·00 इस तिथि को जमा कर दी थी। विकास प्राधिकरण को मेरे नाम रजिस्ट्री भी उसी समय कर देनी चाहिए थी।

बहुत खेद की बात है कि जब मैंने कई बार प्रार्थना की कि भूखण्ड की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दी जाय तो मुझसे 76,800·00 की राशि और जिसको 30-6-90 तक जमा करने के लिए पत्र सं0-559 ए0एस0, 7-6-90 (संलग्नक-3)

.....2

.दया। इस पत्र में लिखा है कि यह राशि पुराने और नये आवंटन की दरों में वृद्धि के कारण है। इस विषय में मुझे कहना है कि हमारा जो भूखण्ड मुझे .दिया गया वह पहले भू.खण्ड के बदले में दिया गया था, जिसको प्राधिकरण की गलती से दूसरे पक्ष को दे दिया गया था। इसलिए यह नया आवंटन नहीं है और नई दर का सवाल ही नहीं उठता।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस कान्ट्रेक्ट में मेरी कोई गलती नहीं है। बल्कि प्राधिकरण की गलती से मुझे आर्थिक नुकसान ले रहा है। पहले तो बहुत बड़ी धनराशि की (रु० 1,66,000·00) तो विका. प्राधिकरण ने ले ली और मरे उसी प्लाट को दूसरे पक्ष को दे दिया और इसके बाद पहले भूखण्ड के स्थान पर दिये गये दूसरे भूखण्ड का भी बकाया रुपया ले लिया और भुगतान किये भी 5 वर्ष से अधिक समय हो जाने के पश्चात भी रजिस्ट्री और कब्जा नहीं दिया और 3,48,750·00 का ब्याज भी प्राधिकरण ले रहा है।

विकास प्राधिकरण की पत्र सं०- दिनांक 4-6-86 (संलग्नक-2) में स्पष्ट लिखा है कि यह दूसरा भूखण्ड पहले भूखण्ड के बदले में दिया जा रहा है और बढ़ी हुई दर का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए इस नयी धनराशि को मुझसे मांगना न्यायोचित नहीं है। यहे मैं अपने पत्रोत्तर दिनांक 28-7-90 (संलग्नक-4) में लिखित दे चुका हूँ। मैं प्राधिकरण को व्यक्तिगत और लिखित रूप से समय-समय पर अपने इस पत्रोत्तर के विषय में याद दिलाता रहा हूँ। (संलग्नक-5) दिनांक 20-5-91 के मेरे पत्रोत्तर; इसका उत्तर विकास प्राधिकरण ने दिनांक 16-8-91 (संलग्नक-6) जो मुझे 19-8-91 को शाम 5·30 बजे प्राप्त हुआ (संलग्नक-6) यानी एक साल से ऊपर होने के पश्चात दिया और इसमें भी रु० 76,800·50 की धनराशि और मांगना उचित बताया है। इतना ही नहीं इस धनराशि पर पूरे एक साल का ब्याज 16% के हिसाब से थोप दिया है। साल भर तो विकास प्राधिकरण सोता रहा और मैं बार-बार याद दिलाता रहा और दोषी मुझे ही ठहरा कर 16% का अतिरिक्त दण्ड ब्याज जोड़ दिया और इस बात का शपथ पत्र भी मांगा है कि इस ब्याजबेबारे में जो कोई निश्चय करेगा वह मुझे मान्य होगा तत्पश्चात भूखण्ड की रजिस्ट्री और कब्जा मुझे दिया जायेगा। इस विषय में उपाध्यक्ष महोदय और चीफ एकाउन्ट्स आफीसर से मिला

.....3

तो दोनों ने धमकी दी कि 30-8-91 तक यह राशि जमा नहीं की तो आवंटन रद्द कर दिया जायेगा। इस पत्र (एनेक्सर 5) का उत्तर मैंने दि० 28.8.91 (एनेक्सर 6) लखनऊ विकास प्राधिकरण को भेज दिया।

आवेदन करना चाहता हूँ कि पांच वर्ष पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुझसे तीन लाख अड़तालिस हजार सात सौ पचास की राशि तो ले ली, जो ब्याज सहित इस अवधि में अब तक दुगनी हो चुकी है, और उसने मुझे अब तक भूखण्ड नहीं दिया। इसलिए उस समय जब से मैंने राशि दी और अब तक विकास प्राधिकरण मुझे मेरा भूखण्ड नहीं देता है, मुझे है इस राशि के ऊपर 18% के हिसाब से ब्याज विकास प्राधिकरण द्वारा देने की कृपा की जाये।

अन्त में निवेदन है कि मेरी मानसिक आर्थिक व शारीरिक परिस्थितियों का उत्तरदायित्व विकास प्राधिकरण की नीति और रीति की वजह से है। उसका उचित न्याय चाहता हूँ और प्रार्थना है कि मुझे भूखण्ड तुरन्त दिलाया जाये ताकि मैं अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकूँ।

भवदीय

[illegible]

(इन्द्र स्वरूप भटनागर)
बी-7, मे रोड,
महानगर, विस्तार,
लखनऊ।

[illegible] प्रस्ताव संख्या:02 अनुमोदनार्थ ।

विषय: श्रीमती मीना कुमारी को गोमती नगर योजना में आवन्टित भूखण्ड के सम्बन्ध में दण्ड ब्याज न लिये जाने के सम्बन्ध में ।

======

आख्या: श्रीमती मीना कुमारी को गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में भूखण्ड संख्या: 2/62 [एस] आवन्टित हुआ था। सम्पत्ति विभाग के पत्र दिनांक 28-6-91 द्वारा श्रीमती मीना कुमारी को सूचित किया गया था कि अवशेष धनराशि रु0 1,87,000/- दिनांक 31-8-91 तक जमा कर दें, अन्यथा 16% वार्षिक की दर से दण्ड ब्याज दिनांक 1-9-91 से देय होगा । श्रीमती मीना कुमारी को सम्पत्ति विभाग के पत्र दिनांक 28-9-91 द्वारा दिनांक 31-10-91 तक सब्याज धनराशि जमा करने के लिये तथा पुनः सम्पत्ति विभाग के पत्र दिनांक 11-3-92 द्वारा दिनांक 31-3-92 तक सब्याज अवशेष धनराशि जमा करने हेतु समय दिया गया ।

[2] श्रीमती मीना कुमारी ने दिनांक 2-4-92 को रु0 1.00 लाख जमा कर दिया । इस प्रकार रु0 87,000/- अवशेष है ।

[3] श्रीमती मीना कुमारी ने अपने उपरोक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.5.92 में अनुरोध किया है कि उन्हें अवशेष धनराशि जमा करने के लिये 6 माह का समय दे दिया जाय। साथ ही उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उनकी विपन्न पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में दण्ड ब्याज की देयता से मुक्त कर दिया जाय । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि श्रीमती मीना, शहीद पुलिस इन्सपेक्टर श्री मूल चन्द की पत्नी है । उनके उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के साथ समाचार पत्र की कटिंग लगी हुई है, जिसमें शहीद पुलिस इन्सपेक्टर मूल चन्द्र के बलिदान की सराहना की गई है कि उन्होंने डाकुओं का बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला किया ।

[4] श्रीमती मीना कुमारी के उपरोक्त प्रार्थनापत्र के साथ गृह सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्र दिनांक 2-3-82 जो तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित है, की फोटो-प्रति संलग्न की गई है जिसमें सरकार ने श्रीमती मीना कुमारी को निम्न 3 सुविधायें प्रदान की :-

[i] जिस भवन में श्रीमती मूल चन्द [श्रीमती मीना कुमारी] निवास कर रही हैं, उसके किराये का भार 3 वर्ष तक उनके ऊपर न पड़े और इस अवधि के लिये उस किराये का भुगतान वेलफेयर फण्ड से किया जाय ।

[ii] श्रीमती मूल चन्द के बच्चों की शिक्षा निशुल्क हो अर्थात उनकी फीस का भुगतान वेलफेयर फण्ड से किया जाय ।

क्रमशः—

(iii) यदि श्रीमती मीना कुमारी बस का परमिट चाहती हों तो प्राथमिकता के आधार पर परमिट दिलवाया जाय

(5) श्रीमती मीना कुमारी की कथित परिस्थितियों में उ0प्र0 शासन ने भी उनकी समुचित सहायता की । अतः वर्णित परिस्थितियों में मानवता के आधार पर श्रीमती मीना कुमारी से अब तक देय दण्ड ब्याज न लिया जाय और दिनाँक 30-11-92 तक अवशेष धनराशि जमा करने हेतु बिना ब्याज के समय दे दिया जाय ।

(6) चूंकि प्राधिकरण की बैठक होने में अभी काफी समय लगने की सम्भावना है, अतः उपरोक्त प्रस्ताव परिपालन हेतु प्रेषित है ।

(के0 बी0 सक्सेना)
कास्ट एकाउन्टेन्ट कम
इकोनामिक प्लानर

(आर0 के0 सिंह)
सचिव

सहमत
10.6.92

सहमत
10/6

अनुमोदित
11.6.92
अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

प्रेषक,

श्रीमती मीना कुमारी,
पत्नी स्व० मूल चन्द,
पुलिस इंस्पेक्टर, ३।१४ आफिसर्स कालोनी,
कैसरबाग,
लखनऊ

सेवा में,

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,
लखनऊ

संख्या मेमो।वविध।९२ दिनांक मई २०, १९९२

महोदय,

मुझे गोमती नगर में आवंटित भूखन्ड संख्या बी० २।६२।एस०। विशालखन्ड के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भूखन्ड के मूल्य के १००,००० रु० मेरे द्वारा २ अप्रैल, १९९२ को जमा कर दिये गये हैं। कतिपय अपरिहार्य कारणों से मैं अभी शेष ७०,००० रु० की धनराशि जमा नहीं कर सकी हूं।

अनुरोध है कि इस धनराशि को जमा करने के लिये मुझे छै माह का समय दे दिया जाये। साथ ही यह भी अनुरोध है कि मेरी विपन्न पारिवारिक स्थिति को देखते हुए विशेष परिस्थिति में दन्ड ब्याज की देयता से मुझे अवमुक्त कर दिया जाये।

भवदीय,

मीना कुमारी

(श्रीमती मीना कुमारी)

...ने, उन्होंने उन तीनों को बैलगाड़ी पहुंचाया। वहां से गुरमुक सिंह ...रों घायलों को रात में ही कानपुर ...ला अस्पताल पहुंचाया गया। तीन घायलों में देवप्रयाग और कृष्णस्वरूप साथ युवक पेन्टर सिंह भी था, जो दूसरी बार भी मौत के मुंह से बचने में सफल हो गया था।

फूलन देवी ने २० लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इनमें १८ ठाकुर थे।

आखिर कौन थी यह फूलन देवी? उसने बेहमई में इतना बड़ा नर-संहार क्यों किया था?

बेहमई गांव के एक लोहार के यहां डकैती पड़ गयी थी। उसके बाद से १४ फरवरी तक उस गांव में कभी पुलिस नहीं गयी थी। बेहमई में लगभग ५० कच्चे-पक्के मकान हैं। गांव की आबादी ४५० के लगभग है, जिसमें ९० प्रतिशत ठाकुर हैं। केवल दस घर गड़रिया, लोहार, बनिया और ब्राह्मण के हैं। १७ फरवरी को ऊबड़-खाबड़ रास्तों को पार करके लेखक जब बेहमई पहुंचा, तो वहां बड़ा ही कारुणिक दृश्य था। एक दिन पहले ही पुलिस-महानिरीक्षक महेन्द्र सिंह वहां का निरीक्षण करके गये थे। मजे की बात यह थी कि १४, बने कच्चे-अधकच्चे मकानों के इर्दगिर्द ... की घुटन पैदा करनेवाला मातम ... छाया हुआ था। लोग अलग-अलग ... में खड़े सहमे-सहमे बातें कर रहे थे। आधे से अधिक पुरुषों और बच्चों के सिर मुंडे हुए थे। वहां का लगभग प्रत्येक घर किसी-न-किसी रूप में उस हृदय-विदारक घटना का शिकार हुआ था। सबसे बुरी हालत उन परिवारों की थी, जिनका कोई हाल-चाल लेनेवाला नहीं रह गया था।

मरनेवालों में १८ वर्षीय लाल सिंह भी था, जिसका विवाह आठ माह पूर्व हुआ था



शहीद पुलिस इंसपेक्टर मूलचन्द

कर्तव्य की बलि-वेदी पर

फूलन देवी-गिरोह के एक अंग बलवान गड़रिया को उसके ६ साथियों के साथ मौत के घाट उतारनेवाले भोगनीपुर थाने के प्रभारी-अधिकारी मूलचन्द ने अपने प्राणों की आहुति देकर पुलिस के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है।

२३ फरवरी की शाम जालौन के पुलिस-अधीक्षक उमाशंकर बाजपेई को यह सूचना मिली कि बेटवा घाट के पास बलवान अपने १२ साथियों के साथ छिपा था। उसके साथ बन्धु-सुन्दरी मीरा ठाकुर भी थी। यह सूचना मिलते ही श्री बाजपेई पुलिस की एक टुकड़ी के साथ बेटवा घाट आ पहुंचे। डाकू-दल पुलिस को देखते ही बीहड़ों की ओर भागा। पुलिस की टुकड़ी उसके पीछे लग गयी। डाकुओं का पीछा करते-करते काफी रात हो गयी। अन्धेरे के कारण पुलिस दल ने पीछा जारी रखा। पुलिस और डाकुओं में आंख-मिचौली के बीच सुबह हो गयी, पर डाकुओं का पीछा जारी रखा गया।

पुलिस-द्वारा बराबर पीछा करने से डाकुओं को अपने पकड़े जाने का भय हो गया। इस पर डाकुओं ने पुलिस-दल को धोखा देने के लिए रास्ते में अपनी-अपनी वर्दी उतार कर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस का पीछा जारी रहा। पुलिस-दल पीछा करते हुए जब परसाना गांव पहुंचा, तो वहां तीन डाकुओं ने पहले से ही कच्ची ईंटों के ढेर के पीछे छिपकर पोजीशन ले ली तथा तीन डाकू लंगोट और जांघिया पहनकर ईंट बनाने लगे। पुलिस-दल उन्हें ग्रामीण समझ कर डाकुओं के बारे में पूछताछ करने आ पहुंचा। इंसपेक्टर मूलचन्द सबसे आगे थे। पुलिस को अपनी ओर आते हुए देख ईंटों के पीछे छिपे डाकुओं ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस-दल जब तक पोजीशन ले, तब तक मूलचन्द डाकुओं की गोली से घायल होकर गिर पड़े। मूलचन्द ने गिरते ही रायफल ... और डाकू अंधाधुन्ध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसी समय डाकुओं-द्वारा चलायी गयी दो गोलियां उनके शरीर को छेदती हुई निकल गयीं, जिससे वह घटना-स्थल पर ही शहीद हो गये।

उनके मरते ही ईंट पांथ रहे एक डाकू ने उनकी बन्दूक उठा ली और पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी। लेकिन तब तक डाकू-दल चारों ओर से घेरा जा चुका था। पुलिस और पी०ए०सी० के जवानों ने जबरदस्त गोली-वर्षा कर बलवान तथा उसके ६ साथियों को मौत के घाट उतार दिया।

बलवान के मरते ही मीरा ठाकुर चार अन्य साथियों के साथ गोलियां चलाते हुए भागने लगी। पुलिस-दल ने उसका १२ किलोमीटर तक पीछा किया, किन्तु वह बीहड़ों में जाकर गायब हो गयी।

२५ फरवरी को मूलचन्द की अन्त्येष्टि पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ कानपुर के भैरव-घाट पर की गयी। शव-यात्रा में मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र त्रिपाठी, पुलिस महानिरीक्षक नरेश कुमार तथा हजारों की संख्या में नागरिक शामिल थे।

इसके पूर्व भोगनीपुर थाने में स्वर्गीय मूलचन्द को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्य मंत्री काफी भावुक हो उठे। उनकी आंखें भर आयीं। मुख्य मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय मूलचन्द ने आज से १५ वर्ष पूर्व पुलिस की वर्दी पहनी थी। वह आज भी खून से सनी वर्दी पहने चिता तक जायेंगे, मौत भी उनसे उनकी वर्दी अलग नहीं कर सकी। स्वर्गीय मूलचन्द ... प्रेरणा बन कर सदैव अमर रहेंगे।

२२ फरवरी को गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने भोगनीपुर थाने में जो व्यूह-रचना की थी, उसमें जिन पांच पुलिस कर्मियों ने शपथपूर्वक दायित्व निर्वाहन का संकल्प किया था, मूलचन्द उनमें से एक थे। उन्होंने कहा था कि या तो डाकुओं को लाश लेकर लौटूंगा या मेरी लाश लौटेगी। मूलचन्द ने अपना वचन निभाया।

कर्तव्य की बलि-वेदी पर शहीद स्वर्गीय मूलचन्द के परिवार को राज्य सरकार ने अपनी ओर से २५ हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता तथा उनके दस और सात वर्षीय दोनों बच्चों की पूरी शिक्षा का दायित्व और निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है।

मूलचन्द की शहादत की कद्र केवल सरकार ने ही नहीं, वरन बेहमई गांव की विधवाओं ने भी किया है। उन्होंने १००० रुपये शहीद की विधवा पत्नी को अपनी संवेदना-स्वरूप भेंट किये हैं।

अजय—अशो...

बेहमई गांव कानपुर शहर से ८५ किलोमीटर दूर बसा हुआ है। कानपुर से इटावा जानेवाले मार्ग पर करीब ७२ किलोमीटर जाने पर सड़क के किनारे ही राजपुर है। राजपुर पुलिस-चौकी से थोड़ा आगे बढ़ने पर बायीं ओर यमुना के बीहड़ों के लिए रास्ता गया है। १५ किलोमीटर का यह ऊबड़-खाबड़ रास्ता सीधे बेहमई गांव से जा जुड़ता है। इसके रास्ते में दामनपुर गांव भी है।

यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित घने बीहड़ों को स्पर्श करता बेहमई गांव है। बताया जाता है कि आज से ६ साल पहले फरवरी की शाम यह घटना घटी थी, और उसकी सूचना २४ घंटे बाद १५ फरवरी की शाम लखनऊ में पुलिस-महानिरीक्षक को मिल पायी थी। डाकुओं-द्वारा इतना बड़ा नरसंहार उत्तर-प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इसे ध्यान में रखकर सूचना मिलते ही महानिरीक्षक को घटना-स्थल पर तत्काल पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह घटना की गम्भीरता को नजरंदाज करते हुए, बताया जाता है, लखनऊ में 'स्वप्न-सुन्दरी' का नृत्य देखने में व्यस्त थे।

बेहमई गांव के पक्के पुर्जे के चारों ओर और अभी उसका गौना होना बाकी था उसकी पत्नी ने पहली बार विवाह के लिए पति का मुंह देखा था, दूसरी बार मृत्यु गोद में सोये पति का ही मुंह देख पायी सबसे अधिक ... के परिवार की थी, जो अपने दो जवान बेटों के साथ इस लोमहर्षक हत्याकांड का शिकार हुआ था। उसके परिवार में तीन अविवाहित बेटियां, दो विधवा बहुएं और ... विधवा बची थी। ... तो सुरेन्द्र ... रही थी।

राम चन्द्र टक्कर
गृह सचिव ।

संख्या- [illegible]

विधान भवन-नवमी
लखनऊ ।

दिनांक: २ मार्च, १९८२

प्रिय श्री नरेश कुमार,

आपको ज्ञात ही है कि मोगनीपुर के थानाध्यक्ष श्री मूल चन्द वीरगति को प्राप्त हुये थे और उनकी विधवा को सहायता दिये जाने की घोषणा भी की गई थी । परिवार की आर्थिक सहायता की जा चुकी है और विधवा को असाधारण पेन्शन नियमावली के अन्तर्गत पेन्शन के आदेश भी हो चुके हैं ।

इस सन्दर्भ में मुझे उच्च स्तर पर बात-चीत करने का अवसर मिला था और निम्नवत अनुरोध उस परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूं-

(१) जिस भवन में श्रीमती मूल चन्द निवास कर रही हैं उसके किराये का भार ३ वर्ष के लिये उन पर न पड़े और इस अवधि के लिये उसका भुगतान 'वैलफेयर कोष' से कर दिया जाय ।

(२) श्रीमती मूल चन्द के बच्चों की शिक्षा निशुल्क हो अर्थात् उनकी फीस का भुगतान 'वैलफेयर कोष' से कर दिया जाय ।

(३) हर थाने में व्यवस्था की जाय कि यदि उस थाने में कार्यरत कोई पुलिस कर्मी वीरगति को प्राप्त होता है तो थाने पर एक पत्थर लगा हो जिस पर उसका नाम और वीरगति को प्राप्त होने की तिथि आदि लिखी हो ।

(४) यदि श्रीमती मूल चन्द बस का परमिट चाहती हों तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर परमिट दिलवाया जाय । इस हेतु यदि वह प्रार्थनापत्र दें तो कृपया प्राप्त कर शासन के पास भेजने का कष्ट करें जिस से परिवहन विभाग से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया जा सके ।

२. शासन की यह भी इच्छा है कि वीरगति को प्राप्त होने वाले कार्मियों के मामलों में तत्परता से कार्रवाई किये जाने के लिये कार्य प्रणाली

Urgent
A/C.
Please examine and put up urgently
[illegible]
[illegible]
4.3.82
I
Pl. [illegible]
[illegible]
5/3

आपके द्वारा निर्धारित करदी जाय जिस से ऐसा न हो कि किसी मामले में तो तत्परता होजाय और किसी मामले में उपेक्षा। इस बात के बारे में निश्चित आदेश होने चाहिये कि यदि कोई कर्मी वीरगति को प्राप्त होता है तो नियुक्ति के जनपद के पुलिस अधीक्षक का क्या उत्तरदायित्व होगा और सम्बन्धित कर्मचारी के निवास के जनपद हो उस कर्मचारी का परिवार रहता है अथवा रहना चाहे, उन पुलिस अधीक्षक का क्या उत्तरदायित्व होगा। साथ ही यह भी व्यवस्था होना चाहिये कि परिवार की सहायता कितनी अवधि में पूरी होजाय। तत्पश्चात् हर जनपद में ऐसे परिवारों से सम्पर्क रक्खा जाय और समय समय पर कोई अधिकारी परिवार से मिलकर उनकी कुशल-क्षेम ज्ञात करें एवं आवश्यकतानुसार उन्हें परामर्श अथवा सहायता दें। इस से किसी भी समय परिवार अपने को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। सुझाव मात्र है कि यह परिवार पुलिस लाइन के वेलफेयर संगठन से सम्बद्ध रहें और वहां की महिला कल्याण योजना के अंग माने जाय।

इस बिन्दु पर कृपया विचार करने का कष्ट करें और आवश्यक निर्देश भी दे दें। यदि कोई सुझाव देना चाहें तो अवश्य दें जिससे कि उन पर विचार होसके।

भवदीय,

(राम चन्द्र टक्क)

श्री नरेश कुमार,
पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०,
लखनऊ।

अ०डा०पत्र संख्या: [illegible] 1986 [illegible]

[illegible]
उत्तर प्रदेश

दिनांक [illegible] मार्च [illegible] 1982

प्रिय सिंह,

श्रीमती मीना कुमारी विधवा स्व० [illegible] श्री मूल चन्द [illegible] समय अपने परिवार सहित [illegible] बाग कालोनी, लखनऊ में स्थित प्लेट नम्बर 3/14 में रह रही हैं। इनके बारे में अग्रिम सहायता हेतु पालन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

Occupying house from 20-6-81 to 20-6-84

(1) जिस भवन में श्रीमती मूल चन्द निवास कर रही हैं। उसके किराये का भार 3 वर्ष के लिये उन पर न पड़े और इस अवधि के लिये उसका भुगतान वेलफेयर फण्ड से कर दिया जाये।

(2) श्रीमती मूल चन्द के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो अर्थात् उनकी फीस का भुगतान वेलफेयर फण्ड से कर दिया जाये।

(3) यदि श्रीमती मूल चन्द बस का परमिट चाहती हों तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर परमिट दिलवाया जाये। इस हेतु यदि वह प्रार्थना-पत्र दें तो कृपया उसे प्राप्त कर इस कार्यालय को तुरन्त भिजवाने की व्यवस्था करें।

आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर उचित कार्यवाही करें। "वेलफेयर फण्ड" से दिये जाने वाले तीन वर्ष के मकान किराये एवं उनके सभी बच्चों का एक वर्ष का शिक्षा शुल्क का विवरण तुरन्त मुझे सूचित करने का कष्ट करें। बस के परमिट के बारे में भी जैसा कि ऊपर कहा गया है, उचित कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

11.2

(जे० के० पी० सिंह)

श्री सुरेश पाल सिंह,
ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक,
लखनऊ।

प्रतिलिपि "वेलफेयर फण्ड सेक्शन, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वित्तीय वर्ष 1991-92 में विकास प्राधिकरण, लखनऊ के निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत ऋण लिये जाने हेतु योजना हुडको में प्रस्तुत की गई थी:- ८

(1)	सीतापुर रोड योजना फेज-1 भाग-3	रू0- 331.77 लाख
(2)	सीतापुर रोड योजना फेज-1 भाग-4	रू0- 187.39 लाख
(3)	आपरेशंन फाइनेन्स	रू0- 500.00 लाख
(4)	उजरियांव आवासीय योजना भाग-2	रू0- 500.00 लाख
(5)	सलेस फार्म भाग-1	रू0- 473.07 लाख
(6)	सलेस फार्म भाग-2	रू0- 263.37 लाख
(7)	कानपुर रोड योजना फेज-3 भाग-3	रू0- 180.95 लाख
(8)	उजरियांव आवासीय योजना भाग-3	रू0- 461.00 लाख

उपरोक्त क्रम संख्या-1 से 3 पर अंकित योजनाओं की स्वीकृति हुडको द्वारा प्रदान की गयी थी जिसके अन्तर्गत ऋण भी अवमुक्त कराया जा चुका है। इन तीन योजनाओं हेतु शासन द्वारा वर्ष 1991-92 में रू0- 1019.16 लाख की बल्क गारन्टी उपलब्ध करायी गयी थी जो दिनॉक 31, मार्च, 1992 को समाप्त हो गयी है। क्रम संख्या-4 पर अंकित योजना हेतु हुडको द्वारा दिनॉक 31.3.92 को रू0- 375.00लाख की योजना हुडको द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा क्रम सं0-5 से 8 पर अंकित योजनाओं की स्वीकृति हुडको द्वारा शीघ्र प्रदान की जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण वर्ष 1992-93 में आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भी हुडको में ऋण हेतु योजना प्रस्तुत करेगा। शासन द्वारा वर्ष 1992-93 हेतु बल्क गारन्टी उपलब्ध कराने में समय लगने की सम्भावना है तथा जून, 1992 तक लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हुडको को रू0- 5.00 करोड़ प्रतिदान करना है एवं यदि यह ऋण अवमुक्त नहीं होगा तो हुडको में ऋण के प्रतिदान में डिफाल्ट हो जायेगा तथा भविष्य में प्राधिकरण को हुडको से ऋण न प्राप्त होने के साथ-साथ प्राधिकरण की छवि धूमिल होगी तथा ऋण की धनराशि पर 2.5% की दर से दण्डात्मक ब्याज भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को देना पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि शीघ्र ऋण अवमुक्त कराने के लिये सिक्यूरिटी के रूप में निगेटिव लियन के आधार पर हुडको से ऋण प्राप्त कर लिया जाय। शासन द्वारा गारन्टी देने के उपरान्त निगेटिव लियेन समाप्त हो जायेगा।

प्रस्ताव

प्राधिकरण से अनुरोध है कि वर्ष 1992-93 में हुडको से विभिन्न भूमि अर्जन व आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु निगेटिव लियन के रूप में सिक्यूरिटी देने तथा प्राधिकरण की तरफ से पावर आफ एटार्नी पर हस्ताक्षर करने व कामन सील लगाने हेतु उपाध्यक्ष/सचिव/मुख्य अभियन्ता को अधिकृत करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया जाय।

(आर0 के0 सिंह)
सचिव।

(अतुल कुमार गुप्ता)
उपाध्यक्ष

(नरेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियन्ता

19.6.92
(रमेश चन्द्र)
अध्यक्ष।

(पी0 के0 वाष्र्णेय)
मुख्य अभियन्ता-पूर्व क्षेत्र
उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ।

(शेखर अग्रवाल)
विशेष सचिव वित्त।

(अशोक प्रियदर्शी)

विषय:- आपरेशन फाइनेन्स के अन्तर्गत हुडको नई दिल्ली द्वारा रूपया 500.00 लाख ऋण लेने की अनुमति ।

.....

आदेश :-

विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा कई योजनाओं हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है जिसके अन्तर्गत आई हाल में उजरियांव आवासी योजना भाग-3 के अन्तर्गत 271.105 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु भूमि अध्यप्ति अधिनियम की धारा -4 के अन्तर्गत दिनांक 30-9-91 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा धारा -6 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व विशेष भूमि अध्यप्ति अधिकारी भारत सहायक परियोजना । लखनऊ । द्वारा रूपया 461.00 लाख की मांग की जा रही है । इसके अतिरिक्त उजरियांव आवासीय योजना भाग-5 के अन्तर्गत भी लगभग 122.53 एकड़ की भूमि के अर्जन हेतु भी रू0 236.48 लाख विशेष भूमि अध्यप्ति अधिकारी को उपलब्ध कराना है । भूमि अर्जन के अतिरिक्त भी कई आवासीय योजना-जैसे कि गोमती नगर में राज्य सरकार / केन्द्र सरकार तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों / अधिकारियों हेतु आवासीय योजना, कालविन टालेज योजना का क्रियान्वयन भी किया जाना है । इन भूमि अर्जन व आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण को धन की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति हेतु हुडको या अन्य संस्थाओं से ऋण लेना आवश्यक है ।

इसी क्रम में आपरेशनल फाइनेन्स के अन्तर्गत रू0 500.00 लाख का ऋण हुडको से प्राप्त करने हेतु दिनांक 24-11-91 को आवेदन किया गया था एवं हुडकों द्वारा दिनांक 21-02- 92 को ऋण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।एवं ऋण लेने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति एवं दिनांक 10-3-92 को रू0 1019.16 लाख की डेफिसिएन्सी गारण्टी भी उपलब्ध कराई जा चुकी है । । शासन के स्वीकृत की फोटो प्रति संलग्न है । हुडको से ऋण प्रभुक्त करने से पूर्व ऋण लेने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन व लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से अनुबन्ध सम्पादित करने व कामन सील लगाने के संकल्प की मांग की है ।

प्रस्ताव :-

प्राधिकरण से अनुरोध है कि आपरेशनल गाइडलैन्स के अन्तर्गत हुडको से रु० 500.00 लाख के ऋण लेने की स्वीकृति व प्राधिकरण की तरफ से उपाध्यक्ष / मुख्य अभियन्ता को अनुबन्ध आदि पर हस्ताक्षर करने व कामन सील लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए ।

| दिनेश राय |
उपाध्यक्ष

| आर० पी० सिंह |
सचिव

21/3/92
(शंकर अग्रवाल)
विशेष सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

| जे०पी० भार्गव |
21/3
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
उत्तर प्रदेश

21.3.92
| अतुल कुमार गुप्ता |
आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।

True Copy attested

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

| अशोक प्रियदर्शी |
जिलाधिकारी
लखनऊ ।

23.3.92
| रमेश चन्द्र |
अध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, लखनऊ
आयुक्त, लखनऊ मण्डल,

अनुलग्नक संख्या: 7 पृष्ठ संख्या: 25

विषय: श्री एस0सी0 शर्मा, तत्कालीन उप सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवंटित जीप संख्या: यू. जी. आई. 963 (चोरी गई) को लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्टाक से "राईट आफ" किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या: श्री एस0 सी0 शर्मा, उप सचिव के घर से दिनाँक 6/7-1-1987 की रात को किसी समय जीप संख्या- यू0जी0आई-963 जो उन्हे सरकारी कार्य हेतु आवन्टित थी, चोरी चली गई। जिसका पता श्री शर्मा को दिनाँक 7-1-87 को सुबह 5.30 बजे लगा। श्री शर्मा ने दिनाँक 7-1-87 को ही सम्बन्धित थाना महानगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। जीप चोरी के सम्बन्ध में एक जाँच प्राधिकरण द्वारा की गई थी, जाँच अधिकारी ने श्री शर्मा से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगा। अपने उत्तर में श्री शर्मा ने कहा कि गाड़ी विकास प्राधिकरण प्राँगण में ही खड़ी होती थी लेकिन दिनाँक 6-1-87 को उन्हे कुछ सरकारी निरीक्षण आदि करना था इसलिये दिनाँक 5-1-87 को उन्होने तत्कालीन सचिव महोदय से गाड़ी बुलाकर घर ले जाने तथा घर पर खड़ी करने की अनुमति माँगी जिसपर सचिव महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी। सचिव महोदय की स्वीकृति उपरान्त ही श्री शर्मा ने गाड़ी अपने घर पर खड़ी की थी जहाँ से चोरी चली गई जिसकी विधिवत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। पुलिस द्वारा मामले की तहकीकात की गई लेकिन माल-मुल्जिम का पता न लग पाने की दशा में फाइनल रिपोर्ट दिनाँक 12-2-87 को लगा दी। इस प्रकार प्रथम दृष्टि से इस मामले में श्री एस0सी0शर्मा का कोई दोष साबित नहीं होता है। जीप चालक इस विभाग से नौकरी छोड़कर चला गया है, इसलिये उससे नये सिरे से पूछ-ताछ नहीं की जा सकती है। यह प्रकरण काफी पुराना हो गया है इसलिये इसमें कोई नया तथ्य प्रकाश में आने की सम्भावना समाप्त हो गयी है।

प्रेषक:----

चोरी गयी जीप जेन्डा-यू0पी0आई0-963 की कास्टिंग विभाग द्वारा की गयी, गणना आयकर की धारा 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में ह्रास 20% है । तदनुसार जीप के अवशेष मूल्य की गणना निम्नवत है :-

1-	दिनांक: 25-3-85 को जीप का मूल्य	रु0 96,935·44
2-	घटाया- ह्रास@ 20% {25-3-85 से 24-3-86 तक} एक वर्ष	19,387·09
		रु0 77,548·35
3-	घटाया ह्रास@20% {25-3-86 से 31-12-86तक} लगभग- 9 माह	रु0 11,632·25
4-	अवशेष मूल्य	रु0 65,916·10
	अर्थात	रु0 65,916·00

चोरी की तिथि 6/7-1-87 को अवशेष मूल्य लगभग रुपये- 65,916·00{रुपया- पैंसठ हजार नौ सौ सोलह मात्र} आता है।उपरोक्त के अतिरिक्त क्रय की गयी तिथि से उक्त वाहन लगभग 32,000 किलो मीटर चल चुकी थी । तथा इसका बीमा नहीं था ।

अत: उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखाते हुए इस जीप प्रकरण को लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्टाक से चोरी गयी जीप सं0-यू0पी0आई0 963 के मूल्य ह्रास के उपरान्त रु0 65,916·00 को "राइट आफ" की कार्यवाही प्राधिकरण की बैठक के माध्यम से निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

अपर सचिव;

सचिव,

अनुमोदित ।

उपाध्यक्ष,

विषय: दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

आदेश: श्री श्याम तुरी ने हमारी भोग अन्त्योदय योजना के अंतर्गत रु01,500/- धरोहर धनराशि जमा करके टि021.4.87को पंजीकरण कराया था उन्होंने टि0.1.4.87को कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना की कि उन्हें "बी"टाइप का कोई भूखण्ड वैज्ञ हाउस पर आवंटित कर दिया जाय। इनके प्रार्थना पत्र पर अलीगंज योजना में "बी"टाइप का भूखण्ड सं0बी/18/3 अलीगंज योजना टि022.4.87को आवंटित कर दिया गया तथा आवंटन की सूचना पार्टी को दे दी गयी ।

2. पार्टी को धनराशि जमा करने हेतु कार्यालय से पत्र निर्गत किया गया जिसमें अवशेष धनराशि रु065,050/- टि021.7.87तक जमा किये जाने का अनुरोध किया गया तथा यह भी आदेश किया गया कि विलम्ब से जमा करने पर 16% दण्ड ब्याज देय होगा ।

3. टि010.3.88को उपरोक्त भूखण्ड का लीज प्लान अभिलेखन विभाग से प्राप्त हुआ। लीज प्लान प्राप्त होने के पश्चात [illegible] कार्यालय विभाग भेजी गयी जिसमें भूमि की दर आवंटन के समय प्रचलित दर के अनुसार लगायी गयी तथा 16% की दर से दण्ड ब्याज देय टि021.1.87से टि018.x1.87तक रु04,408.61तथा टि019.11.87से टि018.9.88तक रु010,006.66 क्योंकि धनराशि निर्धारित तिथि अर्थात टि021.7.87तक नहीं जमा की गयी थी अतः टि021.1.87से टि018.9.88तक अवशेष धनराशि रु089,465.30जमा करने हेतु आवंटी को टि018.9.88तक का समय दिया गया ।

4. आवंटी ने एक प्रार्थना पत्र कार्यालय में दिया जिसमें प्रार्थना की कि उन्हें गोमती नगर योजना के अंतर्गत कोई अन्य भूखण्ड आवंटित कर दिया जाय जिस पर उपाध्यक्ष ने आदेश दिया कि एक योजना में दूसरी योजना में परिवर्तन निम्नानुसार किये जाने का कोई भी प्राविधान नहीं है ।

5. आवंटी को पत्र सं0649/डे.ग्रु.हौ.ट्रा.टि09.8.95द्वारा एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया जिसमें अवशेष धनराशि रु089,465.30 टि030.8.96तक जमा करने हेतु समय दिया गया । इस पत्र में यह भी [illegible] था कि यदि उपरोक्त तिथि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा । उपरो

धनराशि में दि018.9.88तक का ही दण्ड ब्याज सम्मिलित था क्योंकि पुनः गणनर मूल्यांकन-विभाग से नहीं करायी गयी थी ।

6. आवंटी के प्रार्थनापत्र दि023.8.90के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र दि022.10.90द्वारा धनराशि रू01,09,573/-, दि015.11.90तक जमा करने हेतु सूचित किया गया । इस धनराशि में और उपरोक्त धनराशि में अन्तर का कारण यह है कि तत्कालीन उपाध्यक्ष ने दि031.12.87तक बिना ब्याज के धनराशि जमा करने हेतु समय उपरोक्त आवंटी को दिया था । अतः दि01.1.88से दि015.11.90तक का ब्याज लगाकर उपरोक्त धनराशि रू01,09,573/- निकाली गयी थी । इस धनराशि में दि01 से दि015.11.90तक दण्ड ब्याज रू034,523/- सम्मिलित है। शेष ध भूखण्ड के प्रीमियम की है । परन्तु आवंटी ने अवशेष धनराशि उपरोक्त तिथि तक जमा नहीं की ।

7. माह अप्रैल1992में उपरोक्त आवंटी के एक प्रतिनिधि ने संपत्ति विभाग में संपर्क किया तथा जानना चाहा कि कुल देय धनराशि कि है । अतः दि016.11.90से दि030.6.92तक [illegible] तक देय धनराशि रू01,09,573/-पर लगायी गया। इस प्रकार कुल देय धनराशि रू01,38,062/-आती है, जिसमें दि030.6.92तक का ब्याज सम्मिलित है । आवंटी ने अपने पत्र दि06.5.92द्वारा अनुरोध किया जो दण्ड ब्याज लगाया गया है उसको माफ कर दिया जाय क्योंकि आवंटी ने अनेकों पत्र लिखे, जिसमें अंकित किया [illegible] होने की तिथि बतायी जाय। इस कार्यालय के पत्र दि022.10.90 ही सूचित किया गया कि जिस सेक्टर में भूखण्ड आवंटित किया गया [illegible] पूर्ण रूप से विकसित है ।

8. चूंकि इस कार्यालय के पत्र दि022.10.90द्वारा ही आवंटी को सूचित किया गया कि विकास कार्य पूर्ण है, अतः दि01.1.88से दि015.11.90 तक का ब्याज नहीं लगाया जाय ~~गया है~~।परन्तु दि016.11.90से भुगतान की तिथि तक का ब्याज लगा लिया जाय । प्राधिकरण कृपया विचार करने का कष्ट करे ।

23.6.92
S.S.(T)

23/6/92

अनु विषय सं 9 पृष्ठ सं 29

विषय:- श्री एन0के0नारंग को गोमतीनगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या:बी-2/181, विजय खण्ड की दर निर्धारण के सम्बन्ध में

सारांश: श्री एन0के0नारंग को आवंटित भूखण्ड संख्या:बी-2/181, विजय खण्ड गोमतीनगर की पुरानी दर रू0 145/= प्रति वर्गमीटर की दर से लेने हेतु विषय निर्णयार्थ प्राधिकरण की गत बैठक में प्रस्तुत किया गया था । गत उक्त बैठक दिनांक 16.11.9 प्राधिकरण द्वारा अपने विषय संख्या-10 की पृष्ठभूमि में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री नारंग को भूखण्ड वर्तमान दर पर दिया जाये । प्राधिकरण के निर्णय के अनुपालन में इनको इस कार्यालय के पत्र संख्या:34/ए0एस0 दिनांक 8.4.92 द्वारा रू0 2,16,000/= दिनांक 30.4.92 जमा करने हेतु सूचित किया गया । विधान परिषद, सचिवालय एवं सभापति जी ने अपेक्षा की है कि विधायक आवास समिति के भूखण्डों के आवंटन में विधायकों के लिए पुरानी दर एवं पंजीकरण धनराशि पर ब्याज जोडते हुए भूखण्ड उपलब्ध कराये गये है, उसी प्रकार श्री नारंग को भूखण्ड उपलब्ध करा दिया जाये । इस पर यह उल्लेखनीय है कि विधायकों को पुरानी दर पर भूखण्ड दिये गये है । इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में विधायक आवास समिति ने दिनांक 15.5.86 को निर्णय लिया था कि " विधायक आवास समिति में पंजीकृत जिन विधायकों ने लखनऊ में गोमतीनगर में भूमि की मांग की है, उन्हें पूर्व निर्धारानुसार गोमतीनगर में रू0 13/= प्रति वर्गफुट की दर से भूमि का मूल्य देना होगा "

अत: श्री नारंग का मामला उपरोक्त उल्लखित तथ्यों के आधार पर पुन: विचारार्थ प्रस्तुत होना है ।

अतएव भूखण्ड के मूल्य को पुरानी देर देने के सम्बन्ध में विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष पुन: निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

सचिव

विषय :- मे० मुगल [illegible] होटल के भू-उपयोग के संबंध में।

प्रस्ताव

मै० मुगल सूपर होटल द्वारा 1, स्टेशन रोड, लखनऊ पर लगभग 1280.72 वर्ग मी० भूमि पर एक होटल के निर्माण हेतु भवन मानचित्र विकास प्राधिकरण में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया। लखनऊ महायोजना 2001 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूखण्ड का मुख्य भाग बाजार स्ट्रीट उपयोग एवं अवशेष भाग का भू-उपयोग आवासीय दर्शाया गया है। महायोजना 2001 में वर्तमान में निर्मित/विकसित क्षेत्रों हेतु जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्रों में होटल [illegible] की अनुमति केवल तकनीकी प्राधिकार द्वारा ही अनुमन्य है। इसी के साथ-साथ बाजार स्ट्रीट उपयोग के अन्तर्गत विभिन्न भू-उपयोग के प्राविधान [illegible] भी जोनिंग रेगुलेशन का प्राविधान महायोजना के अन्त[illegible] किया गया, यद्यपि बाजार स्ट्रीट का अभिप्राय [illegible]: व्यवसायिक [illegible] तथा व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत होटल का प्राविधान [illegible] स्ट्रीट हेतु निर्धारित भू-आच्छादन एवं एफ० ए० आर० के आधार पर [illegible] होटल बनता है, लेकिन जोनिंग रेगुलेशन के अभाव से यह उपयुक्त [illegible] होता है कि बाजार स्ट्रीट के अन्तर्गत आने [illegible] वाले भवन [illegible] उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित है, को भी कोई [illegible] लक्ष्य उपयोग [illegible] प्रस्तुत किया जाय। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शासन [illegible] बाजार स्ट्रीट के स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्रक [illegible] प्रस्ताव तैयार किया जाना सम्भव नहीं [illegible] उपयुक्त तथ्यों को [illegible] प्रोजेक्ट [illegible] द्वारा यह उचित समझा [illegible] कोई को स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय तत्पश्चात शासन से बाजार स्ट्रीट के स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात तत्सम्बन्धित कार्यवाही [illegible] महायोजना 2001 के अन्तर्गत आवासीय एवं बाजार स्ट्रीट [illegible] आटोकैड्यरल कंट्रोल के आधार पर भवन मानचित्र स्वीकृत किये [illegible]।

उपरोक्त के अतिरिक्त [illegible] भूमि का उपयोग व्यवसायिक उपयोग हेतु [illegible] परिवर्तन के पश्चात शासन द्वारा जारी किये गये [illegible] अदा करना होगा।

अतः कोई है [illegible] हेतु प्रस्तावित लगभग 1280.72 वर्ग मी० भूमि [illegible] बाजार स्ट्रीट उपयोग हेतु एवं अवशेष भाग का भू-उपयोग [illegible], को परिवर्तित करने एवं शासन से बाजार स्ट्रीट के स्वीकृत [illegible] की प्राप्ति के उपरान्त बाजार स्ट्रीट के अन्तर्गत पड़ने वाले भेत्र पर [illegible] करने की अनुमति के साथ-साथ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वर्तमान आवासीय दर "सेक्टर रेट" के अनुसार भूमि के मूल्य के [illegible] मूल्य प्रार्थी द्वारा अदा करने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ, विचारार्थ [illegible] प्रस्तुत है।

GBS
CATP

उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 24 जून, 1992,
जो अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ के कार्यालय कक्ष में हुई, का कार्यवृत्त

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:

उपस्थिति:

1.	श्री रमेश चन्द्र	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
2.	श्री अतुल कुमार गुप्ता	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ ।
3.	श्री शंकर अग्रवाल	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग ।
4.	श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी	संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग ।
5.	श्री जे0पी0भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
6.	श्री पी0 के0 पाण्डेय	मुख्य अभियन्ता (मध्य), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
7.	श्री एस0 के0 वर्मा	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (आवास आयुक्त के प्रतिनिधि)

:=:=:=:=:=:=:=:=:=:

अन्य उपस्थिति:

श्री राजीव कुमार सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
अन्य अधिकारी	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

विषय संख्या:1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 16.11.91 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 16.11.91 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया । सचिव, ने अवगत कराया कि विशेष सचिव, आवास का इस संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआथा जिसमें उक्त बैठक में कुछ विन्दुओं पर लिये गये निर्णयों के लेखन में कुछ त्रुटियाँ होने का संकेत दिया था और आपत्ति की थी । अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित अ0शा0प0सं0:2066/वी0एस0/पी0एस0/91, दिनाँक: 4 दिसम्बर, 1991 तथा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित अ0शा0प0सं0:2065/पी0एस0/वी0एस0/91, दिनाँक: 2.12.91 में इन त्रुटियों का जिक्र था, प्राधिकरण के समक्ष यह पत्र प्रस्तुत किये गये । अध्यक्ष महोदय ने इन पत्रों को देखने के उपरान्त निर्णय लिया कि दिनाँक: 16.11.91 की बैठक का

क्रमशः ----------

कार्यवृत्त स्वयँ उन्होंने अनुमोदित किया था और यह ठीक है । तदुपरान्त कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई ।

विषय संख्या:2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 16.11.91 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 16.11.91 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया ।

विषय संख्या:3 मलवा संचय शुल्क से सम्बन्धित ।

(अ) मनीषा मन्दिर, विराम खण्ड, गोमती नगर योजना के मानचित्र पर मलवा संचय शुल्क न लिये जाने के संबंध में ।

(ब) स्कूलों से कम मलवा चार्जेज लिये जाने के संबंध में ।

निर्णय:

(अ) निर्णय लिया गया कि विषय संख्या:3(ब) भी स्कूल के मलवा शुल्क के बारे में प्रस्तुत किया गया है, अत: इस विन्दु पर अलग से निर्णय की आवश्यकता नहीं है । विषय संख्या:3(ब) के संबंध में लिया गया निर्णय इस प्रकरण में भी लागू होगा ।

(ब) माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि स्कूल भूखण्ड के संबंध में शासन द्वारा पर्याप्त रियायतें दी गई हैं और रियायती दर पर भूखण्ड भी उपलब्ध कराया जाता है । अत: स्कूलों के निर्मित क्षेत्रफल पर लगाये गये मलवा चार्जेज के बारे में कोई अलग नीति बनाया जाना उपयुक्त न होगा । अत: यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है ।

विषय संख्या:4 गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई है, उनको भूखण्ड दिये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिन कृषकों की भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें भूखण्ड/भवन/दुकान दिये जाने की पूर्व घोषित नीति में कोई परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है । अत: रियायती दर पर सम्पत्ति दिये जाने का प्रस्ताव निरस्त किया जाता है ।

विषय संख्या:5 परिवर्तन शुल्क के संबंध में ।

निर्णय: प्रस्ताव पर निर्णय फिलहाल स्थगित रखा गया तथा निर्देश दिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में भवन/भूखण्ड परिवर्तन के संबंध में पूर्ण प्रक्रिया जिसमें सम्भावित परिवर्तनों पर आख्या देने हेतु एक समिति गठित कर दी जाय जो विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष महोदय

क्रमश: --------

से अनुमोदन प्राप्त करके कार्यवाही करेगी । उक्त रिपोर्ट पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से भी राय ले ली जाय । साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि यह समिति सामान्य प्रक्रिया के बारे में अपनी आख्या देगी तथा उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी किन्तु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण जनहित में कोई परिवर्तन करने के लिये अधिकृत रहेंगे ।

विषय संख्या:6 किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले भवनों को सामान्य शर्तों से संबंधित ।

निर्णय: किराया क्रय पद्धति के भवनों के बारे में प्राधिकरण द्वारा दिनाँक: 10.7.91 की बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसे दिनाँक:16.11.91 को बैठक में स्थगित कर दिया गया था, वह फिलहाल स्थगित रहेगा । विषय संख्या:5 पर जो भी नीति निर्धारित हो, उसी के अनुसार इस प्रकार की सम्पत्ति पर भी कार्यवाही की जाय ।

विषय संख्या:7 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट वर्ष 1988-89 पर व्याख्यात्मक टिप्पणी ।

निर्णय: वित्तीय वर्ष 1988-89 की बैलेन्स शीट का अवलोकन किया गया । इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि प्रस्तावित के अनुसार इसकी एक प्रति निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी जाय । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जो कमियाँ इंगित की गयी हैं, वह विशिष्ट एवं स्पष्ट नहीं हैं । अत: मुख्य लेखाधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के साथ बैठकर इनका विस्तृत विवरण प्राप्त करें और पाई गयी कमियों का निराकरण कराकर प्राधिकरण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करायें ।

विषय संख्या:8 दैनिक वेतन भोगी ड्राईवरों को ग्रीष्मकालीन व शीत-कालीन वर्दी दिये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस संबंध में शासन के निर्देशों का पालन किया जाय ।

विषय संख्या:9 कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-3 के अन्तर्गत ग्राम-किला मोहम्मदी नगर स्थित "राजा बिजली पासी का किला" विवादित भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने के संबंध में ।

निर्णय: महाराजा बिजली पासी के किले की भूमि के संबंध में निर्देश दिया गया कि शासनादेश दिनाँक: 13.6.91 में दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

क्रमश: -------

विषय संख्या: 10 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित लखनऊ महायोजना में 2001 में गोमती नगर योजना में भू-उपयोग में आँशिक परिवर्तन के संबंध में ।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग में आँशिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में निम्नाँकित सदस्यों को एक समिति बना दी जाय जो इनका परीक्षण करके अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे:-

1. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
3. मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
4. आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि ।

विषय संख्या: 11 अभिनय रिपरटरी थियेटर ऐण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-5 में भूमि दिये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अभिनय रिपरटरी थियेटर ऐण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे उन्हें भूमि दिये जाने का कोई औचित्य बनता हो फिर भी उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास - प्राधिकरण इस प्रकरण को स्वयं देख लें । यदि कोई औचित्य बनता हो तो प्रकरण पुन: प्रस्तुत किया जाय ।

विषय संख्या: 12 भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

(अ) प्राधिकरण के गोमती नगर योजना विशाल खण्ड में पार्क हेतु आरक्षित 1400 वर्ग मीटर भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।

(ब) आई0बी0पी0 कम्पनी को पेट्रोलियम प्रोडेक्ट के बल्क स्टोरेज हेतु अमौसी रेलवे स्टेशन के समीप लगभग 19.5 एकड़ भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।

निर्णय: (अ) इस संबंध में विषय संख्या: 10 के अन्तर्गत गठित समिति परीक्षण करके आख्या प्रस्तुत करेगी ।

(ब) विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 13 गोमती नगर योजना के विनीत खण्ड में प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क के महायोजना में एलाइनमेन्ट में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया गया क्योंकि निर्धारण किया जा चुका है ।

क्रमश: ------

विषय संख्या:14 श्रीमती गुँजुल अग्रवाल पत्नी श्री नरेश अग्रवाल, विधायक हरदोई को आवँटित सीतापुर रोड योजना के भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना के नेहरू इन्क्लेव योजना में या विशेष खण्ड में भूखण्ड परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में समिति गठित कर दी गई है, अतएव इस विषय में निर्णय स्थगित किया जाता है ।

विषय संख्या:15 कानपुर रोड योजना के सेक्टर"डी","एफ" एवँ "जी" में भूतल के आवण्टियों को प्रथम तल पर भवन आवँटित करने के संबंध में ।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष मौके पर स्थिति का परीक्षण कर, कार्यवाही करें तथा प्राधिकरण को सूचित करें ।

विषय संख्या:16 लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को वाहन भत्ता के संबंध में ।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि अन्य प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि वहाँ फील्ड स्टाफ को वाहन - भत्ता की क्या दरें हैं, तत्पश्चात् प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत किया जाय ।

अनु0विषय संख्या:1 श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल एवँ डा0 जगदीश चन्द्र अग्रवाल को उनकी भूमि के बदले गोमती नगर योजना में भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल एवँ डा0 जगदीश चन्द्र अग्रवाल को उनकी भूमि के बदले गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में लगभग 6,000 वर्गफिट का आवासीय भूखण्ड इस शर्त पर दे दिया जाय कि वे माननीय उच्च न्यायालय से अपना वाद वापस ले लें । उक्त व्यक्तियों से वर्ष 1985 में प्रचलित दर रू0 150 प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास व्यय ले लिया जाय ।

अनु0वि0संख्या:2 लखनऊ विनियमित क्षेत्र में लागू शमन शुल्क की दरों व निर्देशों को संशोधित किये जाने हेतु उपविधियाँ ।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण इस प्रस्ताव का पुन: परीक्षण करके टिप्पणी आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे । इस बीच शमन सम्बन्धी जो भी प्रकरण निस्तारित किये जाने हैं उनमें फ्रन्ट सेट-बैक में शमन की अनुमति न दी जाय ।

अनु0वि0संख्या:3 बजट की प्रत्याशा हेतु अनुमोदन ।

निर्णय: विचारोपरान्त बजट की प्रत्याशा में किये गये आवश्यक भुगतानों का अनुमोदन किया गया ।

क्रमश: ————

अनु0विषय संख्या:4 जनसेवक कार्यालय लि0, पब्लिशर्स दि टाइम्स आफ इण्डिया तथा नव भारत टाइम्स को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि के आवण्टन से संबंधित ।

निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात प्रेस को भूमि देने के संबंध में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में निम्नांकित सदस्यों की समिति गठित की गई जो इस सम्बन्ध में नीति निर्धारक टिप्पणी प्रस्तुत करेगी:-

1. विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. संयुक्त सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि ।

अनु0विषय संख्या:5 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी आवास समितियों को भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । परन्तु इस सुविधा हेतु वही समितियाँ पात्र होंगी जिन्होंने अर्जन की विज्ञप्ति से पूर्व भूमि क्रय कर ली है ।

अनु0विषय संख्या:6 गोमती नगर योजना में मे0 इण्डियन होटल्स (ताज) को आवँटित भूमि से संलग्न ग्रीन-बेल्ट की भूमि आवँटित किये जाने से संबंधित ।

निर्णय: प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव के पैरा-12 के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये:-

क्रमाँक-1 पर अंकित गणना नजूल के संबंध में है अतएव ताज होटल के सन्निकट सन्दर्भित भूमि पर यह गणना लागू नहीं होगी । क्रमाँक-2 में प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि पर जो गार्डेन लीज दी जाती रही है उसके अनुसार यह गणना की गयी है वह अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है किन्तु यह ध्यान रखा जाय कि ताज होटल द्वारा इस 25 एकड़ भूमि पर पार्क विकसित किया जायेगा तथा इस पार्क को प्रयोग करने की जन साधारण को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी एवं इस पार्क में प्रवेश संबंधी शुल्क लखनऊ विकास - प्राधिकरण के खाते में जमा होगाऔर प्रवेश शुल्क वसूल करने की जिम्मेदारी लखनऊ विकास - प्राधिकरण की होगी । उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए क्रमाँक-2 में अंकित धनराशि को और कम कर दिया जाय । फिर भी मुनासिब धनराशि कितनी हो, यह निर्णय शासन पर ही छोड़ दिया जाय । लीज की समयावधि के बारे में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि लीज अवधि तीस वर्ष तक की

अनु0विषय संख्या:7 श्री एस0सी0 शर्मा, तत्कालीन उप सचिव, लखनऊ विकास-प्राधिकरण को आवँटित जीप संख्या:यू0जी0आई -963 (चोरी गयी) को ल0वि0प्रा0 के स्टाफ से "राइट-आफ" किये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास-प्राधिकरण के स्टाफ से चोरी गयी जीप संख्या:- यू0जी0आई0 963के मूल्य ह्रास के उपरान्त रू0 65,910/= को "राइट-आफ" कर दिया जाय । साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण के समस्त वाहनों का बीमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

अनु0विषय संख्या:8 दण्ड ब्याज माफ किये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दिनाँक:1.1.1988 से दिनाँक: 15.11.1990 तक की अवधि के दण्ड ब्याज की 50% धनराशि माफ कर दी जाये और दिनाँक:15.11.1990 के बाद की अवधि के पूर्ण दण्ड ब्याज की धनराशि प्राप्त की जाय ।

अनु0विषय संख्या:9 श्री एन0के0 नारँग को गोमती नगर योजना में आवँटित भूखण्ड संख्या:बी-2/181, विजय खण्ड की दर निर्धारण के संबंध में ।

निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि विधायक आवास समिति के अध्यक्ष से यह ज्ञात कर लिया जाय कि श्री नारँग उक्त विधायक आवास समिति के सदस्य थे । यदि ऐसा हो तो श्री नारँग को उन्हीं दरों पर भूमि दे दी जाये ।

अनु0वि0संख्या:10 मे0 मुगल मयूर होटल के भू-उपयोग के सम्बन्ध में ।

निर्णय: होटल हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का कुछ भाग महायोजना के आवासीय क्षेत्र में पड़ता है तथा कुछ भाग बाजार स्ट्रीट में पड़ता है । आवासीय क्षेत्र में नान-स्टार होटल बनाने की अनुमति दी जाती है । अतएव भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । नगर एवँ ग्राम्य नियोजन विभाग से नान-स्टार होटल का प्रमाण-पत्र एफ0ए0आर0 ग्राउण्ड फ्लोर कवरेज, ऊँचाई एवँ पार्किंग के मापदण्ड निर्धारित करा लिये जायें ।

अनु0विषय सं0:11 लखनऊ विकास क्षेत्र की संशोधित महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र में त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में ।

निर्णय: अध्यक्ष, महोदय की अनुमति से मुख्य नगर एवँ ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश द्वारा संशोधित महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र में त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि तदनुसार संशोधित करने की कार्यवाही की जाय ।

क्रमशः .....

अनु0विक्षय संख्या:12 श्री ए0के0 कालरा व अन्य द्वारा प्रस्तुत 6, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ के प्रस्तावित ग्रुप-हाऊसिंग मानचित्र के संबंध में ।

निर्णय: 6, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ पर श्री ए0के0 कालरा एवं अन्य के ग्रुप-हाऊसिंग के मानचित्रों पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एवं उपाध्यक्ष द्वारा परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर यह निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा लगाई गयी तीन आपत्तियों का निराकरण करते हुए ग्रुप-हाऊसिंग के मानचित्र स्वीकृत कर दिये जायें ।

परिचालित प्रस्ताव:1 डा0 आई0एस0भटनागर को गोमती नगर योजना में नर्सिंग होम हेतु आवंटित भूखण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज के माफ किये जाने के संबंध में।

निर्णय: परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।

परिचालित प्रस्ताव:2 श्रीमती मीना कुमारी को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड के संबंध में दण्ड ब्याज न लिये जाने के संबंध में ।

निर्णय: परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।

परिचालित प्रस्ताव:3 वर्ष 1992-93 में हुडको से विभिन्न भूमि अर्जन व आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु निगेटिव लियन के रूप में सिक्योरिटी देने के संबंध में ।

निर्णय: परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।

परिचालित प्रस्ताव:4 आपरेशन फाइनेन्स के अन्तर्गत हुडको द्वारा रू0 500.00 लाख ऋण लेने की अनुमति ।

निर्णय: परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।

अनु0विक्षय सं0:3"अ" लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्ष 1991-92 का वास्तविक एवं वर्ष 1992-93 का प्रस्तावित मूल आय-व्ययक ।

निर्णय: विचार विमर्श के उपरान्त वित्तीय वर्ष 1991-92 का वास्तविक एवं वर्ष 1992-93 का प्रस्तावित मूल आय-व्ययक सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:-

(1) भवन विभाग के मानचित्र शुल्क की मद में

क्रमश: -----

वर्ष 1989-90 में 3.38 लाख की आय हुई है परन्तु वित्तीय वर्ष 1991-92 में मात्र रू0 2.78 लाख की आय हुई है । समाधान शुल्क से 1990-91 में रू0-5.71 लाख की आय हुई है परन्तु वर्ष 1991-92 में रू0 3.15 लाख की आय हुई है । अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि उससे प्रतीत होता है कि प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है । अनाधिकृत निर्माण अधिक होने के कारण समाधान शुल्क में वृद्धि हुई है ।

(28) पूँजीगत व्यय के मद 82-विकास कार्य के निम्न मदों में व्यय कम किया गया :-

कोड नं0	व्यय के शीर्षक	मूल बजट वर्ष 1991-92 प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय
82(020)	जलोत्सारण तथा वर्षा जल निकासी	600.00	485.88
(050)	पार्क	100.00	52.27
(060)	मनोरंजन स्थलों का विकास	50.00	----
(070)	नगर महापालिका को हस्तांतरित कालोनियों का विकास	10.00	---
(080)	अन्य विकास (सुलभ शौचालयों सहित)	35.00	19.19

अत: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । मद संख्या:85(010)में ठेकेदारों को दिये जाने वाले अग्रिम हेतु वित्तीय वर्ष 1991-92 में रू0-20.00 लाख का प्राविधान किया गया था परन्तु मात्र 0.09 लाख ही व्यय किया गया है परन्तु वित्तीय वर्ष 1992-93 हेतु रू0-100.00 लाख का प्राविधान रखा गया है । अत: उपाध्यक्ष इसे भी देख कर उचित निर्णय ले लें । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि प्राधिकरण द्वारा जो भी अग्रिम गत वर्षों में दिये गये हैं, उनके समायोजन की कार्यवाही शीघ्र की जाय और पूर्ण विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

क्रमशः ————

(3) मद संख्या:85(040) अन्य व्यय/विश्व बैंक लेखे के अग्रिम मद में वित्तीय वर्ष 1991-92 में रू0 155.14 लाख व्यय किया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 1992-93 में रू0 50.00लाख का प्राविधान किया गया है । निर्देश दिया गया कि उपाध्यक्ष इसका परीक्षण कर लें ।

(4) मुख्य अभियन्ता,उत्तर प्रदेश जल निगम ने बताया कि गोमती नदी के प्रदूषण नियन्त्रण के संबंध में भी बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए । मुख्य लेखाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजस्व की मद संख्या:-28(0100)में रू0 113.50 लाख का प्राविधान किया गया है । उक्त धनराशि से आवश्यकतानुसार गोमती नदी के प्रदूषण - नियन्त्रण पर व्यय की व्यवस्था कर ली जायेगी ।

ह0/=
(आर0 के0 सिंह)
सचिव,

ह0/=
(अतुल कुमार गुप्ता)
उपाध्यक्ष,

अनुमोदित

ह0/=

(रमेश चन्द्र)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण ।